लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28, बुधवार 13 जुलाई, 1977/22 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 28 Wednesday, July 13, 1977/Asadha 22, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 445, 447 और 449 से 451	*Starred Questions Nos. 445, 447 and 449 to 451	1-13
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 17	Short Notice Question No. 17 . .	13-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 446, 448, 452 से 460 और 462 से 464	Starred Question Nos. 446, 448, 452 to 460 and 462 to 464. . . .	17-31
अतारांकित प्रश्न संख्या 3285 से 3299, 3301 से 3369, 3371 से 3432, 3434 से 3437 और 3439 से 3461	Unstarred Question Nos. 3285, 3299, 3301 to 3369, 3371 to 3432, 3434 to 3437 and 3439 to 3461 . .	31-125
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	125-127
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति द्वारा प्रतिवेदन	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	127
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	127
सिविल पुरस्कार देने की प्रथा को समाप्त करने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Discontinuance of Institution of Civilian Awards . .	127
श्री मोरार जी देसाइ	Shri Morarji D sai . .	127
अध्यक्ष श्री एन० संजीव रेड्डी द्वारा अध्यक्ष पद से मुक्त होने के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा-सम्मान की अभिव्यक्ति	Tributes to the Speaker Shri N. Sanjiva Reddy on his relinquishing the office of Speaker	128-131
श्री मोरारजी आर० देसाई	Shri Morarji R. Desai	129
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yashwant Rao Chavan	129

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	129
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar	129-130
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M.N. Govindan Nair	130
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam	130
श्री त्रिदिव चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	130
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G.M. Banatwala	130-131
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	131
श्री ए० ई० टी० बैरो	Shri A.E.T. Barrow	131
अनुदानों की मांगें– 1977–78	Demands for Grants—1977-78	
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	131-136
श्री रामविलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	132
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman	133
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram	133-135
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	135-136
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin	137-139
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	139
श्रीमती रानो एम० शयजा	Shrimati Rano M. Shaiza	139-140
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	Shri Kusuma Krishna Murty	140-142
श्री बी० सी० काम्बले	Shri B.C. Kamble	142-143
श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी	Shrimati Renuka Devi Barkataki	143-144
श्री राम मूर्ति	Shri Ram Murti	144-145
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	145-146
श्री एडुआर्डो फलीरो	Shri Eduardo Faleiro	146-147
श्री राम जेठमलानी	Shri Ram Jethmalani	147
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	149-150
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	150-161
श्री एन० संजीव रेड्डी द्वारा अध्यक्षपद से त्यागपत्र देने के बारे में घोषणा	Announcement Re. Resignation from office of Speaker by Shri N. Sanjiva Reddy	136
आधे घंटे की चर्चा	HALF-AN HOUR DISCUSSION	163-166
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Essential Commodities	163-166
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	163
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	163
श्री के० लक्कप्पा :	Shri K. Lakkappa	163-164
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	164
श्री मनीराम बागड़ी	Shri Mani Ram Bagri	164
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	164-166

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 13 जुलाई, 1977/22 आषाढ़, 1899 (शक)
Wednesday, July 13, 1977/Asadha 22, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

व्यक्तियों को गिरफ्तार करने तथा रिहा करने के आदेश

*445. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आपात स्थिति की घोषणा होने के पश्चात् 24 जून से 30 जून, 1975 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों अथवा जिला प्रशासनों को कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिये मौखिक, वायरलैस, टेलीफोन अथवा कुछ अन्य माध्यमों द्वारा दिये गये आदेशों का स्वरूप क्या है ;

(ख) ऐसे कितने आदेश जारी किये गये ;

(ग) क्या आंसुका अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्तियों की सूची केन्द्रीय सरकार को भेजी जाती थी ; और

(घ) क्या इन व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अथवा राज्य सरकार या जिला प्रशासन इन्हें रिहा करने के लिए सक्षम थे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख). 26 जून, 1975 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को एक वायरलैस संदेश भेजा गया था जिसमें उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ आपात स्थिति के सन्दर्भ में भीड़ करने अथवा जलूस निकालने अथवा किसी प्रकार के प्रदर्शन, जिसमें हिंसा होने की सम्भावना हो, को रोकने के लिए जहां तक आवश्यक हो निरोधात्मक गिरफ्तारियां करने की सलाह दी गई थी । उस दिन एक दूसरा संदेश भेजा गया था जिसमें भारतीय जन संघ

और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सभी प्रभावशाली तथा सक्रिय तत्वों की गिरफ्तारी/नजरबन्दी पर विचार करने की सलाह दी गई थी। मुख्य मंत्रियों को एक सन्देश 28 जून, 1975 को भी जारी किया गया था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि समाचार पत्रों के सम्पादकों अथवा पत्रकारों को गिरफ्तार करने के मामले में, यदि वे आवश्यक समझें, तो सूचना तथा प्रसारण मंत्री की सलाह लें।

सरकार के पास इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से अथवा टेलीफोन द्वारा जारी किये गये आदेशों का कोई रिकार्ड नहीं है। किन्तु यह अच्छी तरह ज्ञात है कि कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को 26 जून, 1975 को औपचारिक अनुदेश जारी होने से पहले ही गिरपतार कर लिया गया था।

(ग) जैसा कि मीसा के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजे थे। भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1975 के अधीन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) नजरबन्द करने वाले प्राधिकारी अपने द्वारा जारी किये गये नजरबन्दी के आदेशों को कानून के उपबन्धों के अनसार रद्द करने के लिए सक्षम हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने अक्तूबर, 1975 में निर्देशन जारी किए थे जिनके द्वारा राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ मीसा की धारा 16-क लागू करके उसके अधीन किये गये नजरबन्दी के किसी आदेश को रद्द करने से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने का अनुरोध किया गया था।

Shri Nirmal Chandra Jain : It is clear from the reply that orders issued on the 26th June concerned with the arrest of three categories of persons. In first category were Shri Jayaprakashji, the present Prime Minister Shri Morarji Desai and the hon'ble Home Minister; the second category consisted of Jan Sangh Office-bearers and in third category were office-bearers of R.S.S. Your reply as well as the then circumstances clearly demonstrate the fact that all the eminent political workers had been arrested on the 25th itself. Smt. Gandhi's power was eclipsed on the 12th June and she declared fictional emergency.

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइये।

Shri Nirmal Chandra Jain : I call it fictional because approval of the Cabinet was taken only after the proclamation of the emergency. So it was not a Constitutional emergency. These persons had been arrested even before the orders were sent and records thereof were destroyed or removed maliciously, what is the reaction of the Government thereto. May I know whether it propose to recover the expenditure incurred on these illegal arrests in the form of surcharge from the then Prime Minister, Home Minister etc. ?

Shri Charan Singh : The hon. Member has sought to know two things. The first is my opinion. My submission is that the Government does not give its opinion. So far as the question of surcharge is concerned, the matter has not yet been considered.

श्री सी० एम० स्टीफन : एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह आपके मार्गदर्शन के लिए है। मैंने इसे पहले नहीं उठाया क्योंकि आपने प्रश्न को गृहीत कर लिया था। व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध नियम 41(XXi) से है जिसके अनुसार आमतौर पर किसी ऐसे प्रश्न पर विचार नहीं किया जायेगा जो किसी सांविधिक निकाय या जांच आयोग के विचाराधीन हो।

न्यायाधीश शाह ने, जो इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं, स्पष्ट किया है कि आपात स्थिति लागू करने के समय की घटनाओं और आपात स्थिति के बाद की घटनायें, आपात स्थिति लागू करने का औचित्य और आपात स्थिति लागू करने के बाद उठाये गये कदमों सम्बन्धी प्रश्न उनके विचार क्षेत्र में आते हैं इस विषय का सम्बन्ध भी आपात स्थिति की घोषणा और उसके बाद उठाये गये कदमों

से है । वास्तव में, इस प्रश्न की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये थी परन्तु आपने इसकी इजाजत दे दी है । जब अनुपूरक प्रश्न पूछे जायें तब जो बात मैंने कही है उसे ध्यान में रखा जाये । इस आपत्ति के अन्तर्गत प्रश्न 447 भी आ जायेगा क्योंकि मामला जांच आयोग के विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी, यह सभा को इस पर चर्चा करने से नहीं रोकता । यहां जो जानकारी दी जाती है वह भी जांच आयोग के पास जायेगी । हमें केवल सावधान रहना होगा । सभा को आपत-स्थिति पर चर्चा करने से नहीं रोका जा सकता । हमें केवल सावधानी बरतनी होगी ।

श्री वसन्त साठे : आपात-स्थिति पर चर्चा करने से नहीं रोका जा सकता । लेकिन जो मामले जांच आयोग के सामने हैं उन पर चर्चा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जैन अपना दूसरा प्रश्न पूछेंगे ।

Shri Nirmal Chandra Jain : Some other message prior to the message referred to in the answer had been sent. That record is not available. Either that has been destroyed or removed. This should be made clear.

Shri Charan Singh : The Government can say something on the basis of the record. The record is not available. I have already told that.

Shri Nirmal Chandra Jain : From the reply of the Hon'ble Minister, it is clear that the advice of the then I & B Minister was necessary for the arrest of the Editors of the newspapers and journalists. May I know whether Shri Kuldip Nayar and the entire staff of the newspaper 'Swadesh' of Indore had been arrested on the advice of Shri Vidyacharan Shukla ?

Shri Charan Singh : For this I require notice.

Smt. Ahilya P. Rangnekar : The Hon'ble Minister has stated that the I & B Minister had informed that the journalists and the editors who were opposed to the Emergency were to be arrested. Is the Honb'le Minister having with him the list of the journalists and editors who were to be arrested and how many of them had been arrested ?

Shri Charan Singh : On the 26th June, an order had been issued for not arresting any editor or journalist without the permission of Minister of Information and Broadcasting. For telling the number of persons arrested, I require notice.

श्री के० लकप्पा : अब समाज-विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं । इन्हें रोकने के लिये माननीय मंत्री कौन सा कानून प्रयोग करने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आपको पृथक प्रश्न पूछना होगा ।

Shri Chhabiram Argal : During Emergency, many students were arrested under M.I.S.A. etc. and their character rolls spoiled. Will the Honourable Minister remedy the situation ?

Shri Charan Singh : I don't know whether the characte-rolls of the students are also maintained.

Shri Bhanu Kumar Shastri : The Honourable Minister has stated that permission of the Information and Broadcasting Minister was a must for arresting the editors. Three journalists of Rajasthan were arrested alongwith me because they used to write against the then Government. I would here like to mention the name of Shri Maekani, editor of the weekly 'Organizer'. Had the permission of the I & B Minister obtained for arresting those persons ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि सारा सदन ही इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहता है । हमें और प्रश्नों को भी लेना है ।

Preparation of Documents in Support of Internal Danger

*447. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the proclamation of emergency in the country, the former Prime Minister got some documents prepared by the Ministry in support of the internal danger and if so, the details of such documents and whether these documents would be laid on the Table of the House ;

(b) whether the then Home Secretary was pressurized for preparing these documents forcibly during the period from 12th June, 1975 to 25th June, 1975 ;

(c) whether the then Home Secretary was transferred only for accomplishing this work (documents of internal danger) ; and

(d) whether Government of India propose to bring before the bar of the people and punish such administrative officers who destroyed the future of democracy and prepared documents on internal danger in the country under the influence of Smt. Indira Gandhi ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to (c). The Government records do not contain any information relevant in this behalf.

(d) Does not strictly arise. Several aspects of this question would be within the purview of the Shah Commission of Inquiry, whose findings should be awaited.

Shri Bhanu Kumar Shastri : This question does not pertain to Shah Commission. The Government of India had got certain documents prepared during the period from the June to the 25th June, 1975. Emergency could not be enforced without those documents. I wanted to know whether those documents will be laid on the Table of the House. The Home Minister says that these documents are not available. How is it that such important documents are not available ?

Is it also a fact that the then Home Secretary had been transferred because he had refused to prepare such documents and the Chief Secretary of Rajasthan against whom charges of corruption had been levelled in Rajasthan Vidhan Sabha, was made the Home Secretary here ? This point will not be covered by the Shah Commission. Has the Home Minister enquired from the Home Secretary that the latter had been transferred under duress ?

Shri Charan Singh : The main thrust of his question was whether some documents had been prepared or not. To this, I replied that no documents are available.

If this matter came up before the Shah Commission, you will know whether some pressure had been put on the then Home Secretary for preparing these documents.

It is a fact that the Chief Secretary of Rajasthan had become the Home Secretary. But he did not hand over the charge of the office of the Chief Secretary though he had taken over as Home Secretary.

Shri Bhanu Kumar Shastri : I want to know whether the emergency was promulgated without getting the said documents prepared. Will the Hon'ble Minister tell us whether he had made an enquiry from the Home Secretary to this effect ?

Shri Charan Singh : There is no question of making any enquiry. The records show that he was called here on the 22nd June. On the 23rd June, he was asked to take over as Home Secretary. The then Secretary who is at present Cabinet Secretary was then transferred from his office.

For a person who has all the powers in his or her hands, there is no need for getting any documents prepared for clamping the emergency.

श्री यादवेन्द्र दत्त : माननीय मंत्री के उत्तर से पता चलता है कि सम्बन्धित दस्तावेज़ उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है या उन्हें हटा दिया गया । सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने इन दस्तावेज़ों को वहां से हटाया या उन्हें नष्ट किया ?

श्री चरण सिंह : मैंने यह नहीं कहा कि सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । मैंने यह कहा कि कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

चूंकि कोई सबूत नहीं है यह अफवाह है कि मार्च के तीसरे सप्ताह में सैंकड़ों फाइलें जलाई गई ।

श्री समर गुह : पिछली कांग्रेस सरकार ने आपात-स्थिति लागू करने और विभिन्न नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में एक श्वेत पत्र निकाला था जिसमें हास्यास्पद बातें कही गई थी । मेरे मामले में ही दो कारण बताये गये थे ;

1. मैंने 25 जून की सुबह वर्तमान गृह मंत्री श्री चरण सिंह के निवास स्थान पर हुई एक बैठक में भाग लिया था, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई और अन्य नेता उपस्थित थे । मैं उस बैठक में उपस्थित था । 10 या 12 लोग और भी थे ।

2. मैं श्री वाजपेयी और तीन अन्य सदस्यों के साथ आनन्द मार्गी से जेल में मिलने गया । हम सरकार की इजाजत लेकर गये थे और चीफ सेक्रेटरी और बिहार के राज्यपाल को इसका पता था । पुलिस अधिकारी हमारे साथ गया था ।

सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रकार के हास्यास्पद तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उस श्वेत पत्र पर पुनर्विचार करके एक और श्वेत पत्र जारी करेगी जिसमें इस प्रकार प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जाये ।

श्री चरण सिंह : मेरे माननीय मित्र यह सोचकर प्रश्न पूछ रहे हैं कि तत्कालीन सरकार को कानून सिद्धान्त और लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार कार्य करना चाहिये था । इसीलिये उनमें क्रोध है और आक्रोष है । इसी आक्रोष के कारण और इस श्वेत पत्र के कारण हम अब आप यहां मौजूद हैं और क्या कार्यवाही चाहते हैं आप ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि सभी सदस्य कोई न कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं । गृह मंत्री ने इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाल दिया है । अब इस बारे में और प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये । हमने आपात-स्थिति सम्बन्धी प्रश्नों पर पहले ही आधा घंटा ले लिया है ।

पश्चिमी घाट विकास योजना

***449. श्री ए० आर० बद्री नारायण :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाट विकास योजना की क्रियान्विति के लिये क्षेत्र के चयन की क्या कसौटी अपनाई गई है ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने 55 तालुकों को पश्चिमी घाट क्षेत्र माना था तथा उच्च स्तरीय समिति ने महसूस किया था कि कार्यक्रम पांचवीं योजना में केवल 28 तालुकों में लागू किया जायें ;

(ग) क्या उक्त स्तरीय समिति ने तालुकों का निश्चय करने के लिए पश्चिमी घाटों की उसी याख्या का अनुसरण किया है जो द्वितीय सिंचाई आयोग की रिपोर्ट में दी गई है, जो इस क्षेत्र की भौताकृतिक व्याख्या मात्र है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार कर्नाटक सरकार द्वारा माने गये 55 तालुकों को स्वीकार करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करना चाहती है क्योंकि वर्तमान सीमांकन में मालनाद के बड़े भूभाग को छोड़ दिया गया है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने, जिसके सदस्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, दमन और दीव के मुख्य मंत्री, केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्य, सीमांकन के संबंध में अंतिम निर्णय के होने तक, दूसरे सिंचाई आयोग की रिपोर्ट में दिए गए मानचित्र के आधार पर पश्चिमी घाट विकास योजना के लिए क्षेत्र का चयन किया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले तालुकों के निर्धारण के संबंध में इस उच्च स्तरीय समिति द्वारा और विचार किया जा रहा है । समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर उन पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जाएगा ।

श्री ए० आर० बद्री नारायण : योजना आयोग ने पश्चिमी घाट को एक अखंडित क्षेत्र माना है । इसमें बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं । इसके विकास के लिए छठी योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है । पश्चिमी घाट के संभावनाओं वाले क्षेत्रों का पता लगाने के सम्बन्ध में सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रखा गया है । सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन में केवल सिंचाई और सिंचाई के स्रोतों के पहलू पर ही विचार किया गया है । इसमें अन्य मामलों पर विचार नहीं किया गया है । क्या सरकार उच्च स्तरीय योजना समिति को अनुदेश देगी कि वह साथ लगने वाले क्षेत्रों पर भी विचार करे जो कि पश्चिमी घाट योजना का ही अभिन्न भाग है ?

श्री मोरारजी देसाई : इस समूचे क्षेत्र में कर्नाटक के 35 तालुक हैं न कि 28 । जिनका सुझाव सिंचाई आयोग ने दिया है । उन्होंने इन 28 में से 23 तालुक ले लिए हैं । तथा 12 नए तालुक और जोड़ दिए हैं । अतः माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसे पहले ही ध्यान में रख लिया गया है ।

यह कहना सही नहीं है कि इसके लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं । पांचवीं योजना में इसके लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिनमें से 1974–75 में 83 लाख, 1975–76 में 1.43 लाख तथा 1976–77 में 4.5 करोड़ रुपये व्यय किए गए । 1977–78 के लिए 5.96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री ए० आर० बद्री नारायण : जहां तक सीमांकन का सम्बन्ध है, पश्चिमी घाट एक अखंडित क्षेत्र है । क्या सरकार आयोग को सुझाव देगी कि वह समूची समस्या पर समेकित दृष्टिकोण अपनाए ?

श्री मोरारजी देसाई : इस पर विचार किया जा रहा है । जहां तक नगरीय और ग्रामीण योजना का सम्बन्ध है, शायद माननीय सदस्य तथा मैं कुछ मामलों पर निर्णय न ले सकें ।

श्री के० गोपाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी घाटों के विकास के लिए जो उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई है, उसने जल का अधिकतम उपयोग करने सम्बन्धी पहलू पर विचार किया है और जो पानी अरब सागर की ओर बहता है उस के 50 प्रतिशत पानी की दिशा बदलने पर भी विचार किया है ? पश्चिमी घाटों के विकास पर विचार करते हुए वह बजाय पानी के बेकार जाने के उसका रुख पड़ौसी राज्यों की ओर करेंगे ताकि इसका समुचित उपयोग हो सके ?

श्री मोरारजी देसाई : इस पहलू पर विचार किया जा रहा है । वास्तव में हम भारत में उपलब्ध सभी पानी का अधिकाधिक उपयोग करना चाहते हैं ।

श्री ए० सी० जार्ज : पश्चिमी घाटों के दक्षिणी भाग का लगभग 300 मील क्षेत्र केरल की पूर्वी सीमा से लगा हुआ है और कहा गया है कि पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं । पर्वतीय राजमार्ग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जो कि पश्चिमी घाट विकास का एक अंश है, क्या माननीय प्रधान मंत्री सभा को आश्वासन देंगे कि इस 25 करोड़ रुपये की राशि में से कुछ भाग केरल राज्य में पर्वतीय राजमार्ग के विकास के लिए निर्धारित किया जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं किसी विशेष क्षेत्र के अन्दर दूसरा विशेष क्षेत्र नहीं बना सकता ।

उत्तरी बंगाल के लिए विकास परियोजनाएं

*450. **श्री के० बी० चेत्तरी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल के विकास के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई तथा मंजूर की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल के विकास के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) योजना आयोग संपूर्ण राज्य के लिए विकास के विभिन्न शीर्षों के लिए परिव्ययों का अनुमोदन करता है । अलग-अलग परियोजनाओं या क्षेत्रों के लिए आवंटन राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं । विशेष रूप से उत्तरी बंगाल के विकास के लिए कोई भी परियोजना योजना आयोग को नहीं भेजी गई है और न ही आयोग के पास विचारार्थ पड़ी हुई हैं । राज्य की पंचवर्षीय योजना में उत्तरी बंगाल में निवेश के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, जिनमें गांवों के विकास, सड़कें, ग्रामीण बाजार, शीतागार, दूध उत्पादन, यातायात में सुधार की स्कीमें और औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं । विभिन्न क्षेत्रों के लिए सामान्य योजना-कार्यक्रमों के अलावा, जल निकासी और संचार में सुधार तथा उत्पादन केन्द्रों के विकास से सम्बन्धित विशेष स्कीमों के लिए 1977-78 में 1 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है ।

श्री के० बी० चेतरी : उत्तरी बंगाल की प्रत्येक प्रकार से अवहेलना की जाती रही है । वहां बिजली की कमी है जिसके परिणामस्वरूप चाय उद्योग तथा अन्य उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । वहां एक रामन हाईडल प्रोजेक्ट है, यदि यह परियोजना हाथ में ली जाती है तो उससे बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उस परियोजना को इसी वित्त वर्ष में आरम्भ करने जा रहे हैं ? इस पर कुल कितना खर्च आयेगा तथा यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके बारे में भी राज्य सरकार ही बता सकती है, मैं नहीं ।

श्री के० बी० चेतरी : उत्तरी बंगाल में नक्सलवारी--- वेसीदेवा तथा चोपड़ा इस्लामपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं । उनमें कोई उद्योग नहीं है । सरकार का विचार वहां एक कागज मिल स्थापित करने का था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां कागज मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : जैसा कि मैंने पहले कहा, इसके बारे में भी प्रस्ताव प्रस्तुत करना राज्य सरकार का ही काम है । अभी मुझे वहां स्थापित की जाने वाली कागज़ मिल की कोई जानकारी नहीं है । मैं इसके बारे में निश्चय ही पता लगाऊंगा ।

श्री समर गुह : जब डा० के० एल० राव सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री थे तो उस समय उन्होंने अपने वक्तव्य में--- एक नहीं अपितु अनेक अवसरों पर इसी सदन में यह कहा था कि उत्तरी बंगाल के निकट पश्चिम बंगाल के डलकोला में के किसी भाग में विद्युत् संयंत्र लगाया जायेगा जिससे कि उत्तरी बंगाल तथा उत्तरी निहारी की बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा । मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि डालकोला में लगाये जाने वाले उस घोषित बिजली संयंत्र का क्या हुआ ?

श्री मोरारजी देसाई : इस विशेष विद्युत संयंत्र के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है । जैसा कि मैंने कहा मैं इस के बारे में जानकारी एकत्रित करूंगा । जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री समर गुह : इससे उत्तरी बंगाल का विकास होगा; उत्तरी बिहार का नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उत्तरी बंगाल को चाय तथा पटसन के उत्पादन से केन्द्रीय राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिलती है तथा हम भी यही चाहते हैं कि यह सहायता निर्विघ्न रूप से मिलती रहे । क्या प्रधान मंत्री इस बात पर भी विचार करेंगे कि वह टीसटा को अपने कार्यक्षेत्र में लेने वाली मास्टर योजना पर भी विचार करेंगे ताकि बाढ़ के कारण नदी में बनने वाली गाद को समाप्त किया जा सके ।

श्री मोरारजी देसाई : मास्टर प्लान बनाना तो राज्य का विषय है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु टीसटा प्लान तो नार्थ बंगाल के लिए है ।

श्री मोरारजी देसाई : वह राज्य योजना में ही होनी चाहिये । वह केन्द्रीय योजना नहीं हो सकती । परन्तु जैसा कि मैंने कहा है यदि राज्य सरकार इसे करना चाहती हो तो हम इसे मंजूर कर लेंगे । उन्हें यह बता देना चाहिये कि वह इसे राज्य योजना में शामिल कर रहे हैं । इसके

अतिरिक्त वहां 40 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के हैं । इसलिए उस क्षेत्र की ओर और भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । मुझे इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है और यदि राज्य सरकार अपनी योजना के साथ ही इस हिस्से के लिए भी योजना भेजती है, तो हम निश्चय ही उसके लिए सहायता करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वास्तव में इस विषय के बारे में प्रश्न और स्पष्ट किया जाना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार, सदन में अभी जो कुछ कहा गया है इसे दृष्टिगत रखते हुये, इस मामले के बारे में विशेष रूप से विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर तो वह पहले ही दे चुके हैं ।

श्री चित्ता बसु : मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तरी बंगाल के सामरिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, उस क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के बारे में राज्य सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त, केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत अन्य योजनायें बनाने की सम्भावनाओं तथा वांछनीयता पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि ऐसा करने से उस क्षेत्र तथा राष्ट्र को लाभ होता हो तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह राज्य परियोजना के अतिरिक्त होनी चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । यदि वह अतिरिक्त योजना हुई तो हमें इसके लिए धन उपलब्ध करवाना पड़ेगा ।

खादी का उत्पादन

451. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में खादी के उत्पादन में वृद्धि करने का है ;

(ख) क्या देश में अधिक खादी एककों की स्थापना करने का भी सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में खादी के विकास और उत्पादन के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(घ) क्या सरकार खादी के मूल्यों में कमी करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज़) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्तमान वर्ष के लिये खादी के विकास तथा उत्पादन के लिये 18.10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि विगत वर्ष में 15 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे ।

(घ) खादी के कपड़े का वास्तविक मूल्य कच्चे माल यथा, सूत, ऊन तथा कोये के मूल्य पर निर्भर करता है । सूत तथा खादी के मूल्यों में बढ़ती का रुख है किन्तु कोये के बारे में गिरावट के रुख की आशा है । उनके अनुसार कपड़े के मूल्य बढ़ेंगे घटेंगे ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या उत्पादकों पर प्रभाव डाले बिना खादी के मूल्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ? महत्वपूर्ण अवसरों पर हम 10 से 15 प्रतिशत तक छूट देते हैं। क्या सरकार खादी के मूल्य में भारी कमी करेगी ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि खादी के उत्पादन पर कितना व्यय होता है। सहायता देने की बात अलग है। इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या सरकार कोई सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस पर विचार किया जायेगा।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादकों अर्थात् बुनकरों और कताई करने वालों को कोई सहायता दी जायेगी ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सोनु सिंह पाटिल : चंकि जनता सरकार और सदस्यगण खादी पहनने के लिये राजी हो गये हैं इसकी बिक्री अवश्य बढ़ जायेगी। इस दृष्टि से क्या माननीय मंत्री और अधिक धन की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : वर्तमान वर्ष के परिव्यय में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि धनाभाव के कारण किसी खादी कार्यक्रम में हानि नहीं होने दी जायेगी।

डा० सुशीला नायार : क्या उपभोक्ता द्वारा लाये गये सूत के बदले में कपड़ा देने की खादी आयोग की योजना पुनः चालू की जायेगी ?

खादी से निर्धन व्यक्तियों की मदद होती है। निर्धनतम लोग साधारण चर्खे का प्रयोग कर सकते हैं, अम्बर चर्खे का नहीं। खादी आयोग अब साधारण चर्खे का सूत नहीं ले रहा है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मैं इन दोनों सुझावों पर विचार करूंगा।

श्री वसन्त साठे : खादी आत्म-विश्वास की भावना और स्वदेशी की द्योतक है। क्या खादी सूत की बुनाई और कताई को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है। क्या खादी के लिए केवल सूती धागा ही जरूरी है। यदि मानव-निर्मित रेशे को सस्ती दर पर सप्लाई करना सम्भव है तो क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने खादी के महत्व को समझा क्योंकि 1965–66 से देश में खादी का उत्पादन गिरता जा रहा है। 1965–66 में खादी का उत्पादन 8 करोड़ 48½ लाख वर्ग मीटर था जबकि चालू वर्ष में यह केवल 6 करोड़ 14 लाख वर्ग मीटर है। इसी प्रकार रोजगार में भी गिरावट आई है। मानव-निर्मित रेशे का प्रयोग करने का विचार खादी ग्राम उद्योग आयोग का है।

Shri Ram Murti : May I know whether there is any proposal to use polyester yarn along-with the cotton yarn for manufacturing Khadi ?

Shri George Fernandez : At present there is no such proposal.

Shri Hukmdao Narain Yadev : May I know whether Government have any proposal to restart the roduction of Khadi at Madhubani and Darbhanga so as to provide means of livelihood to the people there ?

Shri George Fernandez : There is a Bihar State Khadi Board and there are khadi institutions at district level. In the entire country, there are 700 khadi institutions. If some proposal for Central help is received from them, the same will be given.

श्री आर० वेंकटरामन : खादी की परिभाषा यह है कि यह हाथ से काती हुई और हाथ से बुनी हुई होती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि हाथ से बने रेशे को प्रयोग करने के प्रस्ताव उनके विचाराधीन हैं । हथकरघा उद्योग-मानव-निर्मित रेशे और मिल द्वारा बुने गए धागे का प्रयोग कर रहा है। क्या वह देखेंगे कि खादी का अवमूल्यन न हो ?

Shri George Fernendez : This proposal had come from Khadi and Village Industries Commission.

श्री मोरारजी देसाई : विचार मानव-निर्मित रेशे को सीधे बुनाई में प्रयोग करने का नहीं है, उसे धागा कातने के काम में लाने का है और फिर उसे बुनने का है। इसलिए खादी का अवमूल्यन करने का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Dhanna Singh Gulshan : Factory workers use khadi more. Do Government propose to supply khadi to them at the cheap rate ?

Shri George Fernandez : There is no such proposal.

Shri Om Prakash Tyagi : If the price of khadi is fixed on the basis of the weaving an spinning of khadi yarn, it is very less But the khadi Gramodyog or khadi stores fix the price of khadi arbitrarily. Though they get subsidy as well. Thus the khadi becomes very costly for khadi users. This impedes the progress of khadi a great deal. What efforts are being made by Government to bring down the prices of khadi ?

Shri George Fernandez : If the Honourable Member makes some concrete suggestions we shall consider them.

श्री वयालार रवि : यद्यपि खादी का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक हुआ है तथापि लगता है कि इसका विपणन बहुत कम हुआ है। इसके अलावा, खादी का कपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम वर्गों को उपलब्ध नहीं होता । गांवों में कोई विपणन व्यवस्था नहीं है। खादी के विपणन के बारे में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : इस समय सारे देश में 4000 स्थानों से खादी बेची जाती है। अब हम इसके विपणन के बारे में विचार कर रहे हैं। इस उद्योग में विपणन एक मुख्य कठिनाई रही है। मेरे विचार में यह भी हल हो जायेगी ।

Shri D. N. Tiwary : The finest quality of Khadi is produced in Madhubani in Bihar. Will the Honourable Minister provide incentives to the people in Madhubani so that the finest khadi continues to be produced there ?

Shri George Fernandez : If any suggestion is received from any local body or Bihar State Khadi Bord, the same will be considered.

श्री हरिकेश बहादुर : क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न गांवों में खादी उद्योग ऐसे ढंग से फैलाया जाये कि वहां की बेरोजगारी की समस्या भी किसी हद तक दूर हो सके ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : हमारी कोशिश यही है।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The fall in the production of khadi industry was due to the fact that thousands of persons engaged in this industry were removed from service and prosecuted under M.I.S.A. and D.I.R. Do the Government have any scheme for rehabilitating them? The cottage industry cannot become a matching industry unless it is given subsidy. Will the Government consider giving subsidy to this industry?

Shri George Fernandez : I have no information about the persons removed from service. However, we will look into it.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : Sir, he has replied to one of my question. I want to know the number of persons working in khadi industry against whom action was taken under M.I.S.A. and D.I.R. and those who were removed from service.

Shri George Fernandez : We have no information about the persons removed from service.

Shri Janeshwar Mishra : Is the Honourable Minister aware that khadi gramodyog Commission and Gandhi Ashram are also producing fashionable garments like other factories and indulging in profiteering ? This is against the very spirit of Khadi. Do they also pay less salaries to their employees as is done by other factory-owners ?

Shri George Fernandez : So far as the question of production of Khadi cloth is concerned. some cloth is imported also. People like to wear different varieties of clothes. If you make some suggestion about the quality of khadi that should be produced, it can be considered. Regarding salary,the employees in these institutions get the same scales of pay which the Government. Other institutions are functioning under a great strain. A person who works on the traditional charkha for 8 hours at a stretch, gets Re. 1/- only and the person who plies the new type of charkha gets Rs. 3/- to Rs. 3.50.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि खादी का उत्पादन गत दस वर्षों में उत्तरोत्तर घटता जा रहा है। क्या सरकार इसके कारणों का पता लगायेगी ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : हम इसका पता लगायेंगे ।

श्री ए० सी० जार्ज : बम्बई स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में देश के सभी खादी भण्डारों से ज्यादा बिक्री होती है। मंत्री महोदय विपणन में सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बम्बई का खादी ग्रामोद्योग भवन पिछले 22 दिन से बन्द पड़ा है। क्या मंत्री महोदय वहां के कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करेंगे और इसे फिर से चालू करेंगे ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मैं इसकी जांच करूंगा ।

Shri [illegible] : What is the [illegible] wages of khadi weavers ?

Shri George Fernandez : For this I require notice.

Shri Manohar Lal : The Khadi and Gramodyog institutions have become dens of corruption. Therefore, will the Honourable Minister close down all textile mills and have khadi produced through charkhas only ?

Shri George Fernandez : This is not possible.

Shri Hukam Ram : The workers engaged in khadi production are not organised and, therefore, they don't get representation in the management. The bigwigs of the Management don't allow workers representation in the Management.

Shri George Fernendez : Khadi Board is being reorganised. After its reorganisation, all these problems will be solved.

Shri Ugrasen : The employees of Village and Khadi Commission are getting less pay and allowances. Will Government appoint some special Wage Board for them ?

Shri George Fernendez : We have no such proposal under consideration at present.

श्री के० सूर्यनारायण : क्या सरकार को खादी कमीशन के कर्मचारियों से उनके वेतन मजदूरी बोर्ड आदि के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसी कोई शिकायत मेरे सामने नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 64 के परन्तुक में व्यवस्था है कि यदि कोई प्रश्न सूची में नीचे है तो उसे अध्यक्ष की अनुमति प्रश्न काल के समाप्त होने पर मौखिक उत्तर के लिये लिया जा सकता है । इसके लिये मंत्री महोदय भी तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय की ओर से कैसे कह सकते हैं । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

अल्प सूजना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र के लिये यूरेनियम की सप्लाई

अ०सू०प्र०सं० 17. **श्री सौगत राय :**
डा० मुरली मनोहर जोशी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अमरीकी सरकार तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र को ईंधन यूरेनियम की सप्लाई पुनः आरम्भ करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : 28 जून, 1977 को संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम ईंधन का लदान जलपोतों में करने की मंजूरी देने वाले निर्यात लाइसेंस एक्स एस एन एम-845 को, जिसके बारे में निर्णय रुका हुआ था, जारी करने का निदेश दिया । इसके साथ कोई पूर्व शर्त जुड़ी है, परन्तु यह इस धारणा के साथ किया गया है कि न्यूक्लीय सामग्री के प्रभार के व्यापक प्रश्न पर अमरीका तथा भारत के बीच बातचीत होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, एक टिप्पणी मेरे ध्यान में यह आई है कि तारापुर को ईंधन की सप्लाई विभिन्न प्रकार से विलम्ब किये जाने के अतिरिक्त राष्ट्रपति कार्टर की नई आणविक नीति से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि भारत को इस बात के लिए राजी करने के लिए कि वह अपनी सभी नाभिकीय क्षमताओं के अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए सहमत हो जाये और किसी भी संसाधन से प्राप्त प्रयुक्त ईंधन का दोबारा प्रयोग न करे, इसके लिए सभी प्रयास किये जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारी सरकार और अमरीकी सरकार के बीच हुए समझौते के साथ ऐसी कोई शर्त है ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी कोई शर्त नहीं है। यदि कोई शर्त होती तो मैं उससे कदापि सहमत न होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अमरीका द्वारा भारत को समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई बन्द करने के क्या कारण थे ? यह सच है कि तारापुर रियेक्टर के लिए आणविक् ईंधन सप्लाई करने के लिए अमरीका वचनबद्ध है लेकिन आणविक प्रसार का बावेला मचा कर भारत की सप्लाई बन्द करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। अमरीकी प्रशासन ने पिछली खेप भेजने में एक वर्ष का विलम्ब कर दिया और भारत को वायुयान द्वारा उसे लाने के लिए 1 लाख डालर व्यय करने पड़े। क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री मोरारजी देसाई : विभिन्न आपत्तियां उठाये जाने कारण एक वर्ष के लिए खेप रोकी गई थी। अब वे दूर हो गई हैं और उसे भेज दिया गया है। हमने कोई भी शर्त नहीं मानी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और जो भारत ने 1 लाख डालर या 8 लाख रुपय खर्च किए हैं उसके बारे में आप का क्या कहना है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे उसका पता नहीं है।

श्री जी० एम० बनतवाला : क्या यह सच है कि 1974 में हमारे शांतिपूर्ण विस्फोट के बाद से अमरीका तारापुर परमाणु केन्द्र को समृद्ध यूरेनियम देने सम्बन्धी समझौते की समीक्षा को उत्सुक है। क्या अमरीका ने हमारी सरकार से इस बारे में कोई बातचीत की थी कि यदि भविष्य में शांतिपूर्ण विस्फोट किये गये तो समझौते पर पुनः विचार किया जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यह ठीक है कि शांन्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किये गये विस्फोट का गलत अर्थ लगाया गया है। इसी कारण ये सब कठिनाइयां आयीं। किसी दूसरे विस्फोट का प्रश्न नहीं है। यह बात स्पष्ट कर दी गई है। उसे अब फिर नहीं उठाया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि अमरीका भारत को बिना किसी शर्त के समृद्ध यूरेनियम दे रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आणविक् प्रसार के मामले में दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। इस सन्दर्भ में क्या यह सत्य नहीं है कि हम मामले में हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम उसकी नीति का अनुसरण करें नहीं तो तारापुर को समृद्ध यूरेनियम नहीं दिया जायेगा। वह क्या मामला है जिस पर बातचीत होगी ?

दूसरे क्या हम अपने यूरेनियम का प्रयोग नहीं कर सकते ? निकट भविष्य में न सही लेकिन उस दिशा में क्या योजना बनायी जा रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : अन्तिम प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे दूं । यूरेनियम का दो प्रकार से प्रयोग होता है । एक तो प्राकृतिक रूप में और दूसरा समृद्ध यूरेनियम/तारापुर में समृद्ध यूरेनियम का का प्रयोग करते हैं । हम वहां युरेनियम का प्राकृतिक रुप में प्रयोग नहीं कर सकते । उसके लिए तो हमें पुराने संयंत्र के स्थान पर नया संयंत्र लगाना पड़ेगा । इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक न्यूक्लियर प्रसार का प्रश्न है । उसके लिए सारे विश्व को चिंता है । हमारी भी उसमें रुचि है । कठिनाई संधि पर हस्ताक्षर करने की है । मैंने कहा है कि जब तक परमाणु हथियारों वाले देश विस्फोट करते रहेंगे हम संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते । लेकिन हम भी इन अस्त्रों. का प्रसार नहीं चाहते । हम चाहते हैं कि ये शक्तिशाली देश भी अपनी नीति बदलें । इसी विषय पर वार्ता की जायेगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : भारत सरकार रेगुलेटरी कमीशन की इतनी महत्ता क्यों स्वीकार करती है ? तारापुर के बारे में संधि तो अमरीका और हमारे देश के बीच में हैं । संधि की शर्तें तो पूर्ण हैं । फिर हम क्यों इस कमीशन की सत्ता को स्वीकार करते हैं । अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस कमीशन ने भारत का पक्ष लिया है । सन्धि के अनुसार हमें रेगुलेटरी कमीशन का अस्तित्व क्यों स्वीकार करना पड़ा है ? दूसरे अमरीका के रवैये में परिवर्तन का क्या सबूत है ? देश के संयंत्रों के निरीक्षण के बारे में सहमत होने सम्बन्धी प्रधान मंत्री द्वारा मई में दिये गये वक्तव्य से क्या अधिक उदारता नहीं टकपती ? ऐसा अखबारों में छपा है ।

श्री मोरारजी देसाई: यह शायद आपकी कल्पना है । मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । मैं कभी ऐसे निरीक्षण के लिए तैयार नहीं होऊंगा जब तक कि वे अपने संयंत्रों के निरीक्षण के लिए सहमत न हो जाये । मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया । आप मुझे वह समाचार पत्र दिखाएं ताकि उससे गलत बात छापने के लिए पूछा जा सके । हमारे द्वारा रेगुलेटरी कमीशन को मान्यता देने का प्रश्न नहीं है । मैंने ऐसा कोई समझौता नहीं माना है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अमरीका सरकार ने अब तक कितना माल सप्लाई किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : 12 टन के लिए 29.6.77 को लाइसेंस दिया गया था और वह माल आ रहा है ।

श्री वेदव्रत बरूआः प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि शांतिपूर्ण विस्फोट की अब आगे कोई जरूरत नहीं लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए तो ऐसे विस्फोटों की जरूरत रहेगी । अब ऐसा लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय वचन निभाने के लिए यदि आवश्यक हो तब भी हम यह विस्फोट नहीं कर सकेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे विचार से ऐसे विस्फोट की जरूरत नहीं है । पिछली सरकार का अलग दृष्टिकोण हो सकता है । उन्होंने गलत सोचा था ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या प्रधान मंत्री जी ने यह समाचार देखा है कि हमें यूरेनियम की सप्लाई दो खेपों में की जायेगी । पहली खेप वायुयान से आयेगी और दूसरी खेप अमरीकी निरीक्षण दल द्वारा तारापुर संयंत्र के निरीक्षण के बाद भेजी जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : पता नहीं उन्होंने यह कहां पढ़ा है । मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं ।

श्री यशवंतराव चव्हाण : हमें प्रधान मंत्री के वक्तव्य से प्रसन्नता है कि उन्होंने निरीक्षण की बात स्वीकार नहीं की है । यह भी खुशी की बात है कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने की बात भी नहीं मानी है । यह सन्धि पक्षपातपूर्ण है । विस्फोट या जमीन के अन्दर विस्फोट करने के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है । लेकिन क्या हमें व्यक्तिगत राय माननी होगी या इस मामले में वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह पर चलना है ? यह तो न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि विकास कार्यों के लिए शान्तिपूर्ण विस्फोट जरूरी हैं । या अमरीका सरकार से कुछ रियायतें लेने के लिए हमने उस नीति को छोड़ दिया है । यदि ऐसा है तो हम अपने महान राष्ट्रीय हित को तिलांजलि दे रहे हैं ? मैं इस मामले में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं वैज्ञानिकों की बात कह रहा हूं । मैं स्वयं वैज्ञानिक नहीं हूं । मैं उनसे सहमत हूं कि हमें भविष्य के लिए कोई वचन नहीं देना चाहिये । अभी मैं समझता हूं कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी विस्फोट आवश्यक नही है । जब जैसा जरूरी होगा हम वैसा ही करेंगे ।

श्री समर गुह : हमारे यहां समृद्ध यूरेनियम की कमी है पर जादूगुडा यूरेनियम की खान से प्राप्त यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? दूसरे क्या समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के साथ कोई शर्त जुड़ी है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री समर गुह : यूरेनियम से प्लुटोनियम बनाया जाता है जो बहुत विस्फोटक पदार्थ है । क्या प्लुटोनियम के निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है । सोवियत संघ और अमरीका भी शांतिपूर्ण विस्फोट करते हैं । तेल निकालने, खानों में खुदाई करने, बांध बनाने और नदियों का रुख मोड़ने आदि के लिए ये बहुत जरूरी हैं । परमाणु ऊर्जा आयुक्त का भी यही विचार है ।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने स्पष्ट कह दिया है कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने में हमें कोई शक्ति नहीं रोक सकती । जो कुछ भी आवश्यक होगा किया जायेगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी आज प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य उनके पिछले वक्तव्यों से अधिक सुनिश्चित है । अब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आणविक परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जरूरी नहीं है ।

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री जी के पास जो जानकारी है, क्या उस सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र निकाला जायेगा या कोई दस्तावेज सभा के समक्ष रखा जायेगा जिस से उन संसद सदस्यों का भी यह विचार दूर हो जायेकि ऐसे विस्फोट शांतिपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा कुछ करने का मेरा विचार नहीं है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : चूंकि समृद्ध यूरेनियम की कमी के कारण तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र के कार्यकरण पर काफी प्रभाव पड़ा है इसलिए क्या वह सुनिश्चित करेंगे कि यह सप्लाई चालू रहे । दूसरे क्या उन्होंने राष्ट्रपति कार्टर से इस बारे में उस समय पत्र-व्यवहार किया था जब दोनों ने अपने-अपने देशों में सत्ता ग्रहण की थी ?

श्री मोरारजी देसाई : आशा है यह सप्लाई अब नियमित रूप से होगी । लेकिन भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा ? पत्र व्यवहार में इस विषय पर अवश्य चर्चा की गई थी ।

श्री ए० सी० जार्ज: चूंकि उत्तर में थोड़ी अस्पष्टता है और भूमि के अन्दर और भूमि के ऊपर विस्फोटों के बारे में थोड़ी भ्रान्ति है । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उन्हें विस्फोट शब्द ठीक नहीं लगता तो क्या आणविक प्रयोग देश की जरूरत के अनुसार किये जायेंगे क्योंकि वे देश के विकास हेतु जरूरी हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : जो मैं कह चुका हूं उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या यूरेनियम की सप्लाई अमरीका और भारत की संधि के अन्तर्गत नही आती और नियमित रुप से यूरेनियम की सम्लाई के लिए अमरीका वचनबद्ध है ? यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : किस पर ?

डा० सुशीला नायर : क्या उन्हें जानकारी है कि रेडियो विकिर्णों से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है चाहें विस्फोट शान्तिपूर्ण हो अथवा अन्य प्रकार का ? इनका प्रभाव चार पांच पीढ़ियों तक रहता है । क्या पिछली बार किये गये विस्फोट से प्राप्त रेडियों बिकिर्णों का कोई अध्ययन किया गया है ? क्या वह सुनिश्चित करेंगे कि आगे कोई विस्फोट होने पर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े ।

श्री मोरारजी देसाई : सौभाग्य से ऐसी कोई विकिर्ण पिछले विस्फोट से उत्पन्न नहीं हुई ।

श्री राम जेठमलानी : क्या भारत में लोकतंत्र की स्थापना से अमरीका द्वारा इस पदार्थ की सप्लाई पुन: शुरू की गई है ? क्या निकट भविष्य में हमें स्वतंत्र रूप मे यह पदार्थ मिलता रहेगा

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस बात का विश्लेषण नहीं करना चाहता । बातको और उलझाने से कोई लाभ नहीं है । अत: मैं किसी बाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता ।

श्री राम जेठ मलानी : मेरे दूसरे प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उसका भी उत्तर दे दिया गया है ।

Shri Vijay Kumar Malhotra : It has been stated that there is no condition attached with the supply and we do not recognise any committee. But the Prime Minister has also said that we have to convince them before conducting any nuclear explosion. Is it not a condition ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । ऐसे शब्द आप क्यों जोड़ लेते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन

*446. **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों और एसोसिएशनों के गठन सम्बन्धी नियमों में ढील देने का है ; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये और क्या अन्य प्रभावशाली व्यवस्था **करने** का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्मिक संघों अथवा सेवा ऐसोसियेशनों, जो भी स्थिति हो, के गठन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) सरकार तथा उसके कर्मचारियों को आम सभा के बीच अधिक से अधिक सहयोग स्थापित करने और उनके साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने अक्तूबर, 1966 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तन्त्र तथा अनिवार्य विवाचन के लिए एक योजना लागू की थी । इस योजना के अधीन विभिन्न स्तरों पर संयुक्त परिषदों का गठन किया गया है, जिससे कि सरकार, कर्मचारियों के कार्य तथा सेवा की शर्तों, कर्मचारियों के कल्याण, कार्यक्षमता और कार्य के स्तर में सुधार से संबंधित सामान्य हित के सभी मामलों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श तथा परामर्श कर सके । यह योजना लागू है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत अमरीकी बैठक

448. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीकी बैठक जून, 1977 के दूसरे सप्ताह में अमरीका में हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी हां । विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीकी उप-आयोग की बैठक 16 और 17 जून, 1977 को वाशिंगटन में हुई थी । इस उप-आयोग का गठन अक्तूबर, 1974 में भारत और अमरीका के बीच हुए एक करार के अधीन किया गया था ।

(ख) उप-आयोग में वैज्ञानिक सहयोग और विनिमय के आपसी हितों के कई नए और विस्तारित क्षेत्रों पर सहमति थी । कृषि और जल स्रोतों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जिन विषयों का अभिनिर्धारण किया गया उनमें संशोधित फसल उत्पादन कुशलता, पादप नाशकजीव और रोग नियंत्रण, संशोधित पशु उत्पादन , खाद्य और खाद्य संसाधनों का कोटि सुधार, अकार्बनिक उर्वरकों की कुशलता में सुधार करना, जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण, कागज निर्माण के लिए पादप सामग्री का उपयोग, वन्यजीवन संरक्षण, कृषि विपणन और उत्पादन की अर्थ व्यवस्था और छोटे खेतों और छोटी कृषि व्यापार प्रणालियों का अध्ययन शामिल हैं ।

ऊर्जा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में , सौ ऊर्जा, तरल तल दहन और कोयला दहन तप्त गैस परिशोधन के क्षेत्र में सहयोग के प्रस्तावों पर विचार किया गया । अंतिम दो प्रस्तावों को उस समय अंतिम रूप दिया जाएगा जब अमरीकी विशेषज्ञों का दल भारत आ कर संबंधित भारतीय अभिकरणों से उनके बारे में चर्चा करेगा । यह भी तय पाया था कि पर्यावरणी रूचि के संयुक्त क्षेत्रों पर एक द्विवराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाए । इस बात की आवश्यकता के बारे में भी सहमति हुई की महत्व के विषयों में अनुसंधान और विकास संबंधी समस्याओं का, यथा, शुष्क भूमि अनुसंधान विकास के लिए दूर संवेदन, भूकम्प विज्ञान और भूकम्प इंजीनियरी, का अभिनिर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि सहयोगात्मक कार्यकलापों के लिए विशिष्ट प्रस्तावों का सूत्रपात्र किया जा सके ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुष्ठ रोग और फाइलेरियता और स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के क्षेत्र में नई सहयोगात्मक गतिविधियों का विकास किया गया है । यह भी तय पाया कि मलेरिया और योगाभ्यास के स्वास्थ्य प्रभावों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियों पर अतिरिक्त बल दिया जाए । इन क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के आदान प्रदान को आगे बढ़ाया जाएगा ।

फ्लैट कन्डक्टर केबलों, रेडियों और सूक्ष्म तरंग एन्टीना मापों, स्टैन्डर्ड रेफ्रेंस मेटिरियल्स और आयामी मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाया जाएगा ।

सूचना विज्ञानों के क्षेत्रों में द्विपक्षी संयुक्त भारत-अमरीकी सेमिनारों के पृष्ठांकन के अतिरिक्त उप-आयोग में नई दिशाओं में सहयोगात्मक कार्यक्रमों की संभावना का अन्वेषण करने की आवश्यकता के बारे में भी सहमति थी, यथा, अमरीकी तकनीकी रिपोर्टों तक अधिक रसाई, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में सूचना के संकलन और आयोजन, अमरीकी आंकड़ा स्थानों (डाटाबेसिज) आदि के बारे में भारत में 'आन-लाइन' खोज ।

उप-आयोग ने आपसी हितों के महासमुद्र विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के साधनों के सयुक्त परीक्षण की आवश्यकता का भी अवलोकन किया और इस प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक और अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन करने की सहमति प्रकट की ।

आनन्द मार्ग के श्री आनन्द मूर्ति की रिहाई

452. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस आशय के अभ्यावेदन दिये गये हैं कि आनन्द मार्ग के नेता श्री आनन्दमूर्ति को झूठे साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया था जब वह नजरबन्द थे तब उन्हें जहर दिया गया था और अपील का फैसला होने तक उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये ;

(ख) यदि हो, तो उन व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लेखित कुछ अथवा सभी आधारों पर काफी संख्या में व्यक्तियों तथा संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) आनन्द मार्ग प्रचारक संघ जिसका केन्द्रीय कार्यालय भारत में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय बर्लिन, पश्चिमी जर्मनी में हैं ।

(2) श्री समर गुहा, एम० पी० ।

(3) सैयद अब्दुला बुखारी, शाही इमाम, जामा मस्जिद, दिल्ली ।

(4) लार्ड गार्डिनियर, एम० पी०, यू० के० ।

(5) मिसज जिल नाईट, एम० पी०, यू० के० ।

(6) मिसज ज्योस बटलर, एम० पी०, यू० के० ।

(7) श्री एडवर्ड लोयडेन, एम० पी०, यू० के० ।

(8) लार्ड फेनर ब्रोकवे, एम० पी०, यू० के० ।

(ग) एडिशनल सेशन जज, पटना ने श्री पी० आर० सरकार उर्फ आनन्द मूर्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी/303, 109 तथा 201/109 के अधीन अपराधी ठहराया था तथा 29-11-1976 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी । श्री सरकार ने 25-1-1977 को उच्च न्यायालय में सेशन कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध एक अपील दर्ज की थी । इस को ग्रहण कर लिया गया है और जब ग्रीष्म अवकाश के बाद न्यायालय खुलेगा तो इस पर गौर किया जायेगा । चूंकि मामला न्यायाधीन है, इसलिए यह तय करना न्यायालय का काम है कि श्री पी० आर० सरकार उर्फ आनन्द मूर्ति के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं या नहीं अथवा क्या वह सभी आरोपों से मुक्त किये जा सकते हैं अथवा उनका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है ।

श्री संजय गांधी के सार्वजनिक भाषणों को टेलीविजन पर प्रसारित करना

***453. श्री शिव सम्पत्ति राय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जुलाई, 1975 से 15 मार्च, 1977 तक की अवधि में श्री संजय गांधी के सार्वजनिक भाषणों को तथा देश के भीतर व बाहर विभिन्न स्थानों की उनकी यात्राओं को टेलीविजन पर प्रसारित किये जाने संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) जो फिल्मी सितारे, फिल्मी तारिकायें, केन्द्रीय मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य सरकारी अधिकारी उपरोक्त अवधि में विभिन्न स्थानों की यात्राओं में श्री संजय गांधी के साथ गये उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) श्री संजय गांधी की विभिन्न स्थानों की यात्राओं में उनके जाथ जाने वाले व्यक्तियों का व्यय किसने वहन किया ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) एक विवरण जिसमें जुलाई, 1975 से 15 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान श्री संजय गांधी के सार्वजनिक भाषणों को तथा देश के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों की उनकी यात्राओं को दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने का ब्यौरा दिया हुआ है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग). फिल्म और ध्वनि रिकार्ड करने वाली टीमें, जिन्होंने सभी यात्राओंपर कवर किया, श्री संजय गांधी के साथ नहीं गई थी । वे टीमें स्वतंत्र रूप से इन घटना स्थलों को सरकारी दौरे पर गई थी और उनके यात्रा तथा दैनिक भत्ते का व्यय सरकार द्वारा वहन किया गया था । केन्द्रीय मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के मामले में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा । सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या फिल्मी सितारे और फिल्मी तारिकाएं, जो गैर सरकारी व्यक्ति हैं, श्री संजय गांधी की विभिन्न स्थानों

की यात्राओं के दौरान उनके साथ गए थे । सरकार के लिए इस प्रकार की सूचना फिल्मी कलाकारों से एकत्रित करना भी संभव नहीं है ।

(घ) सरकारी माध्यमों द्वारा श्री संजय गांधी का जो प्रचार किया गया वह उन मामलों में से एक है जिनकी जन सम्पर्क माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी दास समिति ने जांच की है । मामले में आगे कार्रवाई दास समिति के निष्कर्षों और उन पर सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी ।

विवरण

एक जुलाई, 1975 से 15 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान श्री सजय गांधी के सार्वजनिक भाषणों की तथा देश के भीतर और बाहर की उनकी यात्राओं का दूरदर्शन से प्रसारण

दिसम्बर, 1975

10	सफाई अभियान के लिए पुरानी दिल्ली का दौरा।
28—31	कामागाटामारु नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन (यह तत्कालीन प्रधान मंत्री के लिए किये गये प्रसारण का अंग था)

जनवरी, 1976

20	युगोस्लाव युवक प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने के लिए दिल्ली में युवक कांग्रेस का समारोह।
28	दिल्ली में हरिजनों की एक बैठक में भाषण।

फरवरी, 1976

21	कलकत्ता की यात्रा।
23	पटना की यात्रा।
26	भोपाल में अल्पसंख्यक जाति सम्मेलन में भाषण।

मार्च, 1976

7	अ० भा० कां० कमेटी की बैठक में भाषण।
13	नई दिल्ली नगर पालिका की दिल्ली में आवास बस्तियों का दौरा ।
21 और 22	आंध्र प्रदेश की यात्रा।
24 और 25	बीकानेर की यात्रा।
28 और 29	लखनऊ और रायबरेली की यात्रा। मलयालम दैनिक के साथ इंटरव्यू।

अप्रैल, 1976

4 से 16 तक	फिरोजपुर, अमृतसर और पंजाब के दूसरे स्थानों तथा उत्तर प्रदेश में बड़ौत की यात्रा।

मई, 1976

2 और 3	आगरे की यात्रा।
17 और 18	उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर की यात्रा।
23 से 26 तक	पश्चिमी बंगाल की यात्रा।

जून 1976

5 से 11 तक	मास्को, यारावन और ताशकन्द की यात्रा (यह तत्कालीन प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा का किये गये प्रसारण का अंग था)।
20	पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा।
29	बुलन्दशहर की यात्रा।

जुलाई, 1976

1	सुल्तानपुर और अमेठी की यात्रा।
9 और 10	लखनऊ और सुल्तानपुर की यात्रा।

अगस्त, 1976

1	हरियाणा में परिवार नियोजन कैंपों का दौरा।
4	भटिंडा, पंजाब की यात्रा।
6	दक्षिणी दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों का दौरा।
8	दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों का दौरा और युवक कांग्रेस की बैठक में भाषण।
21	दिल्ली में राजघाट, शान्तिवन और विजयघाट की यात्रा।
24	दिल्ली में एक परिवार नियोजन कैंप में भाषण।

सितम्बर, 1976

6	दक्षिण दिल्ली की कालोनियों का दौरा।
21	दिल्ली में परिवार नियोजन कम्पों का दौरा।

अक्टूबर, 1976

2	नरेला में एक नई सड़क का उदघाटन।
3 और 4	बांसवाड़ा, राजस्थान की यात्रा।
8 से 10 तक	मारीशस की यात्रा (यह तत्कालीन प्रधान मंत्री की यात्रा का किये गये प्रसारण का भाग था)।
13	मारीशस से वापिसी (फिल्म)।
16 और 17	वाराणसी, इलाहाबाद और फतेहपुर की यात्रा।
18	कानपुर की यात्रा।
21	अजनाला में एक युवक कैंप का दौरा।
29 से 31 तक	बम्बई, पूना, नागपुर, नालन्दा और औरगाबाद की यात्रा।

नवम्बर, 1976

9	यजनाला की यात्रा।
14	दिल्ली में एक डाकघर का शिलान्यास करना।
17	दिल्ली में प्रेस कान्फ्रेंस।
18 से 25 तक	कलकत्ता में तथा गोहाटी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भाषण और कार्यक्रम। (यह तत्कालीन प्रधान मंत्री के लिये किये गये प्रसारण का भाग था।)
28	मद्रास के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा।

दिसम्बर, 1976

5 से 7 तक	सहारनपुर, देहरादून और हरिद्वार की यात्रा।
12	दिल्ली में श्रमिक कालोनी का शिलान्यास।
14	दिल्ली में युवक पत्रिका का उद्घाटन।
18 और 19	बिहार की यात्रा।
23	दिल्ली में आर्ययुवक सम्मेलन का उद्घाटन।
25 और 26	आंध्र प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा और यवक कांग्रेस की बैठक में भाषण।

जनवरी, 1977

3 से 6 तक	लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, जौनपुर और रायबरेली की यात्रा।
8 से 10 तक	फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया की यात्रा।
11	करनाल की यात्रा।
13	दिल्ली में विवाह परामर्श खंड का उद्घाटन।
15	पटियाला की यात्रा।
16	गंगानगर, बीकानेर और जयपुर की यात्रा।
17 से 30 तक	उड़ीसा की यात्रा।
31	दिल्ली में भाषण।

फरवरी, 1977

17	सुल्तानपुर की यात्रा।
18	दिल्ली में भाषण।
22	दिल्ली में कांग्रेस जनों में भाषण।
25	दिल्ली में परिवार नियोजन रैली में भाषण।

मार्च, 1977

15	सुल्तानपुर के निकट संजय गांधी की कार पर कथित गोली चलाये जाने के बारे में समाचार (इसको रेडियो पूल कापी के आधार पर समाचार बुलेटिन में "ड्राई" समाचार के रूप में लिया गया था)।

छोटे समाचार पत्र

*454. **श्री वसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़े बड़े व्यापारियों के स्वामित्वाधीन बड़े समाचार पत्रों के साथ प्रतियोगिता में छोटे समाचार पत्रों के अस्तित्व को बनाये रखने का सुनिश्चय करने हेतु मूल्य-पृष्ठ सारिणी (प्राइस पेज शिड्यूल) लागू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्षेत्रीय भाषाओं के छोटे समाचार पत्रों के विकास को सुरक्षित रखने तथा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, हां । आल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ने 17 दिसम्बर, 1976 की अपनी साधारण बैठक में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें सरकार से पृष्ठानुसार मूल्य सूची लागू करने का अनुरोध किया गया था ।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय ने सकाल पेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ (1962) 3 एस०सी०आर० 842 के मामले में और 1972-73 के लिए अखबारी कागज की आयात नीति पर रिट याचिकाएं संख्या 334/71, 1972 की 175, 186 और 264 पर समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत पास किए गए आदेश को असंवैधानिक और प्रवृत्तिहीन घोषित किया था । अतः नया कानून बनाने और पृष्ठानुसार मूल्य सूची को फिर से लागू करने के प्रश्न की ध्यानपूर्वक जांच किए जाने की आवश्यकता है ।

छोटे समाचार पत्रों की सुरक्षा करने और उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

छोटे समाचार पत्रों को दी जानेवाली सहायता

छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय की कई सेवाएं हैं । कृषि उद्योग, विज्ञान एवं टेक्नोलाजी और सामाजिक विज्ञान में हुए विकास के बारे में सरल और संक्षिप्त कहानियां प्रति मास तैयार की जा रही हैं और उनको सभी मुख्य भाषाओं में जारी किया जा रहा है । पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा प्रदेश की भाषाओं में समाचारों का सार जारी किया जाता है ।

छोटे समाचार पत्रों को फोटो और एबोनाइड ब्लाक की सप्लाई भी किए जाते हैं । एबोनाइड ब्लाकों की सप्लाई, जो 1964 में शुरू की गई थी, से उन पत्रों की मदद होती है, जो ब्लाक बनाने का खर्चा नहीं उठा सकते ।

लिथो प्रक्रिया से छपने वाले उर्दू पत्रों की सहायता करने और उनको प्रोत्साहन देने के लिए 'चर्बा' के रूप में एक नई फोटो सेवा सितम्बर, 1971 में शुरू की गई थी । 'चर्बा' पुनर्मुद्रण के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कागज पर जिंक ब्लाक का छाप होता है ।

छोटे समाचारपत्र अखबारी कागज की अपनी हकदारी "नेपा" अखबारी कागज, जो आयातित अखबारी कागज से सस्ता है, से ले सकते हैं। उनको यह भी छूट है कि वे अपनी समूची हकदारी का अखबारी कागज हाई सी बिक्री आधार पर लें।

मुद्रण यंत्रों और सम्बन्धित उपकरणों के आयात के लिए छोटे समाचारपत्रों को मझोले और बड़े समाचारपत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है ।

2,000 प्रतियों से कम प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों को अखबारी कागज की अपनी खपत प्रमाणित करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाणपत्र देने संबंधी उपबधों से छूट है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा छोटे समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों का विशेषकर जन अभियानों, जिनके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के पाठकों की जरूरत होती है, के लिए अधिकाधिक उपयोग करने का पुरा प्रयास किया जाता है।

कान्डला पत्तन न्याय में भर्ती के नियम

*455. **श्री अनत दवे :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन न्यास बनाने से पूर्व कांडला पत्तन न्यास में भर्ती संबंधी जो नियम विद्यमान थे, उन्हें पत्तन न्यास प्राधिकारियों द्वारा मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1963 की धारा 29(1)(एफ०) का उल्लंघन करते हुए अपने चहेते लोगों के लाभ के लिए बदल दिया गया है।

(ख) क्या कांडला पत्तन न्यास में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों में इस पर बहुत अधिक रोष है;

(ग) क्या भर्ती संबंधी नियमों को इस प्रकार मनमाने ढंग से बदल देने के कारण उन वरिष्ठ कर्मचारियों को बड़ी परेशानी हुई है जो पनोन्नति आदि से वंचित हो गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मई, 1976 में मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ विचार विमर्श से किये गये मान्य निष्कर्षों के अनुसार कांडला पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा कुछ श्रेणियों में प्रोन्नति के अवसर व्यापक बनाने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए और कांडला पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और प्रोन्नति) विनियम, 1964 के विनियम 7 के अन्तर्गत बोर्ड को उपलब्ध अधिकारों के भीतर हैं।

(ख) से (घ) कुछ श्रेणियों में, जहां ऐसे कर्मचारी कुछ अतिरिक्त श्रेणियों के साथ उच्च प्रोन्नति के पदों में हिस्सा बंटायेंगे, वहां नवीनतम परिवर्तनों से कर्मचारियों के प्रोन्नति के अवसरों पर असर पड़ा । इस संबन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और कांडला पत्तन न्यास ने यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया और मामले की जांच हो रही है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयोजना सबंधी परियोजना प्रतिवेदन

*456 **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों के लिये उपयोजना संबंधी परियोजना प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) उपयोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों को 155 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में लाया जाना है । राज्य सरकारों ने अब तक 121 परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिन पर विचार-विमर्श किया जा चुका है और कुछ निरीक्षण करने पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं ।

(ख) नये कार्यक्रम के कार्यान्वयन से राज्य योजनाओं से निवेश का स्तर 1976–77 में लगभग 170 करोड़ से 1977–78 में 259 करोड़ तक काफी बढ़ाया जा रहा है । इस वर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता 55 करोड़ रुपये की होगी जब कि पिछले वर्ष में 40 करोड़ रुपये थी । राज्य सरकारों से योजना के पहले तीन वर्षों में वास्तविक उपलब्धियों का विस्तृत पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में अणुशक्ति संयंत्र की स्थापना

*457. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में अणुशक्ति संयंत्र स्थापित करने का प्रश्न गत कुछ वर्षों से परमाणु ऊर्जा आयोग के विचाराधीन था ;

(ख) क्या ऐसा अणुशक्ति संयंत्र स्थापित करने की वांछनीयता के बारे में राज्य सरकार तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के बीच कई बार विचार-विमर्श हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो इन विचार-विमर्शों में सहमति तथा असहमति किन-किन बातों पर थी ;

(घ) क्या प्रस्तावित संयंत्र से उड़ीसा तथा बिहार की भी बिजली सप्लाई की मांग काफी मात्रा में पुरी हो जायेगी ; और

(ङ) सरकार का विचार इस विषय में कब तक अन्तिम निर्णय करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (ङ) पश्चिमी क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के प्रश्न पर नवम्बर, 1974 में पश्चिमी बंगाल के राज्य योजना बोर्ड के साथ हुए विचार-विमर्श में उस बोर्ड को यह परामर्श दिया गया था कि वह इस बारे में विस्तृत अध्ययन करे कि पूरे क्षेत्र तथा राष्ट्र की ऊर्जा संबंधी नीति के संदर्भ में, इस क्षेत्र की बिजली संबंधी आवश्यकता

की पूर्ति किसी अवधि विशेष के लिए करने हेतु ताप-बिजली, पन-बिजली तथा परमाणु बिजली के उत्पादन की कौन सी मिली-जुली व्यवस्था इष्टतम तथा अनुकूलतम सिद्ध हो सकती है । बोर्ड को यह भी परामर्श दिया गया था कि यदि इस अध्ययन से यह पाया जाए कि पश्चिमी क्षेत्र में परमाणु बिजली घर का लगाया जाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक सिद्ध होगा तो उसके लिए ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया जाए । आगे की कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़े वर्गों के लिये आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

*458. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों के लिये आयोग, जिसे 1956 में स्थापित किया गया था तथा जिस पर लाख रुपये खर्च किये गये, की सिफारिशों को सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों की तुलना में इन समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक दुर्दशा को देखते हुए इन व्यक्तियों के उत्थान के लिये उन सिफारिशों को अब क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 340(3) में विहित प्रावधान के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की रिपोर्ट, एक ज्ञापन के साथ जिसमें उस पर की गयी कार्यवाही का उल्लेख किया गया था, 3 सितम्बर, 1956 को सभा के पटल पर रखी गई थी । अब सरकार ने नागरिक अधिकार आयोग का गठन करने का निर्णय कर लिया है जो, अन्य बातों के साथ पिछड़े वर्गों के संरक्षणों की देखभाल करेगा ।

इलेक्ट्रोनिक घड़ियों का निर्माण

*459. **श्री निहार लास्कर :**
श्री के० लक्कप्पा :

क्या **इलेक्ट्रोनिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत 16 महीनों में इलक्ट्रोनिक घड़ियों के निर्माण के लिए 10 से अधिक पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस दिये थे और उन में से केवल एक पार्टी ही काम कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या कुछ प्रतिबन्धों के कारण सरकार निर्यात के अवसर भी खो रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) तथा (ग) पिछले सोलह महीनों में अर्थात् मार्च, 1976 से जून, 1977 की अवधि में शत प्रतिशत निर्यात के आधार पर इलैक्ट्रोनिक घड़ियों के निर्माण के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में 5 अनुमोदन प्रदान किए गए तथा संगठित क्षेत्र में एक पार्टी को एक आशय-पत्र प्रदान किया गया । इन छः कारखानों में से केवल एक ही यूनिट से कच्ची सामग्रियों के आयात लाइसेंस के बारे में आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ और उस एकक को दिसम्बर,

1976 में आयात लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की गई है। यह पार्टी उत्पादन की दिशा में प्रयत्नशील है ।

(घ) जी, नहीं ।

कोचीन गोदी में रिक्त स्थान

*460. **श्री के० ए० राजन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन गोदी में 50 प्रतिशत रजिस्टर्ड कर्मचारियों के पद रिक्त हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) कोचीन गोदी श्रम बोर्ड के अन्तर्गत 2127 पंजीकृत कर्मकारों की मूल संख्या की तुलना में 1–6–1977 को यह संख्या 1018 थी ।

(ग) गोदी में रोजगार की उपलब्धता में कमी के कारण, कर्म कारों की मूल संख्या वास्तविक आवश्यकता से अधिक हो गयी थी ।

कर्षनावों (टगों) का आयात

*462. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पत्तन न्यासों ने कर्षनावों (टगों) के आयात करने के निर्णय का समर्थन किया है जबकि देश में वर्तमान शिपयार्डों में मुख्य पत्तनों के लिए आवश्यक कर्षनावों (टगों) के निर्माण की पर्याप्त क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य पत्तन न्यास देश में उनका निर्माण कराने की बजाये उनका आयात किन कारणों से करने को उद्यत हुए; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) से (ग) पिछले दस वर्षों में, भारत में 10 बड़े पत्तनों अर्थात् 8 पत्तन न्यास और भारत सरकार द्वारा संचालित न्यू मंगलौर और न्यू तूतीकोरिन को 2 बड़े पत्तनों के लिए कुल 27 कर्षनावों का आर्डर दिया गया है । इनमें से केवल 2 बनती हुई कर्षनावों कन, एक मद्रास के लिए और एक विशाखापत्तनम के लिए, इन पत्तनों में कर्षनाव-शक्ति की व्यवस्था करने की तात्कालिक आवश्यकता और इन कर्षनावों को समय पर उपलब्ध कराने में देशी शिपयार्डों की असमर्थता को ध्यान में रखते हुए 1970 में आयात किया गया ।

चार और कर्षनावों के लिए टेंडर आमन्त्रित किए गए हैं / किए जा रहे हैं, जिनमें से काण्डला और न्यू तूतीकोरिन पत्तनों के लिए एक-एक और न्यू मंगलौर पत्तन के लिए 2 कर्षनावें हैं ।

जैसा कि आंकड़ों से प्रकट हो जायेगा, कि इस प्रयोजन के लिए देशी उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता

*463. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को जिलों में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण की उनकी योजना-परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975, 1976 और 1977 के तत्सम्बन्धी राज्यवार तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और गांधी नगर के विशिष्ट जिलों के लिये और अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) राज्य और संघ शासित क्षेत्र, उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए, अपने अपने क्षेत्रों के जिलों में चरणबद्ध रूप में 100 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण करने के लिए योजनाएं तैयार करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं । उन योजनाओं के लिए धन मुख्य रूप से उनकी अपनी योजना के साधनों से दिया जाता है । राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की गयी विशिष्ट योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ग्राम विद्युतीकरण लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाती है । ये बोर्ड, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से, अनुसूचित बैंकों से तथा ग्रामीण डिवेंचर जारी करके भी साधन जुटाते हैं ।

(ख) 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 (अप्रैल-जून 1977) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण द्वारा दी गयी ऋण सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) अहमदाबाद जिले में ग्राम विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने केवल दो परियोजनाएं ही प्रायोजित की हैं । इन परियोजनाओं को ग्राम विद्युतीकरण निगम ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है । गांधीनगर जिले के लिए बोर्ड से कोई परियोजन प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) अहमदाबाद जिले के लिए अनुमोदित दो स्कीमों के ब्यौरे नीचे लिखें अनुसार हैं :

स्कीम का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्कीम में शामिल ग्राम	स्कीम में शामिल पम्पसैट	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपए)
अहमदाबाद जिले का देहगाम तालुक.	31-12-73	46	650	40.34
अहमदाबाद जिले का धोलका तालुक	31-5-74	64	875	39.13

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम	वितरित की गयी ऋण राशि 1975-76	1976-77	1977-78 (अप्रैल-जून)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.90	7.32	0.17
2.	असम	2.37	2.52	—
3.	बिहार	7.69	9.37	0.87
4.	गुजरात	2.74	3.94	—
5.	हरियाणा	1.16	1.70	0.09
6.	हिमाचल प्रदेश	1.48	1.51	—
7.	जम्मू और कश्मीर	2.48	3.64	0.12
8.	कर्नाटक	2.89	3.31	—
9.	केरल	1.30	0.86	—
10.	मध्य प्रदेश	7.35	12.10	0.14
11.	महाराष्ट्र	3.83	3.86	0.07
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	0.83	1.19	—
14.	नागालैण्ड	0.38	0.48	—
15.	उड़ीसा	7.46	7.07	0.52
16.	पंजाब	3.12	4.92	0.36
17.	राजस्थान	5.33	8.11	0.49
18.	तमिलनाडु	2.87	2.43	0.01
19.	त्रिपुरा	0.49	0.63	—
20.	उत्तर प्रदेश	7.13	6.99	1.91
21.	पश्चिम बंगाल	6.74	6.24	—
	जोड़	72.54	88.19	4.57

इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलोजी डेवेलपमेंट कारपोरेशन द्वारा टेलीविजन निर्माताओं को आयातित पिक्चर ट्यूब की बिक्री

*464. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या इलेक्ट्रोनिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलोजी डेवेलपमेंट कारपोरेशन का विचार आयातित पिक्चर ट्यूबों की सीधे टेलीविजन निर्माताओं को बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सप्लाई उन्हें किस कीमत पर की जायेगी; और

(ग) टेलीविजन के मूल्य में कितनी कमी होगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) 375 रुपये ।

(ग) सरकार ने वर्ष 1977–78 के केन्द्रीय बजट में घोषणा की है कि दूरदर्शन सेटों पर 5 प्रतिशत उत्पादन-शुल्क की रियायती दर केवल उन्हीं सेटों को प्राप्त होगी जिनका कारखानागत मूल्य 1600 रुपये तक है; उत्पादन शुल्क की यह निचली दर वर्ष 1976–77 के दौरान उन सेटों पर लागू थी जिनका कारखानागत मूल्य 1800 रु० था । सरकार को आशा है कि दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के कारखाना गत मूल्य को 465 रु० से घटा कर 375 रु० कर देने अर्थात् 90 रु० कम कर देने से तथा दूरदर्शन सेटों के उत्पादन के लिये आवश्यक विभिन्न अन्य उपादानों के मूल्यों में कटौती के परिणामस्वरूप (जैसा कि दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब उद्योग के लागत और मूल्य के ढांचे पर गठित मराठे पैनल ने निष्कर्ष निकाले हैं) निर्माताओं को अपने सेटों के कारखानागत मूल्य को 1800 रु० से घटा कर 1600 रु० (तथा उससे भी कम) करने में सहूलियत होगी और वे केवल इस एक ही तरीके से उपलब्ध निचले स्तर के उत्पादन शुल्क क लाभ उठा सकेंगे । इस आधार पर किसी स्टैण्डर्ड एवं 51 से० मी० आकार वाले सिंगल चैनल दूरदर्शन सेट के उपभोक्ता मूल्य में लगभग 210 रु० तक गिरावट आने की सम्भावना है ।

हिमाचल प्रदेश में कोयला खानों का प्रबंध

3285. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में अधिकांश प्रबन्धकों ने खनिकों पर अत्यधिक दबाव डाला है, उनका कार्य-भार बढ़ाया है और कर्मचारियों के अभ्यावेदन का माध्यम समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार सिंगरैनी कोलियरीज़ (जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है) के प्रबन्धकों द्वारा कामगारों पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला गया है । सिंगरैनी कोलियरीज़ कम्पनी लि० ने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की है तथा "प्रोत्साहन योजनाओं" जैसे तरीके अपनाए हैं जिनको कामगारों के प्रतिनिधियों से सलाह करके लागू किया गया है । सिंगरैनी कोलियरीज़ में कामगारों द्वारा अपनी शिकायतें रखने या अन्य तरीकों से अभिवेदन आदि देने की पद्धतियां मौजूद हैं और उनके अनुसार कार्य भी हो रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Amount spent by Assam Government on A.I.C.C. Session in Gauhati

3286. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report that a sum of about Rs. 54 crore was spent by the Assam Government on the last Gauhati Session of the All India Congress Committee; and

(b) if so, Government's reaction thereto

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) Yes, Sir.

(b) One of the Memoranda of allegations received against the Chief Minister of Assam relates to the arrangements made in connection with the session of the All India Congress Committee held at Jawahar Nagar nead Gauhati. The Chief Minister has also sent a communication on this subject. The matter is being processed in accoordance with the usual procedure.

कृषि तथा सिंचाई के लिये धन का नियतन

3287. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के लिए, राज्यवार, कृषि और सिंचाई के लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है और वहां की प्रमुख परियोजनाओं सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस नियत धनराशि में से कितनी राशि अब तक खर्च की जा चुकी है तथा क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार पूरी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शेष योजना-वधि के लिए नियत धनराशि तथा लक्ष्यों का पुनर्विलोकन अथवा पुनर्निर्धारण करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना के विवरण (1 से 10 तक) सभा पटल पर प्रस्तुत हैं । [ग्रन्थालय में रखे गए । **देखीयें** संख्या एल० टी०–679/77]

(ग) जैसा कि 1977–78 के बजट में बताया जा चुका है, निम्नलिखित क्षेत्रों के के अन्तर्गत अतिरिक्त परिव्ययों की व्यवस्था की गई है । उनके राज्यवार आवंटन तैयार किए जा रहे हैं ।

श्री सिद्धार्थ बंडोडकर की मृत्यु के बारे में जांच

3288. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन तथा दीव के मुख्य मंत्री के भाई श्री सिद्धार्थ बंडोडकर की 8 दिसम्बर, 1975 को गोली लगने के फलस्वरुप घायल होने के कारण कुछ महीने पूर्व मृत्यु हुई थी ।

(ख) क्या श्री सिद्धार्थ बंडोडकर गैर-लाइसेंसशुदा पिस्तौल की गोली से घायल हुये थे, और पिस्तौल पर ऊंगलियों के कोई निशान नहीं थे ;

(ग) क्या श्रीमती अनुराधा बंडोडकर बनाम लीना चन्दावरकर, मृतक की विधवा पत्नी ने सरकार के पूरे मामले की जांच करने के लिए आवेदन-पत्र दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस आवेदन-पत्र का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) : गोवा, दमन व दीव के मुख्य मंत्री के भाई श्री सिद्धार्थ बंडोडकर 18 दिसम्बर, 1975 को पिस्तौल की गोली से घायल हो गए थे। गोवा मडिकल कालेज अस्पताल और उसके बाद जसलोक अस्पताल, बम्बई में इलाज के बाद वे अगस्त, 1976 में गोवा लौटे। 21 अक्तूबर, 1976 को वे बीमारी में खराबी के होने के कारण इलाज के लिए जसलोक अस्पताल में दाखिल किए गए। उनका आपरेशन किया गया किन्तु उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई और 7 नवम्बर, 1976 को अर्थात् पहली चोट के ग्यारह महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई।

(ख) गोवा, दमन व दीव के उपराज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार जिस पिस्तौल से श्री बंडोडकर घायल हुए थे, बिना लाइसेंस की थी और उस पर कोई अंगुली चिह्न नहीं थे ;

(ग) तथा (घ). मृतक की विधवा श्रीमती अनुराध बंडोडकर ने 29 मई, 1977 के अपने पत्र में अपने पति की मृत्यु की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने की प्रार्थना की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दूसरी बार जसलोक अस्पताल में उनके पति का गलत इलाज किया गया था। मामले पर गौर किया जा रहा है।

डिफेंस सिविलियन पेंसनर्स एसोसिएशन का अभ्यावेदन

3289. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स एसोसिएशन, पूणे की ओर से अपनी विभिन्न मांगों के बारे में दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 का एक ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स एसोसिएशन, पूणे का 11 दिसम्बर, 1976 का अभ्यावेदन तत्कालीन प्रधान मंत्री के नाम भेजा गया था। उक्त अभ्यावेदन की एक प्रति रक्षा मंत्रालय में भी प्राप्त हुई थी, और वित्त मंत्रालय के परामर्श से उस पर विचार किया गया था ; अभ्यावेदन में की गई मांगों को स्वीकार कर पाना सम्भव नहीं पाया गया क्योंकि मांगें सामान्य प्रकार की थीं, जिनसे केन्द्र सरकार के सभी पेंशन पाने वाले प्रभावित होते हैं, न कि केवल डिफेंस सिविलियन पेंशनर।

श्रीनगर में छावनी क्षेत्र

3290. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर के छावनी क्षेत्र में जहां तक सड़कों, नालियों, सफाई और रोशनी का सम्बन्ध है, वे बहुत खराब हालत में हैं ;

(ख) बादामीबाग (श्रीनगर) के छावनी बोर्ड के लिए कितनी वार्षिक धनराशि दी जाती है ; और

(ग) क्या छावनी क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष अधिक धनराशि का आवंटन किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) : कुछ क्षेत्रों में स्थिति पूर्ण संतोषजनक नहीं है।

(ख) सभी छावनी बोर्डों को धन आवंटित नहीं किया जाता है। परन्तु धन उपलब्ध रहने पर विशेष, छावनियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घाटे वाले बोर्डों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है। गत दो वर्षों में बादामीबाग छावनी बोर्ड को अनुदान के रूप में कुल मिलाकर निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई :—

1975–76	2,34,830,00 रुपए
1976–77	2,99,080,00 रुपए

(ग) चालू वर्ष के लिए 2,84,800 रुपए का अन्तिरिम सहायता अनुदान स्वीकार किया गया है। छावनी बोर्ड के बजट के घाटे और विभिन्न छावनी बोर्डों को आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए आगे और धन आवंटित करने पर विचार किया जाएगा।

II रत्नागिरि में आकाशवाणी केन्द्र

3291. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण–कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या औपचारिक उदघाटन समारोह न होने से उक्त केन्द्र अभी नियमित रूप से चालू नहीं हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) अन्तरिम स्टूडियो ढांचे के साथ 20 किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रान्समीटर 30 जनवरी, 1977 से नियमित रूप से चालू हो गया है। स्थायी स्टूडियो ढांचे के वर्ष के अन्त तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन में वाणिज्यिक विज्ञापनों से आय

3292. **श्री दुर्गाचन्द्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन में वाणिज्यिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने की तारीख से वाणिज्यिक विज्ञापनों से कितनी आय हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : 30 जून, 1977 तक बुक किए गए व्यवसाय के अनुसार 1–1–76 से 3–6–77 तक दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापनों से कुल 1,84,37,200/– रुपए की आय हुई।

नागालैंड सरकार द्वारा भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के दौरे के समय किया गया खर्च

3293. **श्रीमती रानी एम० शायजा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड सरकार ने नागालैंड में गत वर्ष कांग्रेस पार्टी के उद्घाटन के समय भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, श्री डी० के० बरुआ तथा दल के अन्य सदस्यों की यात्रा के दौरान कितनी राशि खर्च की;

(ख) यह खर्च लेखे के किस शीर्षक के अधीन वहन किया गया; और

(ग) सरकार का विचार कांग्रेस पार्टी के लिये किये गये उक्त खर्च, जिसकी व्यवस्था बजट में नहीं थी, को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख). नागालैण्ड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मोकोकचुन्ग (नागालैंड) में कांग्रेस दलके उद्घाटन समारोह के सम्बन्ध में कोई खर्च नहीं किया गया था। किन्तु राज्य सरकार द्वारा, 16 वाहनों पर, दो मुख्य मंत्रियों, जो पड़ौसी राज्यों के तीन मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में एक उप मंत्री के प्रयोग के लिये दिये गये थे, 4000/– रुपये खर्च किये गये थे। उसके बाद कुछ मंत्रियों ने मोकोकचुन्ग के निकट उन दो गांवों का दौरा किया जहां जिला प्रशासन ने उनके सम्मान में सार्वजनिक स्वागत समारोह तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनों का आयोजन किया था जिसके लिए 5800/– रुपये खर्च किये गये थे। राज्य सरकार ने अपने भण्डारों से सी०जी०आई० चादरों, जी०आई० पाइपों इत्यादि जैसा कुछ सामान भी दिया था। यह सामान समारोह समाप्त होने के बाद राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।

(ग) चूंकि उपरोक्त खर्च दौरा करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत समारोह इत्यादि पर ही किया गया अतः वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

3294. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न 'छावनी बोर्ड कर्मचारी संघों' से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि उनके लिए लागू की गई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर भी लागू होनी चाहिए जो 1 मई, 1976 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) इन अनुरोधों को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं समझा गया।

बड़े बन्दरगाहों का विकास

3295. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े बन्दरगाहों के विकास के लिए अनुमोदित राशि का जो कम उपयोग हुआ है, उसकी प्रतिशतता बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो अलग अलग प्रतिशतता कितनी है तथा राशि का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान बड़े पत्तनों के विकास के लिये स्वीकृत राशियों के उपयोग की स्थिति निम्न प्रकार है :—

पत्तन परियोजना	चौथी योजना में मूल अनुमानित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था (मध्यावधि मूल्यांकन के बाद)	कुल व्यय	संशोधित व्यवस्था की तुलना में उपयोग की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
कलकत्ता . . .	5.86	4.39	3.19	72.67
हल्दिया गोदी परियोजना हल्दिया जलमार्ग निकर्षण	40.00	50.00	72.56 2.26	149.64
बम्बई . . .	48.14	25.62	17.07	66.63
मद्रास . .	20.84	36.43	30.81	84.57
कोचीन . . .	17.89	18.00	7.47	41.50
विशाखापत्तनम .	51.65	56.86	62.63	110.15
कांडला . . .	9.45	9.00	5.05	56.11

*पांचवीं योजना में व्यवस्था की गई है।

1	2	3	4	5
मारमुगांव	22.00	32.00	21.19	66.22
पारादीप .	14.00	17.00	13.48	79.29
नव मंगलौर पत्तन .	16.00	18.00	21.01	116.72
नव तूतीकोरिन पत्तन .	17.00	22.00	18.61	84.59
भागीरथी-हुगली नदी प्रशिक्षण कार्य	8.00	5.00	4.47	89.40
केन्द्रीय निष्कर्षण संगठन .	9.00	10.01	9.80	97.90
	279.83	304.31	289.60	95.16

स्वीकृत राशियों के कम उपयोग के कुछ कारण ये हैं :—

(i) अभी भी विचाराधीन कुछेक योजनाओं का मूल्यांकन;

(ii) कार्यों के निष्पादन के दौरान आने वाली कठिनाइयां; जैसे मारमुगांव जलमार्ग में सख्त पदार्थों का निकर्षण।

(iii) उस अवधि के दौरान इस्पात की आम कमी और निर्माण सामग्री के इधर-उधर ले जाने में कठिनाइयां।

(iv) देशी निर्माताओं द्वारा माल की धरा उठाई के लिए संयंत्र, उपकरण तथा कर्ष नावों व निष्कर्षकों सहित अन्य पत्तन जलपोत की आपूर्ति में विलम्ब।

(v) गृहों तथा गैर-कार्यात्मक भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम

3296. **डा० विजय मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को, जिसे 18 सितम्बर, 1976 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, किस तारीख से लागू किया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मंत्रियों के लिए वैयक्तिक कर्मचारी

3297. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों/राज्य स्तर के मंत्रियों और उप मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारी तैनात करने का क्या मानदण्ड है;

(ख) क्या सम्बद्ध मंत्री को बाहर से भी अपनी पसन्द के कर्मचारियों का चयन करने की छूट है;

(ग) क्या मंत्रियों के साथ कर्मचारियों की तैनाती और नियुक्ति के लिए वैयक्तिक कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए चुने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों का कोई पैनल है; और

(घ) मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के रैन्कों और संवर्गों को यदि निर्धारित किया गया हो, तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री अपने वयक्तिक स्टाफ में स्वीकृत पदों पर, अपनी पसन्द के व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए कोई पैनल नहीं है। फिर भी, विशेष सहायक के पदों के कर्तव्यों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, सामान्य प्रथा यह है कि इन पदों पर, सेवारत सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाये।

(घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-680/77]

रोजगार के अवसरों में क्षेत्रीय असामानता

3298. **श्री के० प्रधानी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की प्रतिशतता के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) रोजगार में वृद्धि यदि परिवर्तन हुए हों तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) यदि कोई क्षेत्रीय असंतुलन हो तो उसे दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में पिछले दो वर्षों में, अर्थात् 1974-75 और 1975-77 में रोजगार में वृद्धि की प्रतिशतता के तुलनात्मक आंकड़े संग्लन विवरण में दिए गए है।

(ख) इन दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार की निश्चित वृद्धि दर दिखाई दी है। रोजगार की वृद्धि में कोई एकरूपता दिखाई नहीं देती।

(ग) क्षेत्रीय असंतुलनों को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं योजना में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इन असंतुलनों को दूर करने के उद्देश्य से भविष्य में भी कार्यक्रम बनाए जाएंगे।

विवरण

पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में रोजगार की वृद्धि-दर

क्षेत्र/राज्यसंघ शासित क्षेत्र	प्रतिशत भिन्नता	
	1975–76	1976–79
1	2	3
1. पूर्वी क्षेत्र . . .	+2.7	+1.5
(1) बिहार	+ 0.8	+1.6
(2) उड़ीसा	+1.0	+9.2
(3) पश्चिम बगाल . .	+4.1	+0.1
2. **पश्चिमी क्षेत्र**	+1.4	+2.7
(1) गुजरात	+2.3	+0.5
(2) महाराष्ट्र	+0.9	+3.5
(3) गोवा, दमण और दीब	+7.0	+3.4

नोट : 1. यह आवश्यक नहीं है कि अलग-अलग राज्यों के रोजगार के आंकड़े क्षेत्री जोड़ से मेल खाते हों क्योंकि ये आंकड़े पूर्णाकों में दिए गए है।

2. पूर्ण आंकड़ों पर प्रतिशतता की गणना की गई हैं ।

3. आंकड़े प्राप्त न होने के कारण मणिपुर को छोड़ दिया गया है ।

4. नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को अभी ई० एम० आई० कार्यक्रम में शामिल किया जाना है ।

स्रोत : श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महा निदेशालय) रोजगार सूचना आंकड़े ।

राजमहल थाना के शरणार्थियों के लिये भारतीय नागरिकता

3299. फादर एन्थनी मुरमू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963 के बाद बंगलादेश से आये सैंकड़ों शरणार्थी राजमहल थाना (पुलिस स्टेशन) में हैं जिन्हें बार-बार याचिकाएं देने के बावजूद अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है; और

(ख) क्या उक्त शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में इस विलम्ब और खामोश मानहानी के कारण उस बस्ती में बहुत से भूमि-विवाद और झगड़ों हो रहे है जहां शरणार्थी रहते है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 92 शरणार्थियों के आवेदन-पत्र भारतीय नागरिकता प्रदान करने के बारे में अभी विचाराधीन हैं । इन व्यक्तियों का भारतीय नागरिक के रूप में अपने रिजस्ट्रेशन के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने थे । अब इन्होंने ऐसा कर दिया तथा उनके आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान करने के लिए कारवाई की जा रही है । इस मामले से उत्पन्न भूमि विवाद आदि के बारे में सूचना बिहार सरकार से अभी प्राप्त होनी है ।

विद्युत प्रजनन को बढ़ाना

3301. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में कितनी अतिरिक्त विद्युत प्रजनन क्षमता बनाई गई और देश में राज्य-वार तथा परियोजना-वार वतमान क्षमता कितनी है और उसका वस्तुत: कितना उपयोग होता है; और

(ख) विद्युत प्रजनन को बढ़ाने के लिये क्रियान्वित की जा रही अथवा स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन योजनाओं को सभवत: कब तक चाल कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) 1976–77 के दौरान 1712·1 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई थी जिसमें 980 मेगावाट ताप क्षमता तथा 732.1 मेगावाट जल विद्युत क्षमता शामिल है । दो विवरण––एक ताप विद्युत के लिए तथा दूसरा जल विद्युत के लिए––क्रमश: उपाबंध एक तथा उपाबंध दो के रूप में संलग्न हैं । इन विवरणों में राज्य-वार तथा परियोजना-वार वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता तथा वर्ष 1976–77 के दौरान हुआ वास्तविक उत्पादन तथा संयंत्र भार अनुपात दिखाया गया है ।

(ख) निर्माणाधीन स्कीमों का विस्तृत ब्यौरा तथा उनके चालू होने की संभावित तारीखें दिखाने वाला विवरण उपाबंध––तीन में संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 681/77]

रबड़ उत्पादों के निर्माण में लेटेक्स का उपयोग

3302. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में प्रचुर मात्रा में रबढ़ उपलब्ध है ; और

(ख) क्या इसे देखते हुए भारी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नई रबड़ फैक्टरियों की स्थापना करके रबड़ उत्पादों के निर्माण में लेटेक्स का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) कन्याकुमारी जिले में वर्ष 1976–77 में 8410 मी० टन प्राकृतिक रबढ़ का उत्पादन हुआ जबकि इस वर्ष देश में हुआ रबड़ का उत्पादन 1,49,632 मी० टन था ।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Banning of Songs of Shri Kishore Kumar from A.I.R.

3303. Shri Raghavji : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether songs of Shri Kishore Kumar from A.I.R. (Akashvani) were banned ;

(b) if so, when this order was issued and by whom and the reasons for issuing this order ; and

(c) whether this order was unjustified and if so, whether Government propose to take any action against the person who issued this order ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) (a) Yes, Sir. The ban order was issued by Government on May 4, 1976 and rescinded on June 18, 1976.

(b) and (c) : It was felt at that time that Akashvani by mentioning the names of singers, films and music directors etc. while broadcasting the film songs was projecting the image of cinema artists but was getting nothing in return for it. It was, accordingly, decided that the cinema artists be made to cooperate with Akashvani and Doordarshan by preparing and presenting programmes for the media on a *quid pro quo* basis. This is one of the matters which has been looked into by the Dass Committee on Misuse of Mass Media.

आल इंडिया स्टेनलैस स्टील री-रोलर्स एसोसियेशन के 30 सदस्यों को गिरफ्तार किया जाना

3304. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्टेनलैस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के 30 सदस्य गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या थी; और

(ग) क्या उनकी मांग उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1964 और उनके उपबन्धों के अनुसार उचित है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) दिल्ली प्रशासन से मिली सूचनानुसार 10 जुलाई, 1977 तक आल इण्डिया स्टेनलस स्टील री-रोलर्स एसोसियेशन के 317 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है ;

(ख) एसोसियेशन की मांगें ये हैं :—

i. आयातित स्टेनलेस स्टील पर लेवी में की गई कटौती वापिस ली जाये,

ii. वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं के लिये स्टेनलेस स्टील की शीटों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

(ग) छोटे पैमाने के स्टेनलैस स्टील रि-रोलर्स पर उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1964 के उपबंध लागू नहीं हैं ।

विदेशी पोतों के मालिकों द्वारा भारतीय नौवहन एजेन्टों की सांठगांठ से लूटपाट

3305. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री विनोदभाई बी० शेठ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ विदेशी पोतों के मालिक भारतीय नौवहन एजेन्टों की मिली भगत से लूटपाट कर रहे है जिससे निर्यात का माल अपने गन्तव्य स्थलों तक नहीं पहुंचता ;

(ख) माल भेजने वालों, बीमा कम्पनियों तथा सरकार को इस लूटपाट के कारण निर्यात का जो माल खो गया और जो हानि हुई उसका अनुमानित मूल्य क्या है ; और

(ग) इस बारे में यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो क्या ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1973–74 से 1976–77 के दौरान 9 मामले ऐसे हुए जिनमें हमारा निर्यात माल अपने घोषित गंतव्य स्थानों पर नहीं पहुंचा । यह सही है कि ये सारे पोत लदान उन विदेशी जहाजों द्वारा किए गए थे, जो हमारे पत्तनों पर गैर-सम्मेलन परिचालक के तौर पर आए थे, परन्तु ऐसी कोई बात नहीं थी, जिससे यह सिद्ध हो कि ऐसे माल को दूसरे मार्ग पर ले जाने के लिये विदेशी पार्टियों या स्थानीय एजेंटों द्वारा कोई संगठित प्रयास किया गया ।

(ख) सरकार को कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं हुई । भारतीय बीमाकारों को लगभग 6.00 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है । यह हानि इन 9 मामलों में से 5 के बारे में है, क्योंकि सभी निर्यात माल का बीमा भारत में नहीं किया गया । जबकि निर्यात माल का मूल्य ज्ञात नहीं है, माल की मात्रा लगभग 33,000 टन है ।

(ग) देश में वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार हमारे पोत वपिकों को नौवहन मार्गों का चयन करने की स्वतंत्रता है । हमारे पत्तन भी अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए स्वतंत्र है । इसलिए, विदेशी जहाजों, जिनके पूर्ववृत्तांत पूर्णत: ज्ञात नहीं है, पर जिम्मेदारी डालने से पहले पोत व्यापारियों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ।

दूसरे वेतन आयोग की जे० सी० बी० तथा भारत सरकार मुद्रणालय कर्मचारियों के वेतनमानों में असंगतियों के बारे में सिफारिशें

3306. **श्री महीलाल** : क्या **रक्षा** मंत्री दूसरे वेतन आयोग की जे०सी०बी०तथा भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के वेतनमानों में असंगतियों के बारे में सिफारिशों के बारे में 22 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे०सी० बी० की रीडिंग ब्रांच में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने वेतनमानों में असंगतियों को दूर करने के लिये जनवरी, 1974 में अधिकारियों को अभ्यावेदन दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

"एंड आफ होजोमोनी आफ सिविल सर्विस अर्ज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3307. श्री वसन्त साठे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जून, 1977 के टाइम्स आफ इंडिया में "एंड आफ होजमोनों आफ सिविल सर्विस अर्ज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उक्त समाचार में की गई टिप्पटियां इतनी सामान्य हैं कि उन पर कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

प्रति व्यक्ति आय

3308. श्री समरेन्द्र कुन्डु : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम है ;

(ख) क्या इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा कर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के स्तर तक ले जाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1970–71 से 1972–73 तक की अवधि से संबंधित राज्यों की आय के तुलनात्मक अनुमानों की अद्यतन श्रृंखला के अनुसार (जो केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार की गई है) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है ।

(ख) जी हां ।

(ग) विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में विषमताओं को कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं । क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना राष्ट्रीय नीति के स्वीकृत उद्देश्यों में से एक है । समस्या तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय औसत से कम है केवल उनकी राज्य योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है । सूखा प्रभावित क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, जन जातीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आदि जैसी विशेष समस्याओं के कारण और 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है । इसके अतिरिक्त पहाड़ी और जन जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जिनमें से कई क्षेत्र इन राज्यों में आते हैं, केन्द्रीय सरकार विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देती है । जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा को केन्द्रीय सहायता देने की उदार नीति अपनाई गई है जिसके अन्तर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती

है और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में जबकि अन्य मामलों में अनुदान और ऋण का अनुपात 30 : 70 होता है । उत्तर-पूर्व परिषद भी उस क्षेत्र के सामान्य लाभ की विकास स्कीमें चलाती है ; इन स्कीमों के लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है । उद्योग और आधारभूत सुविधाओं में, और औद्योगिक प्रोत्साहनों की स्कीमों में केन्द्रीय सरकार के निवेश का निर्णय करते समय अंतर-राज्यीय और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

Production and Export of Cement

3309. Shri Dharamsinhbhai Patel : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the quantum of cement produced in the country from 1973-74 to 1975-76 and the quantum of cement exported during the said period, year-wise; and

(b) the quantum of cement likely to be produced in the country in 1977-78 and the cement to be exported out of it ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) The quantity of cement produced and exported out of the country during the period 1973-74 to 1975-76 is as under :—

Year	Production (in million tonnes)	Export* (in lakh) tonnes) *(Excluding supplies to Nepal and Bhutan
1973-74	14.66	1.30
1974-75	14.80	3.10
1975-76	17.29	4.01

(b) The cement production during the year 1977-78 is expected to be about 18 million tonnes. The quantity to be exported during the year out of this production has not been fixed. Taking into account the anticipated production of cement during the ensuing quarter, the quantity of cement to be exported is determined on quarterly basis. However, the export of cement during the current year will be restricted to the irreducible minimum to the extent of irrevocable contractual obligations of S.T.C. through whom export of cement is canalised.

Per Capita Income in India

3310. Shri Lalji Bhai : Will the Miniser of **Planning** be pleased to state :

(a) Whether according to a Committee of the economic experts under the United Nations Organisation study programmes the per capita income of India is more than many other countries of the world ;

(b) Whether according to the latest statistics of the World Bank, the per capita income of India was 150 dollars whereas the per capita income of many other countries was 70 dollar only ; and

(c) If so, factual information in this regard ?

The Prime Minister (Shri Morarji R. Desai) : (a) Government are not aware of any U. N. Study of this nature.

(b) The per capita income of India was US $ 150 in 1975 according to the latest edition of the World Bank Atlas published in 1976. Only one country, namely, Bhutan had a per capita income of US$ 70.

(c) The names of countries whose per capita income is less than that of India are as follows :

Country	Per capita gross national product (US dollars)
1. India	150
2. Benin	140
3. Pakistan	140
4. Afghanistan	130
5. Guinea	130
6. Niger	130
7. Chad	120
8. Bangladesh	110
9. Burma	110
10. Nepal	110
11. Burundi	100
12. Ethiopia	100
13. Somalia	100
14. Mali	90
15. Ruwanda	90
16. Upper Volta	90
17. Bhutan	70

डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना

3311. **डा० कर्ण सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी ने डोगरी भाषा को एक स्वतन्त्र आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या डोगरी भाषी लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) साहित्य अकादमी ने डोगरी को एक स्वतंत्र भारतीय साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है ।

(ख) डोगरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु सरकार का प्रयास सभी भाषाओं की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परम्परा के विकास को प्रोत्साहन देना है चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल हों अथवा नहीं ।

परिवहन कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय मंजूरी वार्ता समिति

3312. श्री के० राममूर्ति : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के नेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन (इंटक) से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के परिवहन उदयोग के कर्मचारियों के लिए मंजूरी तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित हेतु राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय मंजूरी वार्ता समिति गठित करने के बारे में कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मांग के संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसी कोई मांग नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Disparity in Pay Scales of Technical Staff in Photo Litho Press And Letter Press of J.C.B. Department

3313. Shri Krishna Kumar Goyal : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether his Ministry sanctioned in December, 1974 the pay scales of Rs. 425—600 and Rs. 260—400 for Readers Grade I and Copy Holders, respectively, working in Reading Branch of Photo Litho Press of J.C.B. ;

(b) whether Readers Grade I and Copy Holders working in the Reading Brannch of the Letter Press of this Department are still being given pay scales of Rs. 380—560 and Rs. 260—350, respectively ;

(c) if so, the reasons for disparity in the pay-scales of the employees of the same category working in two branches of the same department ;

(d) whether employees of these categories working in Letter Press of this Department had made represen ations to the officers in September, 1976 to remove this disparity ; and

(e) if so, the action taken thereon so far ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Photo Litho Press in Joint Cypher Bureau has recently been structured on the pattern of Government of India Press. Therefore, the pay scales of the Readers Grade I and Copy Holders in Photo Litho Press have been prescribed at the same scale as in the Government of India Press. In the case of the Readers Grade I and Copy Holders in Letter Press ,the 3rd Pay Commission had recommended lower pay scales as compared to the scales in the Government of India Press presumably because the pre-revised pay scales for these categories in the Letter Press were also lower.

(d) Yes, Sir.

(e) The matter is under consideration.

Expenditure of Defence Research Laboratory

3314. Shri Ishwar Choudhary : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 35 crores or more is spent annually on various Defence Research Laboratories ;

(b) if so, the locations of these Laboratories, the number of workers working in each of them on different jobs, job-wise ; and the expenditure incurred on each laboratory ; and

(c) whether Government have ever made a review to see whether or not the money spent each year is utilised properly ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes Sir.

(b) A list indicating the location of the various Defence Research and Development Establishments /Laboratories is placed at Appendix 'A'. [Placed in the Library. See No-LT—682/77] The strength of officers and staff employed in Defence R & D Establishments/Laboratories is as under :—

Officers	2684
Others	18582
TOTAL . . .	21266

Time and Labour involved in collecting the detailed break-up of the above numbers job-wise as well at the descriptions of jobs will not be commensurate with the benefits derived nor in public interest.

(c) There is a constant and continuous review of the review of the research and development activities of the Laboratories/Establishments under Defence Research and Development Organisation (DRDO). The reviewing machinery comprises of Research and Development Panels which are composed of representatives of the user services, DRDO, Production and Inspection agencies, and eminent scientists and experts in the concerned fields from outside Defence Ministry. In addition, for major Research and Development Projects, special high level Steering Committees and Technical Coordination Authorities have been formed to monitor and review the progress of the work. All this is, over and above the regular monitoring, that the DRDO He carries out as part of its internal funcioning. As the policy making body for DRDO, there is the R & D Council chaired by the Raksha Mantri.

आपात स्थिति के पश्चात् अधिकारियों का दिल्ली से बाहर तबादला

3315. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनका आपात स्थिति के पश्चात दिल्ली से बाहर तबादला किया गया अथवा जिन्हें छुट्टी पर जाने को कहा गया अथवा सेवा से निकाल दिया गया ;

(ख) प्रत्येक मामले के क्या कारण थे ; और

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का विभाजन

3316. श्री मुरली मनोहर जोशी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को संवर्गों में कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की स्थिति, वित्त पोषण, प्रसारण-नीति आदि संबंधी आधार भूत कार्य पर्याप्त रूप से किये बिना ही विभाजित कर दिया गया था ;

(ख) क्या दूरदर्शन में अतिरिक्त महानिदेशक का पद बनाया गया था और यदि हां, तो उक्त पद को बनाने का क्या औचित्य था तथा क्या इस पद को बनाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी की गई थी और वित्तीय मंजूरी आदि प्राप्त की गई थी ;

(ग) श्रेणी-1 के उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या है जो दिल्ली में लगे है तथा उनके नाम तथा पद नाम क्या हैं जिन्हें कही और लगे दिखाया गया है ; और

(घ) क्या हाल ही में दूरदर्शन में कुज उच्चतम अधिकारियों के हस्तानान्तरण के के आदेश दिये गये जे ; और तदि पां, तो क्या उन आदेशों का पालन हुआ है ¿

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अपर महानिदेशक का पद महानिदेशालय की न्यूज एंड करेंट अफेयर्स यूनिट के लिए और स्वतन्त्र निर्णय लेने के लिए काफी वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि महानिदेशक से "साइट' के संबंध में तथा दूरदर्शन केन्द्रों की प्रभावी देख रेख करने के लिए काफी दौरे करने की अपेक्षा की जाती है । इस पद को बनाने के लिए सामान्य औपचारिकताएं पूरी की गई थी और मंजूरी प्राप्त की गई थी ।

(ग) दिल्ली में अस्थायी मुख्यालय के साथ, रामपुर, सिलीगुड़ी और वाराणसी के केन्द्र निदेशक क्रमशः श्री आर० सी० पुरी, श्री के० रविन्द्रन और श्री एम० पी० लैले, अनौपचारिक रूप से दूरदर्शन के लिए कार्य कर रहे हैं ।

(घ) दूरदर्शन के ग्रेड (क) के पांच अधिकारियों का हाल ही में स्थानान्तरण किया गया था । इनमें से तीन ने नये पद का कार्यभार संभाल लिया है ; चौथे अधिकारी कार्य-ग्रहण अवधि बिताने के बाद शीघ्र ही नए पद का कार्यभार ग्रहण करने वाले है, और पांचवें अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं जिसके समाप्त होने पर वे नये पद का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे ।

भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री की विदेश यात्रा

3317. **श्री शंकरसिंहजी बापेला :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक आपातकालीन स्थिति के दौरान तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने किन-किन देशों की यात्रा की थी और इस अवधि के दौरान उन्होंने कितनी बार इन देशों की यात्रा की थी;

(ख) विदेशों में उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ जाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि विदेशों में यात्रा के दौरान उनके साथ कुछ फिल्मी अभिनेत्रियां भी गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मंत्री के साथ जाने वाले व्यक्तियों का व्यय किसने वहन किया था और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री ने मारीशस, स्वीडन, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, अमरीका, कनाडा, फ्रांस और केन्या की एक बार और बरतानिया और सोवियत संघ की दो बार यात्रा की थी ।

(ख) और (ग). निम्नलिखित व्यक्ति भतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ गये थे :—

1. सोवियत संघ (मास्को)	भतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री की पुत्री कुमारी पद्मा शुक्ल। श्री पी० सी० चटर्जी, आकाशवाणी महानिदेशक। श्री वी० एस० त्रिपाठी, सूचना और प्रसारण मंत्री के विशेष सहायक।
2 मारीशस	भतपूर्व सूचन और प्रसारण मंत्री की पुत्री कुमारी पद्मा शुक्ल श्री के० ए० प्रसाद, अपर सचिव श्री वी० एस० त्रिपाठी, सूचना और प्रसारण मंत्री के विशेष सहायक।
3. सोवियत संघ (ताशकन्द)	श्री ए० के० वर्मा, संयुक्त सचिव। श्री सी० के० शर्मा, सूचन और प्रसारण मंत्री के निजी सचिव
4. स्वीडन, बरतानिया और पूर्वी जर्मनी	श्री वी० एस० त्रिपाठी, सूचना और प्रसारण मंत्री के विशेश सहायक।
5. फ्रांस, बरतानिया, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी	श्री वी० एस० त्रिपाठी, सूचना और प्रसारण मंत्री के विशेष सहायक।
6. केन्या	श्री एस० एम० एच० बर्नी, सचिव श्री के० एन० प्रसाद, अपर सचिव श्री आर० एल० वंदलिश, सूचना और प्रसारण मंत्री के अपर निजी सचिव।
7. कनाडा*	श्री बी० एस० त्रिपाठी, सूचना और प्रसारण मंत्री के विशेष सहायक।

*निम्नलिखित व्यक्तियों के एक और प्रतिनिधिमंडल को कनाडा फिल्म समारोह के अधिकारियों द्वारा आमन्त्रित किया गया था जिसने कनाडा की अलग से यात्रा की :—

1. श्री ए० के० वर्मा, फिल्म निदेशक
2. श्री बी० आर० चौपड़ा — फिल्म उद्योग के सदस्य
3. श्रीमती विद्या सिन्हा — फिल्म उद्योग के सदस्य
4. श्री जीव कुमार — फिल्म उद्योग के सदस्य

(घ) सभी मामलों में हवाई भाड़े का व्यय भारत सरकार द्वारा किया गया। स्थानीय व्यय भी भारत सरकार द्वारा वहन किया गया सिवाए वहां के जहां स्थानीय आतिथ्य व्यय सम्बन्धित देशों की सरकारों द्वारा वहन किया गया।

Employees in C.R.P., B.S.F., and CISF

3318. Shri Ramanand Tiwari : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total strength of employees from constable to Inspector in the Central Reserve Police, Border Security Force and Central Industrial Security Force, their pay scales, cat gory-wise and the rate at which they are paid Dearness Allowance, Daily Allowance and Travelling Allowance ;

(b) the particulars of cotton and woollen clothes (uniforms) issued to them and the period for which they are issued at one time ; and

(c) whether they are given medical facilities and if so the details, the number of days of casual leave and earned leave for which they are entitled to the arrangements made for their residential accommodation and what are their daily duty hours ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) (i) The total strength of categories of staff from Constable to Inspector is as under :—

B.S.F.	74,100
C.R.P.F.	66,548
C.I.S.F.	26,022

(ii) The pay scales of the staff categorywise are as under :—

Inspector . .	Rs. 550—20—650—25—750.
Sub-Inspector . . .	Rs. 380—12—500—EB—15—560
Assistant Sub-Inspector .	Rs. 330—8—370—10—400—EB—10—480
Head Constable (known as Head Security Guard in C.I.S.F.)	Rs. 260—6—326—EB—8—350.
Naik (known as Senior Security Guard in CISF)	Rs. 225—5—260—6—290—EB—6—308
Lance Naik/Constable (known as Security Guard in CISF)	Rs. 210—4—250—EB—5—270

(iii) The rates of dearness allowance, daily allowance and travelling allowance are as applicable to other Central Government employees.

(b) The required particulars of the usual items of uniform are given below :—

Item of clothing	Quantity (nos.)		Period of Serviceability (years)
Shirt Khaki . . .	All 3		1
Trousers khaki . . .	BSF, CRPF	3	1
	CISF	2	1
Short khaki	CRPF	2	2 (no issues to Inspectors & SIs)
	BSF	1	1
	CISF	2	1

Item of clothing	Quantity (nos.)		Period of Serviceability (Years)
Singlet white	CRPF	2	1 (for Inspectors & SIs)
	CRPF	3	1 (Others)
	BSF, CISF	2	1
Socks Wo llen . . .	CRPF, BSF	2 Pairs	½
	CISF	2 Pairs	1
Jerseys Woollen . .	CRPF	1	2
	BSF	1	3 (for Inspectors and SIs)
	BSF	1	2 (others)
	CISF	1	3

(c) (i) —*Medical facilities*—BSF/CRPF personnel are entitled to free treatment (both out-door and in-door). Besides hospitals attached to battalions, both these organisations run their own hospitals also, where major and minor operations are carried out. CISF personnel in Public Sector Undertakings get the same medical facilities as the employees of the Undertakings. Those at Headquarters are covered under the Central Government Health Scheme.

(ii) *Leave*

	BSF	CRPF	CISF
	(days per annum)		
C.L.	15	15	12
E.L.	*45 **33	@45 %33	30

*for operational personnel
**at formation Headquarters
@when not availing Second Saturdays
%when availing Second Saturdays.

(iii) *Residential accommodation*—BSF/CRPF/CISF personnel are provided with barrack/family accommodation where available.

(iv) *Duty hours*—All the force personnel are considered to be always on duty.

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स, बड़ौदा

3319. श्री पी० जी० मावंलकर : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात कृषि उद्योग निगम के प्राधिकृत नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे बड़ौदा स्थित "हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स" को उसके वास्तविक निजी मालिकों को दोबारा वापस सौंप देने के प्रश्न पर सक्रिय विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गुजरात सार्वजनिक निगम के तत्वावधान के अधीन कार्य कर रहे इस यूनिट को बनाये रखेगी और क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का संकेत दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (घ). भारत सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत 12 मार्च, 1973 को मे० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा का प्रबंध अपने अधिकार में लिया। गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को 5 वर्षों की अवधि के लि इसका अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया था। 26 अप्रैल, 1973 को जारी की गई अधिसूचन द्वार कुछ देयताओं के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। रोक आदेश 11 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाला है।

चूंकि प्रबंध और रोक-आदेश दोनों की अवधि जल्दी ही समाप्त होने वाली है, इसलिए कम्पनी की भावी रचना विचाराधीन है। इस संदर्भ में गुजरात सरकार से विचार-विमर्श किया गया था। जिन विकल्पों पर विचार किया गया था उनमें से एक विकल्प यह भी था कि एकक को इसके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया जाये। अंतिम निर्णय वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार के परामर्श से अनेक बातों के तय होने पर निर्भर करेगा। इसलिए मामला विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। विभिन्न पहलुओं की जांच हो रही है, जिससे उत्पादन एवं रोजगार में निरन्तरता बनी रहे। इस बीच, एकक गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के प्राधिकृत नियंत्रण में है।

मंगलौर पत्तन

3320. श्री एस० जी० मुरुगय्यम : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन को बड़ा पत्तन घोषित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मंगलौर (पनाम्बूर) में निर्मित नया बंदरगाह मई, 1974 में बड़ा पतन घोषित किया गया और इसे नव मंगलौर पत्तन नाम दिया गया है।

भड़ौच का विकास

3321. श्री अहमद एम० पटेल : उद्योग मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य का भड़ौच जिला (औद्योगिक रूप से) पिछड़ा जिला है; और

(ख) इसके उत्थान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :(क) और (ख). भड़ौच जिले का वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना दोनों से ही रियायती दर पर वित्त पाने हेतु गुजरात राज्य के एक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले के रूप में प्राप्त माना गया है।

राज्य सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं के अलावा केन्द्र सरकार उद्यमकर्त्ताओं के भड़ौंच जिले सहित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन देती है :—

1. पूंजीगत निवेश राजसहायता
2. आल इंडिया टर्मलेंडिग फाइनेन्सिशल इन्स्टीटयूशन्स द्वारा रियायती दर पर वित्त की सुविधाएं

3. कर रियायतें

4. लघु उद्योगों द्वार मशीनों की किराया खरीद

5. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श सेवा

6. ब्याज राजसहायता

7. कच्चे माल का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं।

Sainik School, Ajmer

3322. Shri S.K. Sarda : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to shift the Sainik School, Ajmer ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) The honourable Member, perhaps, means the military school. There is a proposal to shift the military school from Ajmer.

(b) The accommodation occupied by the military school is required to meet more pressing needs.

विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार

3323. श्री द्रोणमराजू सत्यनारायण : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार 4 जहाजों के स्थान पर 8 जहाज रख कर करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विस्तार के लिये कार्यवाही की है; और

(ग) शिपयार्ड के विस्तार के लिये सरकार को कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान शिपयार्ड की 3 जहाजों की वर्तमान क्षमता को प्रत्येक 21,600 डी डब्ल्यू टी के प्रति वर्ष 6/8 जहाजों तक बढ़ाने के लिए सरकार को एक परियोजना रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विस्तार कार्य की अनुमानित लागत परामर्शकों द्वारा सुझाये गये तीन भिन्न योजनाओं में से चुनी गई योजना पर निर्भर करते हुए, 27 करोड़ रुपये और 32 करोड़ रुपये के बीच होगी।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पद के लिए चयन

3324. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट स्टेशन डायक्टर के पद के लिए चयन किया गया था ;

[श्री नवाब सिंह चौहान]

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की सूची में उनमें से सिफारिश किए गये कितने व्यक्ति साधारण स्नातक हैं ;

(ग) आकाशवाणी दूरदर्शन के कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ने असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पद के लिए आवेदन किया था और उनमें से कितनों को उक्त पद के लिए नहीं चुना गया था ;

(घ) क्या अनेक ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर को नियुक्ति के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था अब पदोन्नति के माध्यम से असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) अस्वीकार किए गए ऐसे व्यक्तियों को पदोन्नति कोटे के नाम पर नियुक्त करने का क्या औचित्य है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) पांच ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(घ) और (ङ). सहायक केन्द्र निदेशक के पद के वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार 75 प्रतिशत पद विभागी पदोन्नति समिति, जिसके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य होते हैं, के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और शेष 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । भर्ती की दोनों पद्धतियां एक दूसरे से भिन्न हैं और यह बात कि सघ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्ति उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिये गये हैं, विभागीय पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए उनको किसी भी तरह वंचित नहीं करती । यह पद्धति न केवल आकाशवाणी के सहायक केन्द्र निदेशकों पर लागू होती है, अपितु भारत सरकार के अधीन उन सभी पदों भी लागू होती है जिनकी भर्त्ती की पद्धति सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति दोनों के माध्यम से है ।

राजनीतिक बंदियों से निराधार षड्यत्रों के बारे में कबूल करवाना

3325. **श्री कल्याण जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान पुलिस ने आपात स्थिति लागू करने तथा इसे जारी रखने के बारे में राजनीतिक बंदियों से निराधार षड्यंत्रों को कबूल करवाया और पूछताछ के दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया ;

(ख) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) यद्यपि सरकार को "आपात स्थिति" के दौरान पुलिस के अत्याचार के बारे में समाचारों की जानकारी है, परन्तु राजनीतिक बन्दियों से निराधार षड्यंत्रों को कबूल करवाने के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भागलपुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास

3326. **श्री डा० रामजी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर स्थित आकाशावणी केन्द्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास की सुविधा प्रदान की गई है ;

(ख) क्या उनके लिए एक पृथक् कालोनी का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा वह कब पूरा होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) सुरक्षा गार्डों (चौकीदारों) के लिए दो क्वार्टरों को छोड़कर भागलपुर स्थित आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए कोई रिहायशी आवास नहीं दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं, कोई स्वीकृत योजना नहीं है ;

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Payment of Electricity Charges by Farmers

3327. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the farmers are not supplied power regularly in an adequate quantity ;

(b) whether they have to pay electricity bill for the entire period on flat rate ; and

(c) steps being taken by Government to ensure that farmers pay the bill only for the quantity of electricity actually consumed by them?.

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) to (c) : The power requirements of agriculturists are met adequately, except when there are restrictions. Even then, agriculturists have been included in the category of essential consumers and are given priority.

The electricity bills are related to the energy consumed in all States except Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Punjab. Uttar Pradesh has a fixed charge system of tariff. Punjab introduced a fixed charge system of tariff in 1968, but re-introduced meter tariff from 1975 for new farmers, and has given option to the consumers to choose either fixed or metered charges. In Jammu and Kashmir agriculturists are given the option to take metered tariff.

Tariff fixation is a matter falling within the competence of the State Electricity Boards as envisaged under the Electricity (Supply) Act, 1948, and varies from State to State.

टायरों का उत्पादन

3328. **श्रीमती पार्वती कृ ष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माताओं ने दिसम्बर, 1976 से अपने उत्पादन में उल्लेखनीय कमी कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो देश की प्रमुख टायर कम्पनियों का वर्ष 1976 में तथा वर्ष 1977 में अब तक मासिक उत्पादन कितना रहा ?

उद्योग मंत्री (श्री बार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं । 1977 के पहले पांच महीनों की अवधि में गाड़ियों के टायरों का मासिक औसत उत्पादन 5.43 लाख हुआ जबकि 1976 की अवधि में मासिक औसत उत्पादन 4.88 लाख था ।

(ख) 1976 तथा 1977 की अवधि में (जनवरी से मई, 1977 तक) गाड़ियों के उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1976 तथा 1977 में मोटर गाड़ी टायरों का उत्पादन

मास	संख्या	
	1976	1977
जनवरी	454,745	550,969
फरवरी	405,029	544,035
मार्च	381,742	538,004
अप्रैल	419,516	557,631
मई	453,620	523,971
जून	519,013	—
जुलाई	543,473	—
अगस्त	515,292	—
सितम्बर	484,123	—
अक्टूबर	476,746	—
नवम्बर	580,382	—
दिसम्बर	619,506	—
योग	58,53,187	27,14,610

बम्बई दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों में पत्रकारों द्वारा भाग लिया जाना

3329. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई दूरदर्शन केन्द्र द्वारा अपने दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु गत 6 महीनों में जिन पत्रकारों को बुलाया गया है, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) ये पत्रकार किन समाचार-पत्रों अथवा समाचारपत्र ग्रुपों से सम्बद्ध हैं ;

(ग) उक्त अवधि में इन पत्रकारों में से प्रत्येक ने इस केन्द्र के कार्यक्रमों में कितनी बार भाग लिया ; और

(घ) क्या इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि बम्बई दूरदर्शन केन्द्र कुछ समाचार-पत्रों या ग्रुपों के पत्रकारों का इस मामले में पक्षपात कर रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) बम्बई केन्द्र द्वारा गत: छः महीनों के दौरान बुलाये गये पत्रकारों के नामों व जिन समाचारपत्रों या समाचारपत्र ग्रुपों से सम्बद्ध हैं उनके नामों और उक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक ने उक्त केन्द्र के कार्यक्रमों में जितनी बार भाग लिया, उसके बारे में सूचना परिशिष्ट में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०—683/77]

(घ) जी, हां। तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। बम्बई दूरदर्शन केन्द्र को ये अनुदेश दे दिए गए हैं कि वह विभिन्न समाचार-पत्र ग्रुपों के पत्रकारों को बुक करने में संतुलित मार्ग अपनाने की ओर विशेष ध्यान दें।

समुद्री ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया

3330. श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20–6–77 के 'स्टैट्समैन" में प्रकाशित 'डिवाइस फार सी अनर्जी कनवर्जन' नामक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी संभावनाओं पर विचार करने का है ;

(ग) क्या समुद्री लहरों की शक्ति को ऊर्जा में बदलने की प्रो० एनट्रामी पुरान्टों की नई तकनीकी का इनके अपने देश में ही परीक्षण किया गया है अथवा कहीं अन्यत्र भी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्र की लहरों की ऊर्जा का उपयोग किए जाने की सम्भाव्यताओं के बारे में अपेक्षित आधार-सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

(ग) और (घ). लहरों की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए यू० के०, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधान और विकास-कार्य हाथ में लिए जाने की सूचना है ।

यू० के० में अनुसंधान का एक विस्तृत कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । लहरों की ऊर्जा को परिवर्तित करने के तरीकों तथा लहरों की ऊर्जा को परिवर्तित करने की प्रणालियों संबंधी अध्ययन भी इसमें शामिल है जिसमें नये दशक के मध्य तक एक प्रोटोटाइप की जांच की जा सकेगी ।

तथापि, यह मालूम नहीं है कि प्रो० एनटोमी पेरेन्टो द्वारा विकसित समुद्र की लहरों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की विशिष्ट तकनीकी की जांच अन्य देशों में की गई है या नहीं ।

[श्री पी० रामचन्द्रन]

समुद्र की लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना तथा उसका उपयोग करना अभी अनुसंधान और विकास की स्थिति में है तथा इसकी आर्थिक व्यवहार्यता अभी सुनिश्चित नहीं की जानी है ।

क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र

3331. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र भी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). कम्प्यटरों के मामलों में पृथक-पृथक प्रयोगकर्त्ताओं को अपेक्षाकृत छोटे छोटे कम्प्यूटर मुहैय्या करने के बजाय, लागत की दृष्टि से तो अधिक प्रभावकारी और श्रेयस्कर यही होगा कि अनेक प्रयोक्तागण मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी बड़ी कम्प्यूटर-प्रणाली से करें । अत: अपने स्थापना-काल से ही इलेक्ट्रानिकी विभाग का रुख इसी बात का इतमीनान करता रहा है कि एक शहर में किसी एक संस्थान में इतना शक्तिशाली कम्प्यूटर स्थापित किया जाये कि उससे आस-आस के कई प्रयोक्ताओं की जरूरतें पूरी हो सकें । हां, उनकी अपनी ही आवश्यकताएं असाधारण रूप से बढ़ जाने पर और अलग कम्प्यूटर लगाने का औचित्य सिद्ध हो जाने पर वैसा किया जा सकता है । इस प्रकार के शक्तिशाली एवं एक साथ कई प्रयोक्ताओं के काम में आने वाले कम्प्यूटर बम्बई के टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद की मौलिक अनुसंधान प्रयोगशाला, पुर्ण और दिल्ली के भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, बंगलौर के भारतीय विज्ञान संस्थान, दिल्ली स्थित इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद स्थित भारतीय कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड आदि में मौजूद हैं । इसी प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियों को पंजाब विश्वविद्यालय, चडीगढ़ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, रुड़की विश्वविद्यालय तथा पुर्ण विश्वविद्यालय में स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । कानपुर, लखनऊ तथा बंगलौर क्षेत्रों के लिये कम्प्यूटर प्रणालियों की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन है । दिल्ली में स्वयं इलेक्ट्रानिकी विभाग ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नामक एक विशेष बहु-प्रयोक्ता कम्प्यूटर संकाय बनाने की प्रक्रिया में कार्यरत है । ये सभी प्रणालियां वस्तुत: क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में हैं । किन्तु कलकत्ता क्षेत्र में स्थित प्रादेशिक कम्प्यूटर केन्द्र को अनेक प्रयोक्ताओं के कार्यकलाय के लिए एक औपचारिक संस्थानात्मक ढांचे के रूप में पंजीकृत किया गया है, जादवपुर विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर लगा दिया गया है ।

Priority to Rural Development

3332. Shri Yagya Datt Sharma : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether urban development was accorded priority over rural development in the schemes formulated by the previous Government ;

(b) if so, the percentage by which urban development was more than the rural development ;

(c) whether Government are drawing up schemes in which priority has been accorded to rural development ; and

(d) if so, outlines of these schemes ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) (a) Although the importance of agriculture and rural development has been recognised in the successive Five Year Plans, and priority to this sector has been a stated objective of previous Governments' investment and growth in the rural sector has fallen continually short of the targets etc.

(b) It is not possible to classify plan allocations/expenditure on development schemes benefiting the rural and urban areas respectively as the extent of benefits flowing from these to rural and urban sectors cannot be precisely assessed. The allocations for agriculture and allied programmes, fertilizers, irrigation, rural electrification, rural roads, rural education, rural health, rural water supply and hill and tribal areas account for 33·3% of the total plan allocation in the Fifth Plan.

(c) and (d) : The Planning Commission has been asked to formulate the Sixth Five Year Plan in which agriculture and rural development should be given the highest priority. The most important objectives of the Sixth Plan would include the absorption of a significant proportion of unemployed people in productive employment within the Plan period, provision of food, clothing and shelter and basic requirements of public services to a substantial part of he population which is at present below the poverty line and reduction in the existing disparitis in income and wealth. The broad thrust of the Plan strategy would be to undertake a very large irrigation plan, to extend the scope of area planning and to maximise the employment content of the area development schemes particularly in the rural sector. The concrete details of the policies, programmes and projects in this regard will be indicated in the Sixth Plan document.

Changes in Administration

3333. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating some changes in the administration ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) (a) and (b) : Administrative Reforms is a continuing process and changes in administrative structure or procedure are considered and given effect to from time to time as necessity arises.

लघु पत्तनों का विकास

3334. श्री वी० एम० सुधीरन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने लघु पत्तन हैं ;

(ख) लघु पत्तनों के विकास के लिये सरकार ने क्या नीति अपनाई है ;

(ग) क्या लघु पत्तनों के विकास के बारे में केरल सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) 31 मार्च, 1976 को देश में 153 छोटे पत्तन थे ।

(ख) से (घ) : छोटे पत्तनों के विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व संबधित राज्य सरकारों में निहित है । चौथी पंचवर्षीय योजना में, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कुछ चुने हुए छोटे पत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देने का निश्चय

किया गया । पांचवी योजना में, चौथी योजना में स्वीकृत योजनाओं के अग्रेनीत व्यय को पूरा करने के लिए ही व्यवस्था की गई है । उपर्युक्त योजनाओं के अधीन केरल से चुना गया पत्तन बेपुर है, जिसका अनुमानित मूल्य 111.96 लाख रु० है । राज्य सरकार योजना को क्रियान्वित कर रही है ।

Review of Industrial Units

3335. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) Whether Government have reviewed the working of industrial units ;

(b) whether the capacity of industrial units is not being utilised fully ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to improve their working ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) (a) Yes, Sir. Licensed industrial undertakings are constantly monitored by the Directorate-General of Technical Development and other technical authorities concerned through production returns received from such undertakings each month.

(b) In the case of a large number of industries, the capacity utilisation has improved in the year 1976-77 as compared to 1975-76. In the case of some industries, inspite of sizeable growth in production, the rate of capacity utilisation has gone down. This is due to the additional capacity having fructified during 1976-77 which could not yield proportional share in production. It would take some more time before the new capacity becomes productive.

(c) During the recent past, Government have taken a number of steps to promote maximum utilisation of plant and machinery in the industrial undertakings. The more important steps taken in this direction are:—

(i) Endorsement of industrial capacities on the basis of maximum utilisation of plant and machinery in case of those undertakings which were earlier specified on single or double shift basis.

(ii) Enhancement of capacity in 29 selected industries allowing fuller utilisation of existing installed capacity, even if it is in excess of licensed capacity, subject to the condition that no additional equipment, either indigenous or imported, is installed, and the item of manufacture is not reserved for small scale sector. This facility is also applicable to undertakings coming within the purview of M.R.T.P. Act/F.E.R.A., subject to certain conditions and procedure.

(iii) Diversification of product-mix, with a view to utilising full installed capacity, in industrial machinery, machine tools, electrical equipment, steel castings/forgings, steel pipes and tubes, passenger cars etc., within the overall licensed/approved capacity.

भारत में हिप्पी

3336. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हिप्पियों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) क्या ये हिप्पी नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं और देश के सुदूर भागों में कालोनियों में नंगे रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में इनके प्रवेश को बन्द करने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) 'हिप्पी' शब्द की निश्चित परिभाषा न होने के कारण ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी को दूसरे पयटकों से अलग करना कठिन है । ऐसे विदेशियों के आने और ठहरने के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) विदेशियों द्वारा नशीले पदार्थ रखने की ऐसी घटनाएं ध्यान में आई हैं और उनके विरुद्ध उपर्युक्त कानून के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की गई है । इस बात की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि विदेशी सुदूर भागों में कालोनियों में नंगे रहते हैं ।

(ग) जिन व्यक्तियों के नशीले पदार्थों अभद्र व्यवहार, आवारागर्दी, भीख मांगने इत्यादि में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण उनके लोक कन्टक व्यक्ति होने की सम्भावना है, भारत में उनके प्रवेश को सीमित करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों को पर्यटक वीसा स्वीकृत करने में सावधान रहने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों को उपर्युक्त अनुदेश दिए गए है ।

विभिन्न में क्षेत्रों आत्म निर्भरता

3337. **श्री के० मालन्ना :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये योजना आयोग ने क्या उपाय सुझाये हैं ?

धान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): आत्मनिर्भरता पांचवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य है । इसके लिए, योजना आयोग ने अर्थ-व्यवस्था में पूंजी-निर्माण के हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए और निर्यात-संवर्धन तथा आयात-प्रतिस्थापन को बढ़ाने के लिए आंतरिक बचतों के स्तर को बढ़ाने के लिए उपायों पर ज़ोर दिया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) में और वार्षिक योजनाओं में (क) कृषि, (ख) ऊर्जा, और (ग) इस्पात, अलौह धातुएं, उर्वरक, आदि जैसे महत्वपूर्ण साधनों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास को निवेशनीय संसाधनों के आवंटन में उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

आशयपत्र तथा लाइसेंसों को जारी करने का मानदण्ड

3338. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय द्वारा आशयपत्र तथा लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदनों का निपटारा करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में निर्णय लेने में अपनाये जाने वाले विभिन्न मानदन्डों में सुधार लाने का है ; और

(ग) नये एककों को आशयपत्र जारी करने के विदयमान मानदंड क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) और (ग) नये उद्यमियों और विद्यमान उपक्रमों के लिए आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के मामले में सरकार विभिन्न बातों जैसे मांग स्वीकृति/अधिष्ठापित क्षमता, कच्चे माल की उपलभ्यता, क्षेत्रीय दृष्टिकोण, देश में अन्दर आने वाली और बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा, निहित प्रौद्योगिकी, प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक विशिष्टताओं, आवेदक की सूक्ष्म क्षेत्रों और अत्यधिक विनियोजन वाले क्षेत्र की पृष्ठभूमि और अनुभव को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी संबंधित तकनीकी प्राधिकरण सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वाणिज्य मत्रालय, सम्बन्धित राज्य सरकार आदि द्वारा

जांच की जाती है । जांच-पड़ताल करने वाले विभिन्न अधिकरणों के विचार प्राप्त हो जाने के बाद आवेदन पत्र सम्बन्धित समिति अर्थात मिले जुले मामलों पर परियोजना स्वीकृत बोर्ड, एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया मामलों की लाइसेंस समिति एवं एकाधिकार तथा प्रतिबन्धत्मक व्यापार प्रक्रिया समिति एवं गैर-एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया मामलों की लाइसेंसिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । इन समितियों की स्थापना औद्योगिक उपक्रम पंजीयन एवं लाइसेंस नियमावली 1952 के अन्तर्गत की गई है । इनका प्रधान औद्योगिक विकास विभाग का सचिव होता है इसमें विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों योजना आयोग, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, वैज्ञानिक एवं औदयोगिक अनुसंधान परिषद आदि के प्रतिनिधि होते हैं । इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशें, अलग अलग पार्टियों को आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने से पहले उद्योग मंत्री की स्वीकृति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की छानबीन करने वाली ऊपर बताई गई मौजदा प्रक्रिया में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Clandestine Screening of Hit Films

3339. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether the hit films are being screened clandestinely on large scale ;

(b) whether Government have suffered a big loss of revenue as a result thereof ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) to (c) According to a news item published in the 'Navbharat Times' (Hindi) dated the 20th June, 1977 (Delhi Edition) some 'hit' films were screened clandestinely in the District of Azamgarh and at the instance of entertainment tax authorities a Su-Divisional Magistrate raised a cinema hall on 15th May, 1977.

The exhibition of films in cinema theatres is a State subject and is governed by the cinema regulations of the State Governments concerned. The collection of entertainment tax is also the subject matter and concern of the State Government cowcerned. State Governments will no doubt take necessary action if any instances of violation of State cinema regulations come to their notice.

Theft of Idols by Government Officers in Rajasthan

3340. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Qustion No. 531 on the 15th June, 1977 regarding theft of idols by Government officers in Rajasthan and state the action taken on the representation of a former Legislator of Rajasthan which contained complaints about idol thefts committed by Government officers ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : Since no such complaint has been received during the period from 1st May, 1977 to 31st May, 1977, the question of taking action thereon, does not arise.

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

3341. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
मिस आभा मैती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग की वे मोटी-मोटी सिफारिशें कौन सी हैं जिन्हें अभी क्रियान्वित किया जाना है ।

(ख) उन्हें क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). जिन सिफारिशों को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में अथवा संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है, उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सरकार के सम्बन्धित विभागों अथवा राज्य सरकारों की है ।

जहां तक केन्द्र से सम्बन्धित सिफारिशों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से अद्यतन सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

सम्बलपुर, उड़ीसा में आकाशवाणी स्टूडियो का निर्माण

3342. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्बलपुर, उड़ीसा में आकाशवाणी स्टूडियो का निर्माण करने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है, यद्यपि उसके लिए धन आवंटित किया जा चुका है ;

(ख) निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क) और (ख). सम्बलपुर में स्टडियो की स्थापना चौथी योजना की स्कीम है । शुरू में स्टूडियों के लिए स्थान का अधिग्रहण करने में पर्याप्त विलम्ब हुआ । अन्ततः जब राज्य सरकार द्वारा स्थान सौंपा गया तो ससाधनों की कमी के कारण वर्ष 1975–76 और 1976–77 में इस योजना के लिए वित्तीय आवंटन न होने के कारण, निर्माण कार्य तत्काल शुरू नही किया जा सका ।

(ग) स्टूडियों ढांचे के 1980 में मुकम्मल हो जाने की सम्भावना है ।

कोयला खान प्राधिकरण के पास कोयले की कमी

3343. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण के कोयले के स्टाक में 1 अप्रैल, 1975 को 1.13 करोड़ टन की कमी थी ;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड के पास 1 अप्रैल, 1977 को कोयले का कितना स्टाक था और स्टाक में यदि कोई कमी उस तारीख को थी तो वह कितनी थी ;

(ग) वर्ष 1975–76 और 1976–77 के लिए (एकक-वार) उत्पादन तथा कोयला भेजने के आंकड़े क्या थे ;

(घ) इतनी बड़ी कमी और पुनः ऐसी कमी न होने देने के कारणों का पता लगाने के लिए विगत काल में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) क्या दोषी पाये गये व्यक्तियों को सजा दी गयी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ऐसी सूचना नहीं मिली है ।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड के पास 1 अप्रैल, 1977 को कोयले का स्टाक 13.6 मिलियन टन था । उस तारीख को स्टाक में यदि कोई कमी थी भी तो उसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) (आंकड़े मिलियन टनों में)

कम्पनी	वर्ष 1975-76		1976-77	
	उत्पादन	बिक्री*	उत्पादन	बिक्री**
ई० को० लि० . .	26.18	25.02	26.46	25.97
भा० को० को० लि० . .	20.09	18.63	20.68	19.50
से० को० लि० . .	20.69	19.12	20.73	20.24
वे० को० लि० . .	21.46	20.94	21.04	20.72
ना० ई० को० . .	0.56	0.56	0.57	0.57
कुल	88.98	84.27	89.48	87.00

*इसमें प्रेषण, कोलियरी में उपभोग, हार्ड व साफ्ट कोक के लिए कोयला तथा ब्वायलर में उपयोग आदि शामिल हैं ।

(घ) व (ङ) यदि स्टाक में किसी ऐसी कमी का पता चला जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है तो समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

उद्योग मंत्री द्वारा विशेष सहायक को नियुक्ति

3344. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मंत्री की अपनी मर्जी का विशेष सहायक रखने की अनुमति नहीं दी गई थी; यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ख) क्या सम्बद्ध व्यक्ति (जिसका उल्लेख किया गया है) एक सुयोग्य अर्थशास्त्री है; और

(ग) क्या सरकार, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर, बाहर के व्यक्तियों के अनुभव और विशिष्ट ज्ञान से लाभ उठाने के लिए उन्हें नियुक्त करेगी अथवा वह सामान्य व्यक्तियों पर ही निर्भर रहना चाहती है, न कि विशेषज्ञ पर ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख). भूतपूर्व उद्योग मंत्री के विशेष सहायक के पद पर एक गैर-सरकारी व्यक्ति को नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, किन्तु यह निर्णय किया गया था कि चूंकि ऐसे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को सरकारी नियमों और किसी मंत्रालय में कार्य करने की पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उक्त पद पर किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जाना अधिक उपयोगी होगा ।

(ग) ऐसे पदों पर सरकारी सेवाओं से बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जिन पर उनके अनुभव तथा विशिष्ट ज्ञान को अधिक उपयोगी समझा जाए ।

Age Limit for Entering into Government Service

3345. Shri Chandradeo Prasad Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether certain age limit has been fixed for entry into Government service ;

(b) whether Government feel that this deprives Government of the services of able unemployed people ; and

(c) if so, whether Government propose to do away with the practice of prescribing maximum age limit for entry into Government service ;

The Minister of Home Affiairs (Shri Charan Singh) : (a) and (b) Age limits for recruitment to Central Services/posts are prescribed from time to time having regard to the qualifications and experience required for that service/post. This ensures that Government obtains the services of people most suited for the Services/posts concerned.

(c) No.

Reservation of Posts in Services

3346. Shri Hukumdeo Narayan Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the total number of Class I, Class II, Class III and Class IV employees in Central Government service as on 31st December, 1976, and the number of posts reserved for Harijans and Adivasis and the number of posts out of them, filled and the action proposed to be taken by Government to fill the remaining posts ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : Reservations in services, wherever provided, are in relation to the vacancies arising from time to time and not in relation to the total strength of a Service or a Cadre. Complete information relating to total number of employees in Class I, Class II, Class III and Cass IV and the number of Scheduled Castes and Sheduled Tribes amongst them as on 31-12-1976 is not available. However, information as on 1-1-1976 is given in the statement attached (Annexure I) (Placed in the Library. *See* No. LT—684/77) Another statement showing the number of vacancies filled during the year 1975, the number out of these reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and those filled by candidates belonging to these communities is also attached (Annexure II) (Placed in the Library. *See* No. L.T.—684/77) The various measures introduced from time to time to improve the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are explained in the attached statement (Annexure III). (Placed in the Library. *See* No. L.T.—684/77) Unfilled reserved vacancies are generally carried forward for the next three recruitment years and many of them get filled in subsequent years.

नक्सलवादियों द्वारा की गई हत्याओं सम्बन्धी आयोग

3347. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नक्सलवादियों द्वारा पहले की गई हत्याओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन करेगी ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने व्यक्ति नक्सलवादियों के शिकार हुए ; और

(ग) क्या नक्सलवादियों के शिकार हुए व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया था ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पहली जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 1976 तक तीन वर्षों में नक्सलवादियों द्वारा 183 व्यक्ति मारे गए थे ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

enditure Incurred by Song and Drama Division on Electioneering

3348. Shri Shiv Narain Sarsonia : Will the Minisier of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by Song and Drama Division on electioneering ;

(b) whether staff artists were sent for programmes for Indian Youth Congress and if so, the number of artistes sent for the purpose ; and

(c) whether "Geeton Bhari Sham" for Indian Youth Congress was organised by officers of Song and Drama Division ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Adavni) : (a) Records do not show that any expenditure was incurred by Song andDrama Division on electioneering as such. The Song and Drama Division, however, gave programmes throughout the country even during the time of Lok Sabha Elections 1977 with a view to publicize Governmental policies and programmes.

(b) Yes, Sir. Apart from loaning the services of two staff artists to the National Art and Cultural Project of the Indian Youth Congress from September 4, 1975 to February 28, 1977, about 149 staff artists participated in various programmes for Youth Congress.

(c) No, Sir. The Division, however, provided technical assistantce by way of personnel and equipment in the constrution of stage, General and Stage lighting etc.

नन्दी तालुक के दरवेशी गांव के जमींदारों द्वारा हरिजनों की झौंपड़ियां गिराया जाना

3349. श्री अनन्त दावे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के नन्दी तालुक के दरवेशी गांव के जमींदारों ने हरिजनों की 30 झौंपड़ियां तोड़ दी थीं और उनमें लगे सामान को उठा ले गये थे ; और

(ख) क्या यह भूमि हरिजनों को झौंपड़ी बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई थी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कहा जाता है कि 13 जून, 1977 को मल्लास्वामी रेड्डी नामक एक व्यक्ति तथा गांव के अन्य 11 व्यक्तियों ने कुरनूल जिले के नन्दी तालुक के दरवेशी गांव के हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों की 30 झौंपड़ियां तोड़ दी थी । बताया जाता है कि अपराधी सामान भी उठा कर ले गये थे । किन्तु वह बाद में बरामद कर लिया गया और गांव के मुन्सिफ को अमानत में रखने के लिए सौंप दिया है । एक मामला धारा 427 भा० द० सं० के अधीन दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच-पड़ताल जारी है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कलेक्टर कुरनूल ने हरिजनों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को झौंपड़ियां बनाने के लिए शुष्क-भूमि दी थी ।

मार्च-अप्रैल, 1977 के दौरान श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों का दिया जाना

3350. **श्री पूर्ण सिन्हा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1977 में जनता पार्टी द्वारा सत्ता ग्रहण करने के पश्चात सरकार ने आसाम, मनीपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के विभिन्न प्रकाशनों को विज्ञापन दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रकाशनों के नाम क्या हैं और 30-6-77 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रत्येक को कितने विज्ञापन दिए गए ;

(ग) क्या कुछ प्रकाशनों को श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन नहीं दिए गए और यदि हां, तो ऐसा करने के विशिष्ट कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने विज्ञापन देने की कांग्रेस प्रशासन की नीति का पुनरीक्षण किया है और प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होने वाले छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन न देने संबंधी नयी नीति दर्शाने वाले 'श्वेत पत्र' जारी करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इन क्षेत्रों के उन प्रकाशनों के नाम दिए हुए हैं जिन्हें 20 मार्च से 30 जून, 1977 तक की अवधि के दौरान विज्ञापन जारी किए गए ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०--685/77]

इस अवधि के दौरान इन समाचारपत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों का कुल मूल्य 59,159 रुपये था ।

(ग) विज्ञापन जारी करने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की स्वीकृत सूची में शामिल सभी प्रकाशनों पर विचार किया जाता है ।

(घ) कुछ मास पूर्व तक प्रचलित विज्ञापन नीति के विकारी और भेदमूलक तत्वों को पहले ही हटा दिया गया है । मामले का आगे व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है और निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की उम्मीद है ।

विदर्भ क्षेत्र में लघु उद्योग

3351. **श्री बसन्त साठे :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की समस्याओं के प्रति बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के उपेक्षा-पूर्ण तथा लापरवाही के रवैये के कारण महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अनेक छोटे पैमाने के एककों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संकट का स्वरूप तथा गम्भीरता के बारे में रिपोर्ट मंगाने तथा इस मामले में उचित कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों की आस्तियों की जांच

3352 **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि प्रधान मंत्री सहित भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार के अनेक मंत्रियों ने अपनी आय से अधिक धन जमा कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त मंत्रियों ने भारी धनराशि को विदेशों स्थानान्तरित कर दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों की आस्तियों के बारे में पूरी जांच कराने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व सरकार के मंत्रियों द्वारा अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक मात्रा में धन जमा कर लेने अथवा विदेशों को भारी धनराशि स्थानान्तरित कर देने के बारे में कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जब कोई निश्चित जानकारी मिलेगी तो कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

सरकारी तथा अन्य सेवा में प्रवेश के लिए अर्हता

3353. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा को 10+2+3 नवीनतम नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी अथवा अन्य किसी सेवा में प्रवेश के लिये अर्हता का पुनर्निर्धारण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शैक्षिक योग्यता के लिये मूल्यांकन बोर्ड ने इस बारे में कोई सिफारिशें की हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या वे सिफारिशें राज्य सरकारों को भी भेजी गई हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) शैक्षिक योग्यता के लिए मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने शिक्षा के संशोधित पैटर्न, अर्थात 10+2+3 को ध्यान में रखते हुए, शैक्षिक योग्यताओं की समकक्षता के निर्धारण सम्बन्धी आदेश जारी किए हैं । ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

पुरानी योग्यताएं	संशोधित पैटर्न के अधीन समकक्षता
(i) मैट्रिकुलेशन	हाई स्कूल सर्टिफिकेट (10 वर्ष) ।
(ii) हायर सैकण्डरी (11 वर्ष)	शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में हायर सैकण्डरी सर्टिफिकेट (12 वर्ष) ।

(iii)	इन्टरमीडिएट (12 वर्ष)	शैक्षिक एवम् व्यावसायिक शिक्षा में हायर सैकण्डरी सर्टिफिकेट (12 वर्ष)
(iv)	सीनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट	––यथोपरि––
(v)	विश्वविद्यालय डिग्री (14 वर्ष)	विश्वविद्यालय डिग्री।

(घ) जी हां, श्रीमान ।

Labourers of Heavy Engineering Corporation, Hatia

3354. **Shri Karia Munda** : Will the **Minister of Industry** be pleased to state:

(a) whether the muster roll labourers of Heavy Engineering Corporatioh, Hatia, who have been serving for the last two to four years have not been made permanent so far; and

(b) if so, when they are proposed to be made permanent contract labourers and in case of delay the reasons therefor?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) In order so absorb the Muster Roll workers in Heavy Engineering Corporation, the Management and the recognised Union had settled certain conditions of permanent absorption. All the Muster Roll workers who fulfilled these conditions have already been absorbed. At present there are no Muster Roll employees in HEC.

(b) Does not arise.

श्री जैड० ए० फिजो से बातचीत

3355. **श्री समारेन्द्र कुन्डु :**
श्री निहार लास्कर :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने लन्दन में श्री जेड० ए० फिजो से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). श्री ए० जेड० फिजो के अनुरोध पर प्रधान मंत्री तथा श्री फिजो के बीच 14 जून, 1977 को एक बैठक हुई थी।

उनके साथ भेंट के लिए सहमत होने से पहले, प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नागालैंड आंतरिक मामला होने के कारण उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में श्री फिजो के साथ तब तक विचार विमर्श नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह स्वीकार न करें कि नागालैंड के भारत का अंग है और नागा उसके नागरिक हैं। लन्दन में 14 जून, 1977 को विचार विमर्श के दौरान श्री फिजो ने इन मूल प्रश्नों के बारे में अपनी विचारधारा में किसी परिवर्तन का संकेत नहीं दिया। अत: प्रधान मंत्री ने सरकार के मत को फिर से दोहराया और नागालैंड से संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श नहीं हुआ।

सिंगरेनी कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा की गई ज्यादतियां

3356. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा आपातकाल के दौरान खनिकों पर की गई ज्यादतियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा की गयी ज्यादतियों के बारे में पूरी जांच कराने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों को सेवा में बहाल किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सरकार को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सिंगरैनी कोलियरीज़ कं० लि० (जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है) के प्रबंधकों द्वारा आपात स्थिति के दौरान की गई कुछ ज्यादतियों का आरोप है। प्राप्त सूचना के अनुसार आरोप की जांच की गई है और यह पता चला है कि पत्र में उल्लिखित बरखास्तगी के निर्दिष्ट मामले, सामान्य अनुशासनिक मामले थे। इन बरखास्त कर्मचारियों को भी बाद में अपील करने पर बहाल कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) आपात स्थिति के फलस्वरूप सिंगरैनी कोलियरीज़ कम्पनी लि० में किसी कामगार की छंटनी नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश राजमार्ग

3357. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नागालैंड सरकार द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन पर व्यय की गई राशि

3358. **श्री मती रानो एम० शायजा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 में नागालैंड सरकार ने गौहाटी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन पर कई लाख रुपये व्यय किये थे;

(ख) यदि हां, तो यह व्यय किस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत किया गया था;

(ग) राज्य सरकार ने उक्त अधिवेशन के लिए कितने वाहनों तथा अधिकारियों को भेजा था ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) नागालैंड सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के अवसर पर गौहाटी में आयोजित प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया था जिसमें अन्य राज्य सरकारों ने भी भाग लिया था। नागालैंड सरकार ने बिक्री की रकम तथा स्टाक में लिये गये माल के मूल्य के कारण 4,21,332 रुपए को निकाल कर कुल 9,37,601 रुपए खर्च किये थे।

(ख) क्योंकि प्रदर्शनी में सरकार के विभिन्न विभागों ने भाग लिया था इसलिए व्यय संबंधित विभागों के उपयुक्त शीर्षों के नाम डाला गया था न कि एक लेखा शीर्ष के नाम।

(ग) नागालैंड सरकार के विभिन्न विभागों के 138 कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था तथा 25 वाहनों को अधिकारियों के आवागमन तथा सामान को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके अतिरिक्त 11 वाहनों को असम सरकार की ड्यूटी के लिए उनके अनुरोध पर रखा गया था।

प्रधान मंत्री द्वारा प्राप्त पत्र, अभ्यावेदन एवं ज्ञापन

3359. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 25 मार्च, 1977 से लेकर अब तक देश के विभिन्न भागों से उन्हें कितने पत्र, अभ्यावेदन तथा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 30 जून, 1977 तक 2,42,304 पत्र प्राप्त हुए।

देश के पिछड़े क्षेत्रों में संचार व्यवस्था

3360. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में संचार व्यवस्था के विकास हेतु कोई राशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को इस प्रयोजन के लिए सहायता देने के क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं; और

(ग) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा इसके लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). देश के पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संचार के विकास के लिये नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने जबकि कोई विशेष निधि निर्धारित नहीं की है, राज्यों को (i) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत; और (ii) केन्द्रीय सड़क निधि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता पर विचार करते समय, इन क्षेत्रों की मांगों पर उचित ध्यान दिया जाता है। ये दोनों योजनाएं अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के लिये भी हैं।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं और उन्हें पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में योजनाओं के बारे में सुझाव देने की छूट होती है जिन

पर उपलब्ध संसाधनों और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को नियत आपसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, उचित ध्यान दिया जाता है।

जहां तक अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम का प्रश्न है, सम्पूर्ण देश के लिए 5वीं योजना के भाग के रूप में 41.70 करोड़ रुपये की कुल लागत की योजनाएं अभी हाल में स्वीकृत की गई हैं, जिनमें लगभग 15 प्रतिशत योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों के बारे में हैं।

जहां तक केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) लेखे का प्रश्न है, चालू योजना अवधि में राज्यों में लगभग 30 करोड़ रु० की कुल लागत के कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं और इस राशि में से भी राज्य पिछड़े क्षेत्रों के लिये जितने संभव हो सकें कार्यों का सुझाव दे सकते हैं।

पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने के लिए जबकि कोई निर्धारित कसौटी नहीं है, कार्यों की स्वीकृति देने पर विचार करते समय इन पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों जैसी अन्य केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजनाएं भी पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित हैं, मोटे तौर से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई का लगभग 10 प्रतिशत भाग जन जातीय क्षेत्रों से गुजरत है, जो पिछड़ा क्षेत्र है।

जन जातीय क्षेत्रों, जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। पांचवीं योजना के दौरान 190 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है और राज्यों की निम्नलिखित कसौटियों को ध्यान में रखकर आबंटित की जाती हैं :—

(i) उप योजना क्षेत्रों में जन जातीय जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत

(ii) उप योजना के अन्तर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 30 प्रतिशत

(iii) उप योजना क्षेत्रों में जन जातीय जन संख्या को महत्व देते हुए राज्य के निबल आन्तरिक उत्पादन के विलोम अनुपात में 20 प्रतिशत

पांचवीं योजना में निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संचार के विकास के लिए जोर देने के लिए विशेष व्यवस्था है।

उड़ीसा बड़े पुलों के लिए केन्द्र द्वारा नियत राशि

3361. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में 'अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व' (इन्टरस्टेट एंड इकनोमिक इम्पार्टेन्स) के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 के लिए उड़ीसा में बड़े पुलों के लिए राशि का अनुमोदन एवं आवंटन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पुलों के नाम क्या है और प्रत्येक पुल के लिए कितना धन रखा गया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के केन्द्रीय सहायता के कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में चौथी योजना के प्रारम्भ से निम्न-लिखित परियोजनाओं के लिए अब तक 331.00 लाख रुपए का ऋण अनुमोदित किया गया है :---

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाखों में)
चौथी योजना के अनुमोदित कार्य		
1.	खड़गपुर बालासोर सड़क पर सुवर्ण रेखा पर पुल .	74.00
2.	आरंगनवपाड़ा सड़क पर जोंक पर पुल . .	18.00
पांचवीं योजना में अनुमोदित कार्य		
3.	सुबर्ण रेखा पुल के पहुंच मार्ग	41.00
4.	आन्लदपुर—भद्रक सड़क पर बैतरणी पुल का निर्माण .	90.00
5.	फलखिंमुन्दी गुगुपुर–बिसाम कटक सड़क (राज्य राज मार्ग—4) पर बंसेधारा पुल का निर्माण	108.00
	कुल	331.00

अप्रैल—जुलाइ, 1977 के लेखा अनुदान निधि में से, स्वीकृत कार्यों पर व्यय के लिए पहले ही 8.00 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है । जहां तक वर्ष की शेष अवधि का प्रश्न है संसद में अनुमानों की मांगों के स्वीकृत होने के बाद व्यवस्था सूचित की जायेगी ।

पिछड़े तथा जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये आवंटन

3362. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में पिछड़े क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के विकास के लिये केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि का आवंटन निर्धारित किया गया है ;

(ख) इस के लिए राज्यों को कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) इन क्षेत्रों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विशेष योजना कौन सी है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) राज्यों को अपने ही प्रयत्नों में सहायता करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों में दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के अलावा, सामान्य से अधिक अनुदान अंशवाली केन्द्रीय सहायता भी उदारतापूर्वक ऐसे कुछ राज्यों को दी जाती है, जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य । राष्ट्रीय औसत से नीचे की प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को भी केन्द्रीय सहायता के आवंटन में प्राथमिकता दी गई है ।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए चल रही विशेष स्कीमें इस प्रकार है :—

(1) सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (सू प्रक्षेम का) ।

(2) लघु कृषक विकास अभिकरण/मझौले कृषक और कृषि श्रमिक कार्यक्रम ।

(3) जनजातीय उपयोजनाएं और जनजातीय विकास अभिकरण परियोजनाएं ।

(4) पहाड़ी क्षेत्र उप-योजनाएं और पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजनाएं ।

(5) 'छः सूत्रीय कार्यक्रम' के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों त्वरित विकास के लिए सहायता ।

(6) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए रियायती वित्त-व्यवस्था, निवेश और परिवहन सहायता स्कीमें ।

(7) पिछड़े वर्गों के लिए स्कीमें ।

(8) महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमें ।

विवरण

पिछड़े क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के विकास के लिए 1977—78 में निम्न-लिखित आवंटन निर्धारित किए गए हैं :—

	करोड़ रु०
पिछड़े क्षेत्र	
पहाड़ी क्षेत्र उप-योजनाएं . .	44.00
पहाड़ी क्षेत्र विकास अभिकरण कार्यक्रम .	0.70
सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम .	50.96
उत्तर-पूर्वी परिषद् कार्यक्रम . .	28.61
आंध्र प्रदेश को छः सूत्री कार्यक्रम सहायता . .	18.00
एकीकृत ग्रामीण विकास	8.00
जनजातीय क्षेत्र	
जनजातीय उप-योजना .	55.00
जनजातीय विकास अभिकरण कार्यक्रम	2.47
कमजोर वर्ग	
लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम . .	44.96
पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम	18.23
महिलाओं और बच्चों के कल्याण का कार्यक्रम . .	19.45

हैवी अर्थ मूविंग उपकरणों और रेल के सवारी डिब्बों का निर्माण

3363. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1977–78 की पहली तिमाही के दौरान हैवी अर्थ मूविंग उपकरणों और रेल के सवारी डिब्बों का कितना निर्माण हुआ; और

(ख) वर्ष 1976–77 की इसी अवधि के दौरान इन उपकरणों का कितना निर्माण हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : **(क) तथा (ख)**. वित्त वर्ष 1977–78 की प्रथम तिमाही में 208 इण्डियन रेल कोचों का उत्पादन हुआ था जबकि 1976–77 की तदनुरूपी अवधि में 189 कोचों का उत्पादन हुआ था । हैवी अर्थ मूविंग उपकरणों के संबंध में अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी सहयोग

3364. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1977–78 की पहली तिमाही के दौरान दोनों तकनीकी तथा वित्तीय क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के लिये सरकार द्वारा उद्योगवार तथा राज्यवार कितने और बिन-किन आवेदन-पत्रों को अनुमोदित किया गया ;

(ख) गत वर्ष 1976–77 की इसी अवधि के दौरान इसी प्रकार कितने और किन-किन आवेदन-पत्रों को अनुमोदित किया गया ; और

(ग) प्रमुख अन्तर के, यदि कोई हो, क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख). 1976–77 और 1977–78 की प्रथम तिमाहियों में विदेशी सहयोग के क्रमश: 47 और 51 आवेदन स्वीकृत किये गये ।

इन स्वीकृतियों का उद्योगवार और राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

उद्योग का नाम	स्वीकृतियों की संख्या		राज्य का नाम	स्वीकृतियों की संख्या	
	प्रथम तिमाही			प्रथम तिमाही	
	1976	1977		1976	1977
	1977	1978		1977	1978
1	2	3	4	5	6
1. धातुकार्मिक उद्योग	1	—	बिहार	—	3
2. प्राइम मूवर्स (इलैक्ट्रीकल जेनेरेटर से भिन्न)	—	—	गुजरात	3	1

1	2	3	4	5	6
विद्युत उपकरण	18	16	हरियाणा	2	1
परिवहन	4	3	हिमाचल प्रदेश	1	1
औद्योगिक मशीनरी	11	13	कर्नाटक	4	3
मशीन टूल	2	2	केराला	2	4
विविध मैकेनिकल और इंजीनियरी उद्योग	—	2	मध्य प्रदेश	1	3
वाणिज्य कार्यालयीय और घरेलू उपकरण	—	1	महाराष्ट्रा	20	15
मेडिकल और सर्जीकल उपकरण	1	1	उड़ीसा	1	—
औद्योगिक उपकरण	1	3	पंजाब	1	1
कैमीकल (फर्टटलाइजर के अलावा)	2	6	राजस्थान	1	1
खाद्य परिरक्षण उद्योग	—	1	तमिलनाडु	1	6
रबड़ की वस्तुएं	2	—	उत्तर प्रदेश	—	5
चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा परिष्कारक	—	1	पश्चिमी बंगाल	10	5
शीशा	3	—	संघ शासित प्रदेश दिल्ली	—	1
मिट्टी की वस्तुएं	1	—	संघ शासित प्रदेश गोआ	—	1
गैर अनुसुचित उद्योग	1	1	—	—	—
कुल	47	51		47	51

आवेदकों के नाम विवरण I तथा II में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी०—686/77]

(ग) 1976–77 तथा 1977–78 की प्रथम तिमाहियों में विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृत आवेदन पत्रों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है ।

आशय-पत्रों का जारी किया जाना

3365. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, 1977 में सरकार ने प्रत्येक राज्य में उद्योगवार कितने औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किये हैं ;

(ख) क्या जारी किये गये लाइसेंस औद्योगिक नीति के अनुरूप हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी रोजगार क्षमता क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल० टी०—687/77**]।

(ख) जी, हां ।

(ग) अप्रैल, मई तथा जून में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र धारियों के आवेदनों में दिये गये आंकड़ों के अनुसार 33,560 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना बतायी गई है ।

ग्वालियर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजपथ

3366. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा उनके आस-पास के जिलों से जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ बहुत खराब हालत में हैं और उनकी ओर मरम्मत के लिए शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 जो ग्वालियर तथा इसके साथ लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों में से होकर गुजरता है, उन क्षेत्रों में जहां यह इकहरी गली वाला है और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में से होकर गुजरता है, असंतोषजनक स्थिति में बताया गया है। इन खंडों में भी जब कभी मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करने वाले राज्य लोक-निर्माण विभाग द्वारा तुरन्त मरम्मत कर दी जाती है।

उपलब्ध धनराशि के अनुसार क्रमिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग में सुधार किया जा रहा है, इसे दोहरी गली में चौड़ा और सशक्त किया जा रहा है। चौथी और पांचवीं योजना-वधियों के दौरान इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की 675 कि० मी० लम्बाई के लिए 11.44 करोड़ रुपए के अनुमानों की स्वीकृति दी गई है और काम निर्माण के विभिन्न चरणों में है। राज्यलोक निर्माण विभाग से कुछ अनुमानों की अभी भी प्रतीक्षा है।

दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका की बसों के मार्ग

3367. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में विशेषकर उन मार्गों पर जहां नई दिल्ली नगर पालिका अपनी बसें चला रही हैं, बस सेवा की स्थिति बिगड़ रही है ;

(ख) रीगल से नौरोजी नगर चलने वाली नई दिल्ली नगर पालिका बस की संख्या 52 एक्सप्रेस की सेवा में क्या फ्रीक्वेन्सी है ;

(ग) क्या दफ्तर के भीड़-भाड़ वाले समय में इस मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध नहीं है क्योंकि बस संख्या 52 के मार्ग पर चलने वाली बसों को किदवाई नगर भेज दिया जाता है ;

(घ) क्या दिन में एक बजे से 3 बजे तक इस मार्ग पर कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए यह विश्राम का समय होता है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का यह स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली में सुधार की आवश्यकता है। जिन रूटों पर नई दिल्ली नगर पालिका की बसें चल रही हैं, उन पर बस सेवाओं में कुछ गिरावट आई है।

(ख) 16 मिनट से 32 मिनट तक।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस अवधि के दौरान इस रूट पर 32 मिनट की बारम्बारता पर बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) यदि नई दिल्ली नगर पालिका इसे नियत किए गए बस रूटों पर अनुसूची का पालन नहीं पर सकती तो दिल्ली परिवहन निगम को उन रूटों पर अपनी बसें लगानी पड़ेंगी।

परिवहन नीति का बनाया जाना

3368. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय समेकित तथा समन्वित परिवहन नीति बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बताएगी कि कच्चे रोड, मेटल रोड़ तथा तारकोल रोड़ पर टन किलोमीटर के परिवहन पर कितनी शक्ति लगेंगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क). परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय समाकलित एवं समन्वित नीति का निर्धारण विचाराधीन है।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्विति समिति के सम्बन्ध आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कर्मचारी

3369. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री यशपाल कपूर, संसद् सदस्य की अध्यक्षता में गठित बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्विति समिति, जिसका कार्यालय 10, राजेन्द्र प्रसाद रोड़ पर स्थित था, से सम्बद्ध आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ;

(ख) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कुछ अधिकारियों ने उक्त प्रचार समिति के राइर्टस फोरम की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था ;

(ग) क्या सरकारी अधिकारियों का इस प्रकार सम्बद्ध होना उन के लिए बने आचरण नियमों का उल्लंघन नहीं था ; और

(घ) यदि हां, तो आचरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख). आकाशवाणी और दूरदर्शन में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर कोई भी अधिकारी 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति या उक्त समिति के रायटर्स फोरम से सम्बद्ध हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ग) और (घ). फिलहाल प्रश्न नहीं उठते।

केरल औद्योगिक कम्पलैक्स की स्थापना करना

3371. **श्री के० ए०ल राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने निर्यातोन्मुख वस्तुओं का निर्माण करने के लिए 25 नए औद्योगिक कम्पलैक्स स्थापित करने की योजना भेजी है।

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्र से इस नई योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और उस पर सरकारी निर्णय क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क). उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) को केरल राज्य सरकार से निर्यातोन्मुख वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु 25 नए औद्योगिक समूह काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ?

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

अर्थ व्यवस्था में विकास दर

3372. **श्री समरेन्द्र कुन्डू :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ व्यवस्था के हैं लिये आयोजना में दर्शायी विकास दर प्राप्त करने तथा बचतों के संवर्धन, अनर्थक खर्चे को घटाने तथा आय एवं धन में विषमता को समाप्त करने के लिये क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): माननीय सदस्य ने कई सामान्य विषय उपस्थित किए है जिनके सम्बन्ध में वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया है और योजना नीतियों के सम्बन्ध में बहस के समय ऐसे प्रश्न निस्सन्देह उपस्थित होंगे । मैं माननीय सदस्य को यह परामर्श दूंगा कि वे इन भाषणों को देख लें और होने वाली बहस के लिए प्रतीक्षा करें । तथापि, इस सम्बन्ध में स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है कि अर्थ व्यवस्था की विकास दर समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलित निवेश पर और उपयुक्त तथा सुसंगत आर्थिक नीतियों के अपनाने पर निर्भर है । सरकार ने योजना आयोग से यह कहा है कि वह वर्तमान योजना में निवेश के लिए प्राथमिकताओं की फिर से जांच करे और इन प्राथमिकताओं को उचित रूप में फिर से क्रमबद्ध करें । सरकार ऐसी सभी नीतियों की समीक्षा भी करेगी जो आन्तरिक बचत के संवर्द्धन के लिए सुसंगत हैं; इनमें मूल्य-नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, उपयुक्त ब्याज दरें और बचतों के लिए उपयुक्त साधनों का पता लगाना शामिल है । सरकार की राजकोषीय और आयात नियन्त्रण नीतियों का उद्देश्य है स्पष्ट उपयोग के सभी रूपों में कमी रखना । सरकार का उद्देश्य यह भी होगा कि अपनी आय-नीति और कराधान के माध्यम से आय और सम्पत्ति में वर्तमान विषमताओं को जहां तक हो सके कम किया जाए । ये उपाय ठोस रूप में तैयार किए जाएंगे और भावी बजटों, वार्षिक योजनाओं तथा नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अंग के रूप में सामने आयेंगे ।

गावडा सम्प्रदाय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित करना

3373. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गोआ के गावडा सम्प्रदाय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिये क्या उपाय किये हैं जिससे कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली सुविधाएं पा सकें ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : गोवा के गावडा सम्प्रदाय को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Persons Detained in Rajasthan during Emergency

3374 **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons detained under D.I.S.I.R. and Sections 107 and 151 in Rajasthan during emergency;

(b) the number of D. I. S. I. R. or M. I. S. A. detenous whose property or means of livelihood were seized by Government or courts ; and

(c) the number of persons who haye been returned their seized property and the number of persons whose property has not been returned so far ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

दिल्ली परिवहन निगम की बेकार बसें

3375. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों में आपसी मनमुटावों के कारण दिल्ली परिवहन निगम की बहुत सी बसें बेकार खड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन बसों को चालू हालत में लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1–7–1977 को 468 बसों में बड़ी मरम्मतें की जानी थीं, और यह दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों के बीच किस प्रकार की कहा-सुनी के कारण नहीं।

(ख) विभिन्न प्रकार के फालतू पुर्जों तथा सामग्री की कमी और निगम की कार्यशाला का सीमित क्षमता के कारण मरम्मत के काम में देरी हुई है। निकट भविष्य में अपेक्षित फालतू पुर्जों व समग्रियों को प्राप्त करने तथा इनमें से अधिक से अधिक बसों को सड़क पर वापस लाने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

दिल्ली परिहदनिगम के पास बसों की संख्या

3376. **श्री एम० रामगोपालन रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें हैं;

(ख) इनमें से कितनी बसें चालू हालत में हैं तथा कितनी बसें बेकार पड़ी हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ और नई बसें खरीदने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)) : (क) 30–6–77 को 2210।

(ख) 30–6–1977 को 1742 चालू हालत में हैं और 468 सड़क पर नहीं चल रही हैं।

(ग) जी हां।

13 जुलाई, 1977 को होने वाली सदन की बैठक के लिए
भारत कनाडा परमाणु वार्ता

3377. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी प्रतिनिधि मण्डल ने परमाणु वार्ता के लिए कनाडा का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कनाडा का कोई प्रतिनिधिमण्डल भारत आ रहा है; और

(ग) भारत के प्रधान मन्त्री की लन्दन में कनाडा के प्रधान मन्त्री के साथ बातचीत के बाद इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) न्यूक्लीय ऊर्जा सम्बन्धी मामलों पर बातचीत करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर 1975 में कनाडा गया था । भारत के साथ आगे कोई सहयोग न करने के बारे में कनाडा द्वारा मई 1976 में लिए गए निर्णय के बाद प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान नहीं हुआ है ।

(ग) कनाडा के प्रधान मन्त्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है तथा मैंने इस बात की सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि अब फिर से बातचीत शुरू करने के लिए एक आधार तैयार हो गया है ।

तमिल उद्योग निवेश निगम द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों में निवेश

3378. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल उद्योग निवेश निगम का विचार छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से 25 करोड़ रुपये की राशि वितरित करने का है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) यह राशि कितने उद्योगों को दी जायेगी ; और

प्रत्येक उद्योग को कितनी राशि दी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Setting up of paint industry in M. P.

3379. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state whether there is a scheme for setting up an industry for manufacturing paints, etc. from 'Ramraj' (Yellow ochre) in Jaitwan in Satna district in Madhya Pradesh ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : There is no proposal with the Central Government for setting up an industry for manufacturing paints etc., from 'Ramraj' (Yellow ochre) in Jaitwan in Satna District in Madhya Pradehsh

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण नगरीय निर्धन लोगों की भागीदारी

3380. **श्री बसन्त साठे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कार्यक्रम के अधीन विकास की प्रक्रिया में साधन-सम्पन्न लोग तो विकसित हो जाते हैं परन्तु साधन हीन ग्रामीण एवं नगरीय निर्धन लोग इस आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले सकते और अपने को सक्षम नहीं बना पाते ;

(ख) ग्रामीण/नगरीय निर्धन लोगों को इस आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सुनिश्चित ढंग से प्रभावी रूप में भाग लेने में सहायता देने के लिये क्या विशिष्ट उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ग) संगठन ग्रामीण श्रमिकों को यह नया लाभ पहुंचाने में सहायता के लिए किस प्रकार का संगठनात्मक तंत्र सोचा जा रहा है अथवा सोचा गया है ; और

(घ) क्या ग्रामीण श्रमिकों की उत्पादन क्षमता संबंधी घटती हुई शक्ति को बनाये रखने के लिये समेकित कार्यक्रम सोचा गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) यह सच है कि भूमिहीन गरीब लोगों की तुलना में भूमि और अन्य परिसम्पत्तियों वाले लोगों को योजना के निवेशों से, विशेषकर सिंचाई, कृषि-उत्पादन, ग्रामीण विकास, सहकारी ऋण और ऐसे ही विषयों पर किए जाने वाले परिव्ययों से अधिक लाभ पहुंचता है । इसी प्रकार, उद्योग और आधारभूत सुविधायों में किए जाने वाले निवेश से होने वाले लाभ का कम अंश ही शहरी गरीब लोगों को पहुंचता है ।

(ख) असुविधाजनक स्थिति में रहने वाले वर्गों की सहायता के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कुछ विशिष्ट स्कीमें ये है :—सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, लघु और मझौले कृषक तथा कृषि श्रमिकों के विकास अधिकरण कार्यक्रम, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र विकास स्कीमें, हथकरघे के विकास के लिए स्कीमें, रेशम, जटा, खादी और ग्राम उद्योग, विशेष पोषाहार कार्यक्रम आदि, ग्रामीण और शहरी निर्माण-कार्य कार्यक्रम ।

(ग) और (घ). योजना आयोग से यह कहा गया है कि वह छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय ऐसी नीति बनाए कि योजना की अवधि में ही पर्याप्त मात्रा में बेरोजगार लोगों को उत्पादक रोजगारों में लगाया जाए और बाकी को अगले पांच वर्षों में । जो लोग आजकल गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं, उनमें से पर्याप्त लोगों के लिए योजना की अवधि में ही न केवल भोजन, वस्त्र और आश्रय की बल्कि जन सेवाओं की मूल आवश्यकताओं की भी व्यवस्था की जाएगी । यह नीति तैयार करने में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि-उद्योगों और छोटे तथा कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी । इस नीति के तैयार कर लेने के बाद इस सामान्य नीति के अन्तर्गत विशिष्ट कार्यक्रम और इनको कार्यान्वित करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था बनाई जाएगी ।

कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए कदम

3381. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कमजोर वर्गों के, विशेषतया आदिवासियों के विभिन्न रूपों में हो रहे शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) इस समय तक क्या उपाय लागू किये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यों को क्या निर्देश व अनुदेश दिये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). संविधान के अनुच्छेद 46 में निदेशक सिद्धान्त के अनुसरण में साहूकारों द्वारा लूट-खसोट को रोकने, बंधक मजदूरी समाप्त करने, न्यूनतम मजदूरी

का भुगतान करने इत्यादि जैसे विभिन्न मामलों के बारे में कमजोर वर्गों की रक्षा करने के लिए राज्यों ने विभिन्न कानूनी उपाय किये हैं ।

अनुसूचित जनजातियों के मामले में शोषण समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और आदिवासी उपयोजनाओं और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं में शोषण समाप्त करने और वर्तमान विधायी और कार्यकारी उपबंधों का पुनरीक्षण करने हेतु कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए स्पष्ट अनुदेश जारी किये गये है ।

मुख्य पहलू, जिन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये हैं :

(1) उत्पादन-शुल्क नीति, (2) वन नीति, (3) ऋण तथा विपणन, और (4) भूमि हस्तांतरण । स्थिति अनुलग्नक में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 688/77]

मीसा में नजरबन्द प्राध्यापकों को वेतन का भुगतान

3382. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के गृह सचिव ने आपात स्थिति के दौरान पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के मुख्य सचिव के माध्यम से यह परिपत्र जारी किया था कि मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द विश्व-विद्यालय तथा कालेजों के प्राध्यापकों को वेतन लेने से वंचित किया जाये परन्तु वे केवल छुट्टी की अवधि का, जिनके वे हकदार थे, वेतन ले सकते थे ;

(ख) क्या यह परिपत्र अभी तक नहीं वापस नहीं लिया गया है ;

(ग) क्या उपरोक्त कारणों से विश्वविद्यालय तथा कालेज के अनेक प्राध्यापकों को उनकी नजरबन्दी की अवधि का वेतन नहीं दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह आदेश जारी करने का है कि पहले वाला परिपत्र वापस ले लिया जाये जिससे आपात स्थिति के दौरान मीसा में नजरबन्द प्राध्यापकों को देय वेतन का भुगतान किया जा सके ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) अगस्त, 1975 में ये अनुदेश जारी किए गए थे कि नजरबन्द अध्यापकों को देय छुट्टी लेने का विकल्प दिया जाए । उल्लिखित अनुदेशों में नवम्बर, 1975 में संशोधन किया गया था और अध्यापकों को निलम्बित किए गए सरकारी कर्मचारियों के बराबर माना जाना था तथा नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाना था ।

(ख) से (घ) . आपात स्थिति समाप्त होने के बाद पूरे मामले का पुनरीक्षण किया गया है, इस संबंध में पहले जारी किये गये अनुदेश वापस ले लिये गए हैं और 10 मई, 1977 को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने मीसा के अधीन नजरबन्द किये गये सभी कर्मचारियों को बहाल करने और नजरबन्दी की अवधि के लिए निर्वाह भत्ते के रूप में उनके वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी किये हैं । इन अनुदेशों की एक प्रति राज्य सरकारों को पृष्ठांकित की गई है जिसमें उनके कर्मचारियों के बारे में इसी प्रकार की कार्यवाही करने की सलाह दी गई है ।

देश में बेरोजगारी

3383. **श्री समर गुह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के तरीकों का पता लगाने का चुनौतीपूर्ण कार्य हाथ में लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कोई ठोस नीति कार्यक्रम तथा परियोजनायें तैयार करने से पूर्व, बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिये इच्छुक लोगों को अपने व्यवहारिक सुझाव देने के अवसर प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ङ) देश में (एक) आमतौर से बेरोज़गारी, (दो) रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोज़गारों और (तीन) कृषि बेरोज़गारों संबंधी राज्य-वार नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). : सरकार देश में बेरोज़गारी की समस्या से पूरी तरह से परिचित है । इस समस्या को प्रभावी रूप से हल करने के लिए योजना आयोग से छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें रोज़गार के लिए बहुत अधिक व्यवस्था की गई हो । आयोग इस विषय में यथासमय ठोस नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तावित करेगा ।

(ग) और (घ).: राष्ट्रीय, राज्य और अन्य स्तरों पर योजनाएं तैयार करने की सामान्य कार्यविधि का अनुसरण किया जाएगा, इससे राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे ।

(ङ) मद-संख्या (एक) और (दो)---सभा पटल पर दो विवरण प्रस्तुत हैं ।

मद-संख्या (तीन)-कृषि के क्षेत्र में बेरोज़गारों के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिये** संख्या एल० टी० 689/77]

हल्दिया में जहाज निर्माण यार्ड

3384. **श्री समर गुह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में, एक जहाज निर्माण यार्ड की स्थापना के लिये अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में अन्तिम निर्णय करने में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रस्ताव में बहुत सी तकनीकी और वित्तीय समस्याएं हैं और इस लिए कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जांच की जानी है ।

पार्वती नदी पर पुल

3385. **डा० बन्सत कुमार पण्डितः** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला राजगढ़ (मध्य प्रदेश), तहसील नरसिंहगढ़ में पीलूखेड़ी के निकट पार्वती नदी पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को मंजूरी कब दी जायेगी और निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उटता ।

फालतू रक्षा स्टाक से भूतपूर्व सैनिकों को अलाट किये गये वाहनों की बिक्री

3386. **डा० वसंत कुमार पण्डित :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फालतू रक्षा स्टाक से भूतपूर्व सैनिकों को अलाट किये गये वाहनों की कथित बिक्री के सम्बन्ध में सरकार को मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है तथा अन्य शिकायतों के बारे में कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच कब आरम्भ की थी तथा उसके निष्कर्ष कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सी० बी० डी, आवडी, सी० ओ० डी०, चीओकी और सी०बी०डी०, दिल्ली छावनी में फालतू रक्षा स्टाक से भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित किये गये वाहनों की बिक्री के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । ये शिकायतें आवंटन की शर्तों को न मानने, साधारण वाहनों के स्थान पर विशिष्ट वाहन जारी करने और भूतपूर्व सैनिकों के नाम से प्राइवेट व्यक्तियों को वाहनों की बिक्री करने के बारे में हैं ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पांच मामलों की जांच की है और दो मामलों की जांच की जा रही है । अन्य मामलों में विभागीय कार्रवाई की गई है ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अगस्त, 1974 और फरवरी, 1975 के बीच पांच मामलों की जांच प्रारम्भ की थी । इन मामलों की जांच पूरी कर ली गई है । शेष दो मामलों की जांच जनवरी, 1977 में ही प्रारम्भ हुई है ।

रुग्ण उद्योगों के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति

3387. **श्री निहार लास्कर :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में रुग्णता को दूर करने के उपायों का सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यह प्रतिवेदन कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) औद्योगिक रुग्णता की विविध समस्याओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दलों का गठन किया गया है । उद्योग की रुग्णता सम्बन्धी सामान समस्याओं का अध्ययन करने के लिए रुग्ण इंजीनियरी एककों को प्रभावित करने वाली समस्याओं का अध्ययन करने हेतु कुछ समय पहले एक विशेष दल गठित किया गया था। इस दल की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) विशेष दल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

(i) रुग्णता के प्रारम्भ में ही मामलों का पता लगाया, जिससे बन्द करने की स्थिति न आये और रुग्णता के मामले गम्भीर रूप न धारण कर सकें। यद्यपि यह जिम्मेदारी प्रारम्भिक तौर पर स्वयं एकक की है फिर भी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और औद्योगिक संगठनों को भी चाहिए कि वे प्रारम्भ में ही रुग्णता का पता लगाने की प्रणाली विकसित करें।

(ii) भारत के औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की भूमिका और बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता के विकास की समय-समय पर संवीक्षा की जानी चाहिए।

(iii) रुग्ण एककों के पुनरुत्थान में सहायता देने के लिए स्वस्थ एककों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जहां कहीं संभव हो आर्थिक जीव्यता हासिल करने के लिए युक्तियुक्त करने और विलयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(iv) एक आवश्यकता अभ्युपाय औद्योगिक एककों के विकास की प्रक्रिया सुनिश्चित करना है ताकि वे बढ़ती हुई लागतों और प्रौद्योगिकीय विकास की पूर्ति और आत्मीकरण कर सकें।

(v) बन्द एककों के मामलों में सरकार व्यावहारिक सीमा तक जांच कराने के प्रश्न पर विचार कर सकती है ताकि उन एककों के मामलों में भी जहां से सहायता के लिए संदर्भ/आवेदन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, पुनः सजीव बनाने के लिए उपयुक्त प्रयास किये जा सकें।

(vi) जहां प्रबन्ध व्यवस्था असद्भावपूर्ण सिद्ध हो चुकी हो और/अथवा कार्यवाही के अन्य तरीके असफल हो चुके हों, वहां जांच द्वारा सरकारी कार्रवाई करने और आवश्यक होने पर प्रबन्ध अधिग्रहण का सुझाव दिया जाता है। इसे अन्तिम कदम समझा जाना चाहिए।

(vii) मांग/क्रयादेश में लोचकता न आने देने के लिए संशोधित योजना के माध्यम से सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अनिवार्य है।

(ग) विशेष दल द्वारा की गई सिफारिशों पर योजना आयोग में 28-12-1974 को हुई बैठक में विचार किया गया था। उसके बाद औद्योगिक रुग्णता को कम करने अथवा उससे बचने के लिए अनेक अभ्युपाय किये गये हैं। अब कपड़ा, जूट, चीनी, सीमेंट और इंजीनियरी उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए भारत के औद्योगिक विकास बैंक (और अन्य वित्तीय संस्थानों) द्वारा रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में औद्योगिक एककों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि प्रारम्भिक रुग्णता का पता लगाया जा सके। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी सलाह दी गई है कि वे सहायता प्राप्त एककों के रुग्णता सम्बन्धी प्रारम्भिक चिन्हों का पता लगाते रहें ताकि समय रहते सुधारात्मक अभ्युपाय किये जा सकें। 14 चुने हुए इंजीनियरी उद्योगों के लिए हर पांचवें वर्ष 25 प्रतिशत क्षमता के विकास के लिए 'आपने आप' लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। रुग्ण एककों के स्वस्थ एककों के साथ मिला देने और विलयन के लिए पिछले बजट में एक विशेष सुविधा की घोषणा की गई है ताकि इस प्रकार के रुग्ण एककों को पुनः जीवित किया जा सके तथा रोजगार और उत्पादन को बनाये रखा जा सके।

स्वागत अधिकारियों से अभ्यावेदन

3388. **श्री के० ए० राजन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वागत अधिकारियों से समय-समय पर काफी संख्या में इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें स्वागत संगठन में खपाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) तथा (ख). कुछ जूनियर स्वागत अधिकारियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि स्वागत संगठन में उनको स्थाई तौर पर खपाया जाये। किन्तु नीति के रूप में अभी जूनियर स्वागत अधिकारियों के पदों को केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है कि संवर्ग छोटा है और पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। अतः स्थाई खपत का परिणाम यह होगा कि स्थिरता आ जायेगी तथा बाद में निराशा होगी।

जम्मू में सीमेंट कारखाने की स्थापना

3389. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू पिछड़े क्षेत्र बासोहली में एक सीमेंट का कारखाना लगाने के बारे में कुछ समय से विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस :(क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर सरकार के डाक उपक्रम मैसर्स जम्मू एण्ड काश्मीर मिनरल लिमिटेड को अप्रैल, 1971 में बासोहली में प्रतिवर्ष

2 लाख मीट्रिक टन पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए एक आशयपत्र दिया गया था। आशयपत्र की वैधता समय-समय पर बढ़ायी गई है। राज्य उपक्रम द्वारा आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने में हुई देरी के कारण योजना के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी हुई लगती है।

थीन बांध परियोजना

3390. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में थीन बांध परियोजना अन्तिम रूप से तैयार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :(क) और (ख). प्रस्तावित थीन बांध परियोजना को, जिसमें रावी नदी का पानी इस्तेमाल किया जाना है, अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि भागीदार राज्यों--पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित अनेक मामलों का अभी निपटारा किया जाना है।

भादड़वा और जम्मू के बीच अन्तर्राज्यीय सड़क

3391. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने के बावजूद भादड़वा और जम्मू के बीच महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय सड़क की संतोषजनक ढंग से प्रगति नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं और इसको शीघ्रता से पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). संभवतः, माननीय सदस्य का आशय जम्मू और कश्मीर राज्य में भद्रवाह तथा हिमाचल प्रदेश में चम्बा के बीच अन्तर्राज्यीय सड़क से है। यह एक राज्य सड़क है और इसलिए संबंधित राज्य सरकारें इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं।

काम पहले से ही प्रगति पर है। जहां तक जम्मू व कश्मीर भाग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा बताई गई मार्च, 1977 तक की प्रगति निम्न प्रकार से है :--

(i) भूमि का अधिग्रहण . . .	100 प्रतिशत
(ii) मिट्टी का काम	56 प्रतिशत
(iii) पुश्ता दीवार सन्मुखी दीवार .	56 प्रतिशत
(iv) समस्त प्रगति	57 प्रतिशत

राज्य सरकार ने विस्तृत अनुमानों की संस्वीकृति देते समय सूचित किया कि काम की लागत 149.00 लाख रुपये तक होगी, जिसमें से 115 लाख रुपये केन्द्रीय ऋण से तथा शेष राशि राज्य के

संसाधनों से पूरी की जाएगी। नवीनतम सूचनाओं के अनुसार, लागत की लगभग 200 लाख रुपये हो जाने की संभावना है। क्योंकि राज्य सरकार के लिये अपने संसाधनों से अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था कर पाना कठिन हो रहा है और केन्द्रीय सरकार के पास भी इस वृद्धि को पूरा करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह उपलब्ध संसाधनों के भीतर जितनी संभव हो सके उतनी लम्बी सड़कें पूरी करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, राज्य सरकार को इस सड़क के लिए भी उन्हीं विशिष्टियों को अपनाने की अनुमति दे दी गई है, जो अन्य राज्य सड़कों के लिये अमल में ला रहे हैं।

भारत की नौवहन टनयोग क्षमता

3392. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना में भारत की बढ़ती हुई नौवहन टनयोग क्षमता का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या पांचवीं योजना के अन्त तक लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) से (ग). पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नौवहन टनभार का लक्ष्य 6.50 मिलियन जी०आर०टी० परिचालनात्मक टनभार है और 0.50 मिलियन जी०आर०टी० आर्डर पर है। परिचालनात्मक टनभार, जो पांचवीं योजना के प्रारम्भ में 3.09 मिलियन जी०आर०टी० था, को बढ़ाकर 30 जून, 1977 को 5.264 मिलियन जी०आर०टी० कर दिया गया है। एक और 0.75 मिलियन जी०आर०टी० निर्माणाधीन है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी कठिनाई की संभावना नहीं है।

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के फिल्म विंग का बन्द होना

3393. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे में फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया का फिल्म विंग हाल में बन्द हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख). फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया, पुणे के फिल्म विंग को बन्द नहीं किया गया है। केवल गर्मी की नियमित छुट्टियां जो 1 जून, 1977 से शुरू होनी थीं, छात्रों द्वारा वर्तमान शिक्षण ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में चलाये गये आन्दोलन के कारण 25 मई, 1977 से कर दी गई थीं।

सीमेंट मूल्य नीति

3394. **श्री एम० जी० मुरुगय्यन**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एक नई सीमेंट मूल्य नीति तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिज): (क) जी, नहीं। सीमेंट उद्योग के लिए मूल्य में सामान्य संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

गुजरात में उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता

3395. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के पिछड़े जिलों में निर्माण एकक स्थापित करने के इच्छुक नये उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने की नीति क्या है;

(ख) क्या वित्तीय सहायता देने के लिये कोई शर्तें हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिज) :(क) से (ग). पिछड़े जिलों में निर्माण करने वाले एककों की स्थापना करने वाले नये उद्यमियों को सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है। ये वित्तीय रियायतें कम ब्याज की दर और प्रारम्भ में अधिक मोहलत आदि के रूप में दी जाती हैं। पिछड़े क्षेत्रों के नये उद्यमियों को आयकर निर्धारण करते समय अर्जित लाभ में से 20 प्रतिशत की कटौती की भी रियायत मिली हुई है। मूल्य की 10 प्रतिशत की रियायती अग्रिम राशि पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा लघु एककों को किराया-खरीद के आधार पर मशीनें सप्लाई की जाती हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ब्याज दर पिछड़े क्षेत्रों के उद्यमियों के मामलों में कम होती है। चुने हुए पिछड़े जिलों में नये उद्यमियों को भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनों पर किये गये निवेश पर 15 प्रतिशत की पूंजी की राजसहायता दी जाती है। ये रियायतें गुजरात राज्य के पिछड़े जिलों में निर्माणरत एककों की स्थापना करने के इच्छुक नये उद्यमियों को भी सुलभ होंगी। इनके अलावा राज्य सरकार जिसमें गुजरात सरकार भी शामिल है, पिछड़े जिलों में निर्माण करने वाले एककों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों को ऐसी रियायतें प्रदान कर सकती हैं जिन्हें उचित समझें।

[गुजरात में विद्युत की कमी

3396. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य विद्युत् की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ख) उन जिलों के क्या नाम हैं जहां विद्युत् की भारी कमी है; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) गुजरात में वर्तमान में विद्युत् की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक है । तथापि तारापुर परमाणु विद्युत् केन्द्र की बन्दी के कारण फरवरी से अप्रैल, 1977 तक अधिकतम भार के घंटों में ग्रामीण पोषकों (फीडरों) को विद्युत् की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाया गया था ।

(ख) उत्तर गुजरात में मेहसाना और सिद्धपुर जिलों ने भूतकाल में विभिन्न मात्रा में विद्युत् की कमी का सामना किया है ।

(ग) उत्तर गुजरात में गांधीनगर ताप विद्युत केन्द्र में 120–120 मेगावाट के दो यूनिट हाल ही में चालू किए गए हैं । इन दो यूनिटों की सुस्थिरता से उत्तर गुजरात सहित राज्य में विद्युत् की स्थिति में और सुधार होगा ।

दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

3397. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में कितने दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उक्त दूरदर्शन केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) सात ।

(ख) मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने की सुविधाओं से युक्त दो पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र हैदराबाद और जलंधर में स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, गुलबर्ग, संबलपुर, मुजफ्फरपुर, कानपुर और मसूरी में पांच प्रेषण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

Rawat Regiment

3398. **Shri S. K. Sarda** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a regiment known as 'Rawat Regiment' was raised by recruiting youths in the army from that Community ;

(b) if so, whether that regiment has now been disbanded ; and

(c) if so, the details of the Scheme under consideration of Government for providing employment to those unemployed Rawat Youths ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No Sir. No regiment called 'Rawat Regiment' has ever been raised by the Army.

(b) and (c). Do not arise.

भारत में ऊर्जा के विकास के लिये अमरीकी सहयोग

3399. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में ऊर्जा के विकास के लिये अमरीकी सहयोग के बारे में वहां से कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई करार करने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल अमरीका भेजा जा रहा है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अमरीका से कितना सहयोग मिलेगा ; और

(घ) क्या भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई योजनायें तैयार की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। तथापि, ऊर्जा संबंधी पहलुओं सहित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में परस्पर लाभदायक सहयोग बढ़ाने की संभाव्यताओं का पता भारत-अमरीका विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उप-आयोग में लगाया जा रहा है। सौर ऊर्जा, कोयला के क्षेत्रों में तथा कृषि में अपरम्परागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और विकास के प्रस्तावों के बारे में पता लगाया जा रहा है तथा विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सहयोग के बारे में विचार के लिए निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव तैयार किए गए हैं :—

सौर ऊर्जा :

फ्लैट प्लेट संग्रहकों द्वारा कार्य करने वाली वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणालियों का अभिकल्प और विकास ;

ग्रामीण तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए मध्यम-तापमान वाले उच्च-सामर्थ्य युक्त नान-ट्रेकिंग सौर ऊर्जा संग्राहक ;

कृषि उत्पादों के लिए सौर शुष्कीकरण प्रणालियों को इष्टतम बनाना;

सौर शैलों, पैनलों तथा विद्युत प्रणालियों का परीक्षण तथा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन ;

थिन-फिल्म हेटरोजंक्शन सौर सैल ; तथा

सस्ते सोट्टकी-बैरियर (schattky-barrier) सौर सैलों का निर्माण ।

कोयला :

कोयले का फल्यूडाइज्ड-बैड वहन;

कोयले के दहन के लिए गर्म गैस क्लिन अप प्रणालियां ; तथा

कोयले का विलायक निस्सारण ।

विशाखापत्तनम पत्तन पर पत्तन और गोदी कर्मचारी

3400. **श्री द्रोणाराजू सत्यनारायण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम पत्तन पर पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) 31 मार्च , 1977 तक कितने कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गयी तथा उनकी प्रतिशतता कितनी थी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). विशाखापत्तनम के पत्तन एवं गोदी कर्मचारियों के बारे में अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है:—

	कर्मचारियों की कुल संख्या	जिन कर्मचारियों को आवासीय स्थान दिया गया है उनकी संख्या	आवास स्थान दिए गए कर्मचारियों का प्रतिशत
1. पत्तन कर्मचारी	11036	1462	13.25
2. गोदी कर्मचारी . .	3131	888	28.36

"टीवीज' लिटिल वाटरगेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3401. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अप्रैल, 1977 के 'मेनस्ट्रीम' में ' 'टीवीज लिटिल वाटरगेट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस लेख में व्यक्त विचारों से सरकार कहां तक सहमत है तथा उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो अपने निजी स्वार्थों के लिए टेलीविजन माध्यम का दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी थे ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस माध्यम का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति अब भी करतातरता है तथा उन्होंने अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी कार्रवाई, जो उपयुक्त समझी जाती है, करने के लिए मामले की जाच का जा रही है ।

(ग) आपात स्थिति के दौरान जन सम्पर्क के माध्यमों के दुरुपयोग के बारे में दास समिति द्वारा जांच की गई है । दास समिति के निष्कर्षों पर सरकार जो निर्णय लेगी उसमें इन माध्यमों के दुरुपयोग के उत्तरदायी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी शामिल होगी । तथापि, इन माध्यमों ने अपना दृष्टिकोण सरकार की नीति के अनुरूप पहले ही बदल लिया है ।

आपात स्थिति के दौरान श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी की गई प्रचार सामग्री

3402. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निकाली गई प्रचार सामग्री का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : आपात स्थिति के दौरान चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के समर्थन में प्रचार सामग्री के निकालने और उसके वितरण करने

पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 3,38,00,000 रुपये की राशि निम्नानुसार व्यय की :

मुद्रित प्रचार	1,63,00,000 रुपए
विज्ञापन	1,18,00,000 रुपए
प्रदर्शनियां	9,00,000 रुपए
बाह्य प्रचार	20,00,000 रुपए
वितरण व्यय	28,00,000 रुपए

Production of Newsprint

3403. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of newsprint manufacturing factories in the country indicating the production capacity thereof ;

(b) the production of newsprint during the last three years, separately as also the annual demand therefor ; and

(c) whether Government are formulating a scheme for increasing the production of newsprint and if so, the main features thereof ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) The National Newsprint and Paper Mills Ltd., Nepanagar, a public sector undertaking, is the only unit in the country manufacturing newsprint. The mill is undertaking an expansion programme to increase its capacity from 30,000 tonnes per annum to 75,000 tonnes per annum, and is producing newsprint to the extent of about 57,000 tonnes per annum at present.

(b) The production of newsprint during the last three years was as under :

1974-75	54,000 tonnes
1975-76	52,863
1976-77	57,660

The present annual demand for newsprint is estimated to be of the order of 2.25 lakh tonnes.

(c) Apart from the expansion of National Newsprint and Paper Mills to a capacity of 75,000 tonnes per annum, the Hindustan Paper Corporation, a Government of India Undertaking, is setting up a newsprint project for a capacity of 80,000 tonnes per annum in Kerala. The Kerala Newsprint Project is already under implementation and is expected to be commissioned by the end of 1978. Government have also approved the following schemes for production of newsprint:

1.	Hargolal & Sons Ambala Cantt.	Punjab	30,000 tonnes per annum
2.	Ramganga Paper Mills	UP	30,000 tonnes per annum
3.	West Bengal State Industrial Development Corporation	West Bengal	60,000 tonnes per annum
4.	Mysore Paper Mill	Karnataka	75,000 tonnes per annum
5.	Century Pulp	UP	20,000 tonnes per annum
6.	B.D. Somani	UP	25,000 tonnes per annum

नागालैंड के अधिकारियों की बहाली

3404. **श्रीमती रानो एम० शायजा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित नागालैंड सरकार के कुछ अधिकारियों को राज्य में सतर्कता आयोग की नियुक्ति के बाद बहाल कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो राज्य में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) सतर्कता आयोग में नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) सतर्कता आयोग में नियुक्त नागा और गैर-नागा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। नागालैंड सरकार के अनुसार, पांच मामलों में निलम्बित अधिकारी सतर्कता आयोग की सलाह पर बहाल किए गए थे।

(ग) 22।

(घ) जो नागा नहीं—13

नागा—9।

रुग्ण नौवहन कम्पनियों को ऋण

3405. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक रुग्ण नौवहन कम्पनियों को 'रेस्क्यू लोन' देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण के योग्य कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। ऋणों की ऐसी कोई श्रेणी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तापीय विद्युत् संयंत्र

3406. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में देश में मुख्य तापीय विद्युत संयंत्रों के कितने घंटों का उपयोग नहीं किया जा सका ;

(ख) उक्त अवधि में इन संयंत्रों में कितनी बार खराबी आई और इनकी मरम्मत में कितना समय लगा ;

(ग) उक्त अवधि में कितनी बार विभिन्न विद्युत प्रणालियों में बाधायें आईं, उनके क्या कारण थे और इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है तथा किये गये ; और

(घ) क्या हमारी विद्युत प्रणाली का एक बड़ा दोष वाल्टेज में परिवर्तन होना भी है और यदि हां, तो इसको दूर करने के लिये क्या उपाय हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) देश के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों की नियोजित बन्दी तथा जबरन बन्दी की दर 1976–77 के दौरान क्रमशः 9.6% और 12.95% रही। बन्दी की इन दरों में नियोजित अनुरक्षण के कारण ऊर्जा की कुल हानि लगभग 8565 मिलियन यूनिट थी और जबरनबन्दी के कारण यह हानि लगभग 11,565 मिलियन यूनिट थी।

(ख) जबरनबन्दियों की कुल संख्या 2474 थी और एक जबरनबन्दी की मरम्मत में लगा औसत समय 53 घंटे था।

(ग) देश की विभिन्न विद्युत् प्रणालियों में हुई गड़बड़ियों की संख्या संबंधी आंकड़े दे पाना संभव नहीं है। इन प्रणालियों के पारेषण और वितरण तारजाल का अनुरक्षण और प्रचालन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केवल ग्रिड में होने वाली प्रमुख गड़बड़ियों का रिकार्ड रखते हैं, उनके कारणों का विश्लेषण करते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है उनके सुधार के उपाय करते हैं। किन्तु उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई में बाधाएं या तो उत्पादक यूनिटों के जबरनबन्द हो जाने के फलस्वरूप मांग की तुलना में उत्पादन क्षमता में कमी आ जाने के कारण आती है तथा/या लाइनों में दोष आ जाने, कंडक्टरों के टूट जाने, टावरों, खम्भों, केबिलों, ट्रान्सफार्मरों के फेल हो जाने, प्रणालियों तथा अन्य सहयोगी उपस्करों पर अधिक भार हो जाने के कारण पारेषण और वितरण प्रणाली की खराबी के कारण आती है।

उत्पादन यूनिटों में जबरनबन्दी और नियोजितबन्दी की दरों को कम करने के लिए तथा पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्त करने के लिए जोरदार कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) जिन प्रणालियों में लम्बी पारेषण लाइनें बिछाई गयी हैं तथा दिन और रात की मांगों में बहुत अन्तर होता है उनमें वोल्टता संबंधी घटबढ़ होती है। इस प्रकार की स्थितियों में सुधार समुचित वोल्टता नियमन उपस्करों से होता है। पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। चूंकि तारजाल का निरन्तर विस्तार हो रहा है अतः साधनों की उपलब्धता की सीमा के भीतर ही प्रणाली सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

गोआ, दमन और दीव के लिये लोक सेवा आयोग

3407. **श्री एडुआर्डो फैलोरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के लिये अब तक राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह): (क) भारत के संविधान में संघ राज्यक्षेत्रों के लिए अलग सेवा आयोग गठित किए जाने की व्यवस्था नहीं है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

रिहंद बिजली परियोजना

3408. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहन्द बिजली परियोजना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई समिति

की चिंताजनक रिपोर्ट को सरकार ने देख लिया है। जिसमें कहा गया है कि यदि वर्तमान उपेक्षा जारी रही तथा समय पर उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये तो यह परियोजना पूर्णतया विफल हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विपदा को टालने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सा० आ० सं० 636( )/एस० बी०/75-23-सिचाई-4, दिनांक 20-2-75 के जरिए रिहन्द जलाशय के भूमि तथा जल प्रबन्ध पर एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को 30-11-1976 को प्रस्तुत की गई थी। उसकी एक प्रति हाल ही में भारत सरकार के विद्युत विभाग में प्राप्त हुई है।

इस रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच कर रही है। भारत सरकार के विद्युत विभाग में भी इन सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि इन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके तथा जब भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश सरकार को समुचित परामर्श दिया जाएगा।

Renovation of D. T. C. sheds at bus stands in Delhi

3409. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the sheds provided by the D. T. C. at bus stands in Delhi and suburban areas have worn out and their renovation has become necessary ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) There has been deterioration in the upkeep of these sheds but I am directing that this matter should be looked into.

(b) The question of transferring the sheds in NDMC area was under negotiation and in view of the pending transfer the maintenance of these sheds was neglected. It has been agreed to drop the proposal. Steps are, now being taken to attend to the repair work of the shelters as early as possible.

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान रिऐक्टर तथा कम्प्यूटर

3410. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में कितने अनुसंधान रिऐक्टर तथा कम्प्यूटर हैं ; और

(ख) क्या इस केन्द्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में इस समय चार अनुसंधान रिऐक्टर हैं तथा एक अन्य रिऐक्टर निर्माणाधीन है। वहां दो कम्प्यूटरों को उसी रूप में तथा आठ कम्प्यूटरों को अन्य उपकरणों के भागों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) इस केन्द्र का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

3411. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं; और

(ख) क्या इन केन्द्रों के पास अपने भवन हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी के चार केन्द्र हैं। ये हैदराबाद, विजयवाडा, विशाखापतनम और कुडडप्पा में हैं।

(ख) हैदराबाद और विजयवाड़ा में सारे तकनीकी प्रतिष्ठापन आकाशवाणी के अपने भवनों में हैं। विशाखापतनम और कुड्डप्पा में ट्रान्समिटर और ग्रहण केन्द्र आकाशवाणी के अपने भवनों में हैं, किन्तु अन्तरिम स्टूडियो सुविधाएं किराये के भवनों में उपलब्ध की जाती हैं।

हैदराबाद में प्रशासनिक कार्यालयों का कुछ भाग और अन्य तीन केन्द्रों पर समूचा कार्यालय ढांचा फिलहाल किराये की जगह में है।

दक्षिणी राज्यों में बिजली के लिये समान शुल्क दरें

3412. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में बिजली के लिये सामान शुल्क दरें हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों में बिजली के लिये समान शुल्क दरें निश्चित करने का है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन : (क) जी, नहीं।

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्डों को बिजली की आपूर्ति के अपने-अपने टैरिफ इस प्रकार से तैयार करने का अधिकार है कि वे अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकें। टैरिफ की दरों में अंतर मुख्यतया बिजली की लागत में विभिन्नता के कारण होता है जो कि, अन्य बातों के साथ-साथ, आपूर्ति के साधन पर अर्थात् ताप विद्यूत जल विद्यूत अथवा परमाणु वित्तूत पूंजी लागत और ताप विद्युत केंद्रों के मामलों में ईंधन की लागत पर निर्भर है। विभिन्न राज्यों में भार केन्द्रों तक बिजली ले जाने के लिए अपेक्षित पारेषण और वितरण प्रणाली भी एक घटक है जो कि टैरिफ दरों का निर्धारिण करता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3413. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बावुन नामक क्षेत्र में ग्रामों में घरेलू तथा कृषि कार्यों के लिये अब तक बिजली नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Power Projects in Gujarat

3414. **Shri Dharamsinghbhai Patel** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the names of power projects in Gujarat State on which work is in progress ;

(b) the names of power projects in respect of which proposals have been sent by Government of Gujarat to Central Government for approval and when these proposals were sent ;

(c) time by which these projects are likely to be approved ; and

(d) names of projects in Gujarat which have been approved during the last three years ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The power projects in Gujarat on which work is in progress are the following :—

(i) Ukai Thermal Power Station Extension—one unit of 200 MW is under construction.

(ii) Wanakbori Thermal Power Station—one unit of 200 MW is under construction.

(iii) Kadana Hydro-electric Project (4×60 MW). This project is sanctioned, but the pursuance of work is being reviewed by the State Government.

(b) and (c) The Gujarat State Electricity Board have submitted a project Report on the Wanakbori Thermal Power Station Extension (2×330 MW) on the 9th June, 1977. The scheme report is under Techno-Economic examination.

(d) The following projects in Gujarat have been techno-economically approved during the last three years :

(i) Ukai Thermal Power Station (2×120+2×200 MW).

(ii) Wanakbori Thermal Power Station (3×200 MW).

(iii) Ukai Left Bank Canal Power House (2×2·5 MW).

Production of Tractors

3415. **Shri Dharamsinghbhai Patel** :
Shri P. M. Syeed :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number, together with the names of the owners of tractors factories in the country indicating the names of the places where these factories are located ;

(b) the number of tractors manufactured by each factory every year ;

(c) the manner in which the price of the tractor is determined ;

(d) the demand for tractors, State-wise during the last three years and the number of States whose demands were met ; and

(e) the steps taken or proposed to be taken to increase the production of tractors ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) and (b) The required information is given in the statement attached.

(c) There is no statutory price control on tractors. There is, however, price surveillance on three preferred models of tractors (MF-1035, TAFE-504 and Ford-3600) which function as price leaders in the respective horse power ranges. The prices of these models are determined according to the norms prescribed by Government.

(d) It is not possible to identify the demand for each model of tractor State-wise. However, the over all demand projections during the last three years were as under :—

1974-75	45,000
1975-76	52,000
1976-77	60,000

The actual overall demand for tractors was below the above projections and was largely met by the production which was as under :—

Year	*Production*
1974-75	31,088
1975-76	33,252
1976-77	33,146

(e) The total licensed capacity at present is 1.02 lakh nos. p.a. Two more units are likely to be commissioned shortly, making a total licensed capacity of 1.19 lakh nos. p.a. This capacity is adequate to meet the present demand projections.

Statement

S. No.	Name of the Company and name of Managing Director	Location	Production during 1975-76 (Nos.)	Production during 1976-77 (Nos.)
1.	M/s. International Tractors Co. of India Ltd. (Shri Sardesai)	Kandivli East Bombay (Maharashtra)	6655	5099
2.	M/s. Tractors and Farm Equipment Limited (Shri A. Sivasailam)	Madras (Tamil Nadu)	3453	5157
3.	M/s. Eicher Tractors India Ltd. (Shri Vikram Lal)	New Faridabad (Haryana)	2012	2768
4.	M/s. Escorts Limited, (Shri Rajan Nanda)	Faridabad (Haryana)	4580	5020
5.	M/s. Escorts Tractors Ltd. (Shri H. P. Nanda)	Faridabad Haryana	5068	4575
6.	M/s. Hindustan Tractors Ltd. (Shri S. R. Diwanji G.M.)	Vadodara (Gujarat)	940	1615
7.	M/s. Kirloskar Tractors Limited. (Shri A. S. Naravane)	Nasik Road, Nasik (Maharashtra)	673	291
8.	M/s. Hindustan Machine Tools Limited (Public Sector Unit) (Dr. S. M. Patil)	Pinjore (Haryana)	4000	4500
9.	M/s. Pittie Tools Pvt. Limited. (Shri S. G. Pittie)	Poona (Maharashtra)	34	91

1	2	3	4	5
10.	M/s. Punjab Tractors Limited (Shri Chandra Mohan)	Mohali, Chandigarh (Punjab)	1790	3340
11.	M/s. Harsha Tractors Ltd. (Shri P. N. Agarwal)	Loni, Ghaziabad (U. P.)	1647	690
12.	M/s. United Auto Tractors Ltd. (Shri A. N. Bhalla)	Hyderabad (A.P.)	Not in Production	
13.	M/s. Auto Tractors Ltd. (Shri M. Varadarajan)	Pratapgarh (Uttar Pradesh)	Not in Production.	
		Total . . .	33252	33146

छावनी बोर्डों के चुनाव

3416. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कितनी छावनी बोर्डों में ग्राम चुनाव होने है ; और

(ख) इन छावनी बोर्डों के चुनाव कब तक कराये जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1977 की शेष अवधि में 10 छावनियों में ।

(ख) इन सभी 10 छावनियों में 1977 में चुनाव करा लिए जाऐंगे ।

Thermal Power Station

3417. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the names of the places where thermal power stations are proposed to be set up ; and

(b) the megawatts of power to be generated from these thermal power stations ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) and (b). Thermal stations are already under construction at the places indicated in Annexure I. (Placed in the Library. *See* No. L.T.-690/77) where the generating capacity expected has also been indicated. Thermal projects which have been techno-economically appraised by the Central Electricity Authority are at Annexure II. (Placed in the Library. *See* No. L.T.-690/77). There are also a large number of proposals for setting up new thermal stations under technical examination which may be proposed for meeting the power requirements of the Sixth Plan if found techno-economically viable.

Talks by Opposition Leaders on Radio and T. V.

3418. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of opposition leaders invited to give their talks on Radio and Television during the last three months

(b) whether leaders of the ruling party were also invited to give their talks on Radio and Television ; and

(c) if so, their number ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) :

(a) Radio : 136
Television : 45

(b) Yes, Sir.

(c) Radio : 143
Television : 39

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिकी उद्योग

3419. **श्री सौगत राय :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी आयोग की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल में कितने इलेस्ट्रानिकी उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ख) इनका क्या ब्यौरा है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फरवरी, 1971 में इलेक्ट्रानिकी आयोग के गठन से लेकर जून, 1977 तक की अवधि के बीच विभिन्न उद्यमकर्त्ताओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों के प्रत्युत्तर में, इलेक्ट्रानिकी विभाग की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल के संगठित क्षेत्र के 20 उद्यम कर्त्ताओं को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से, 13 औद्योगिक लाइसेंस थे। जहां तक लघु क्षेत्र का संबंध है, पश्चिम बंगाल के 56 एककों को अनुमोदन प्रदान किये गए हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग की सिफारिशों के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य इलेक्ट्रानिक उद्योग विकास निगम को भी 7 आशय-पत्रों के बारे में अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनमें से आज तक 5 आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिया गया है। क्रमशः फेराइटों तथा विद्युत इलेक्ट्रानिक उपस्करों के विनिर्माण के लिए संयुक्त क्षेत्र में दो कंपनियां स्थापित की गयी हैं तथा दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए उस निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में एक कम्पनी स्थापित करने के बारे में कार्यवाही चल रही है।

(ख) पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में सरकारी तथा निजी संगठित क्षेत्रों में जारी किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों तथा लघु क्षेत्र में जारी किए गए अनुमोदनों की सूची संलग्न है [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 691/77]

हरिजनों पर अत्याचारों की घटनायें

3420. **श्री सौगत राय :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में हरिजनों पर अत्याचार की कितनी घटनायें हुई हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रादेशिक भाषाओं में फिल्में बनाना

3421. **श्री सौगत राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक भाषाओं में फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख): इस प्रयोजन के लिए सरकार के पास कोई विशिष्ट योजना नहीं है। भारत में फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में होता है। सरकार ने फिल्म वित्त निगम की स्थापना की हुई है। जिसका काम अच्छे स्तर की फिल्मों, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो, के निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध करके तथा वित्तीय या अन्य सुविधाएं प्रदान करके फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना है।

कनाडा तथा अमरीका से भारी जल

3422. **श्री सौगत राय** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के अणु रिऐक्टरों को कनाडा तथा अमरीका से भारी जल मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आपातकाल के दौरान जब्त की गई संगठनों की सम्पत्ति

3423. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमायते इस्लामी तथा अन्य संगठनों और व्यक्तियों की चल तथा अचल सम्पत्ति जब्त कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने कितने मामले हैं ; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार ने उन सभी व्यक्तियों तथा संगठनों की सम्पत्ति उन्हें लौटा दी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) से (ग). कुछ संगठनों जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमायते इस्लामी पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद राज्य सरकारों ने ऐसे संगठनों की चल तथा अचल सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया था। इन संगठनों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के आदेश 22 मार्च, 1977 को रद्द कर दिये गये थे और राज्य सरकारों को तत्कालीन प्रतिबंधित संगठनों के नामित व्यक्तियों को सभी ऐसी सम्पत्तियों के कब्जे वापस दिलाने के निवेश जारी कर दिये गये थे।

Small Scale Industries in Gaya

3424. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme for setting up of small scale industries in backward area of Gaya in Bihar State ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) Yes, Sir. The backward area of Gaya is covered by the Centrally sponsored scheme of RIP (Rural Industries Project) for promotion of village and small scale industries in the rural areas of the district.

(b) The RIP scheme was initiated in 1962-63 initially to cover 4 selected Community Development Blocks at Nawada in the district. The area of operation of the scheme was later extended in 1970-71 to cover the entire Gaya district except towns with more than 15,000 population based on 1961 census. Subsequently, the district of Gaya was divided into three districts namely, Gaya, Nawada and Aurangabad. The Rural Industries Project at present covers the above three districts (excluding towns with population of more than 25,000 according to 1971 census) with Project Headquarters located at Gaya.

Under the Scheme, the Government of India gives central grant to meet expenditure on staff of the Project Organisation set up for implementation of the programme and loans for setting up of small scale industries to the State Government. The units can get loans at subsidised rate of interest i.e. 5½% from the RIP Funds.

In addition to the above, the units are also entitled to the various benefits applicable to a backward area which include concessional finance, free consultancy services, rebate in income-tax, machinery on hire purchase by the NSCI on concessional rate of interest.

Restriction on Production of Luxury Goods

3425. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to impose restrictions on production of luxury goods during the remaining period of the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, facts thereto ?

The Minister of Industry (Shri George Fernendes) : (a) and (b): While there is no agreed definition of "luxury" goods, it has been Government's policy to limit production of non-essential items of consumption including those which are primarily consumed by effluent sections of the community. This consideration is kept in view while authorising/licensing production capacities. Tax policies are also geared towards achieving this end. There is, however, no proposal at present to ban or reduce production in relation to the already authorised/licensed capacities in respect of any particular category of goods.

अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन

3426. **श्री के० प्रधानी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन में सुधार करने के लिए अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने क्या योगदान दिया है ; और

(ख) क्या अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने पड़ोसी और दूरस्थ राज्यों के साथ करार सम्पन्न करने के लिए राज्य सरकारों को राजी कराके दो अथवा अधिक राज्यों तक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन गाड़ियों के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाने में सहायता की है ।

आयोग ने पांच क्षेत्रीय परिमिट योजनाएं बनाई है, अर्थात दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, केन्द्रीय और पूर्वी, ताकि परमिटों के बिना प्रति हस्ताक्षर के और एक स्थान पर कर भुगतान के आधार पर जोन में प्रत्येक राज्य की सीमित संख्या में सार्वजनिक गाड़ियों का दूसरे राज्यों के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर बेरोकटोक आवाजाई की जा सके ।

आयोग राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर परिवहन गाड़ियों के अनुभेय लदान भार सीमा में एकरूपता लाने के उपाय करने के अतिरिक्त, कई राज्यों में उस अवधि के लिए एकरूपता लाने में सफल रहा है, जिसके लिए मोटरगाड़ियों पर कर अस्थायी परमिटों पर लिया जा सकता है ।

(ख) जी नहीं ।

उड़ीसा में आदिवासी विकास खंड खोलने के लिये योजना

3427. श्री के० प्रधानी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पछिडी जातियों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत उडीसा में आदिवासी विकास खण्ड खोलने के लिए उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले म सरकार न क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : पांचवीं योजना मे आदिवासी विकास खंडों का कोई कार्यक्रम नहीं है । परन्तु उड़ीसा में एक उप-योजना तैयार की गई है जिसमें 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या से अधिक वाले क्षेत्र आ जाते है । उप योजना में शिक्षा तथा आर्थिक विकास कार्य-क्रम शामिल है । उप-योजना क्षेत्र को 23 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है । राज्य सरकार ने अभी तक 19 परियोजनाए तैयार की है जिसका भारत सरकार ने सामान्य तौर पर अनुमोदन कर दिया है । राज्य सरकार से बाकी चार क्षेत्रों के लिये भी परियोजनायें भेजने का अनुरोध किया गया है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऊनी खादी का उत्पादन

3428. श्री के० प्रधानी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादा तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऊनी खादी का उत्पादन बढ़ाये जाने की कोई बृहत योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू योजना अवधि में ऊनी खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए धनराशि हेतु सरकार तथा योजना अ[illegible]नुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना के तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) से (ग) : 1977–78 और 1978–79 के दौरान अधिकाधिक संख्या में कारीगरों को रोजगार प्रदान करने के लिए ऊनी खादी का उत्पादन बढ़ाने हेतु एक कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार कर जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कार्यान्वयन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया है । ऊनी खादी के उत्पादन को 14 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर चालू वर्ष में 18 करोड़ रुपये करना है ताकि करीब 41,000 कारीगरों को काम मिल सकें । कार्यक्रम पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया तथा स्वीकार कर लिया गया है । इस कार्यक्रम को अगामी पांच वर्षों में और गहने बनाया जायेगा । इसके फलस्वरूप इस कार्य में लगे 2.70 लाख कारीगरों की संख्या 1982–83 तक बढ़ कर 5.10 लाख हो जाने की आशा है ।

ट्रक टायरों की कमी

3429. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रकों में काम आने वाले टायरों की देश में बहुत समय से भारी कमी है

(ख) क्या इस कमी के कारण चोर बाजारी आरम्भ हो गई है तथा ये देश के विभिन्न भागों में कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्यों से दोगुने मूल्य पर बेचे जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक उपभोक्ताओं को कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर ट्रक टायर उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) जी नहीं । विगत दो वर्षों में ट्रकों के टायर सहित मोटर गाड़ियों के टायरों की उपलब्धि की भरमार रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीय फिल्में

3430. श्री के० मालन्ना : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन-किन देशों में भारतीय फिल्में लोकप्रिय हो रही हैं ;

(ख) क्या इडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने हाल ही में ऐसे देशों को भारतीय फिल्में सप्लाई करने हेतु किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) : भारतीय फिल्में बहुत से देशों में विशेषकर अरब की खाड़ी के देशों, फिजी, पीरू, इक्वाडोर, बोलिविया और लैटिन अमरीका में कोलम्बिया में लोकप्रिय हो रही है ।

(ख) क्योंकि उपर्युक्त देशों में फिल्म व्यापार गैर सरकारी निर्यातकों के हाथों में है, अत: भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के लिए इन देशों में फिल्मों की सप्लाई के लिए अनन्य करार करना संभव नहीं हुआ है । तथापि, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने बर्मा, ईराक, अफगानिस्तान, ओमन्त टी० वी०, मालदीव, सोवियत संघ, नेपाल, अल्जीरिया और मोजाम्बिक के साथ राजकीय एजेंसी स्तर पर अनन्य करार किए हैं जिनके अंतर्गत भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ही इन देशों को फिल्में सप्लाई करता है

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बर्मा :

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा भेजे गए विभिन्न भारतीय फिल्म के प्रस्तावों से बर्मा की राजकीय एजेंसी प्रति वर्ष लगभग 8 फिल्में चुनती है । वह प्रति फिल्म औसतन लगभग 30,000/- रुपए की रायल्टी देती है ।

इराक :

इराकी राजकीय एजेंसी का प्रतिनिधि मंडल साल में एक बार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के पास भारतीय फिल्मों का चयन करने के लिए आता है । इराकी प्रतिनिधि को 3 जनवरी, 1977 से 16 जनवरी, 1977 तक नई दिल्ली में हुए छठे अंतर्राष्ट्री फिल्म समारोह में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा लगाए गए पिछले फिल्म बाजार में आमांत्रित किया गया था । फिल्म बाजार में इराकी प्रतिनिधि ने 3,000 पौंड प्रति फिल्म के औसत मूल्य पर 24 भारतीय फिल्में खरीदने के लिए करार किया ।

अफगानिस्तान :

काबुल में 27 जून, 1975 को सरकारी स्तर पर किए गए फिल्म करार, जिसे भारत सरकार की ओर से भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और अफगानिस्तान सरकार की ओर से अफगान फिल्मस द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, के अन्तर्गत 2,49,750 /– अमरकी डालर के कुल मूल्य की 45 फिल्मों की सप्लाई के लिए भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और अफगान फिल्म्स के बीच 29 मई 1977 को और करार हुआ । इन फिल्मों का निर्यात जुलाई, 1977 से शुरू होना है । पहले भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने 73,600/–पौंड के कुल मूल्य की 32 भारतीय फिल्में अफगान फिल्म्स, काबुल को सप्लाई की थी ।

मालदीव :

मालदीव सरकार प्रति सादी फिल्म 350/–डालर और प्रति रंगीन फिल्म 450/–डालर के किराए पर इस्तेमाल की हुई चलने योग्य प्रिंटों को लेने के लिए सहमत हो गई है । चुनी हुई फिल्मों की इस्तेमाल की गई प्रिंटें जैसे ही भारत के वितरकों द्वारा स्थानीय सर्किटों से स्पेयर कर दी जाती है, उनको मालदीव में एक सप्ताह के प्रदर्शन के लिए सप्लाई किया जा रहा है ।

ओमन टी० वी०

ओमन सरकार का एक प्रतिनिधि भारत आया और उसने प्रिव्यू करने के पश्चात प्रति फिल्म 1000/–ओमानी रियल्ज के औसत मूल्य पर दस फिल्मों का चुनाव किया ।

सोवियत संघ :

जनवरी, 1977 में फिल्म बाजार दिल्ली में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और सोवेक्स पोर्ट फिल्म, मास्को के बीच एक करार हुआ । इस करार के अन्तर्गत सोवेक्सपोर्ट फिल्म, मास्को के भारत स्थित प्रतिनिधि द्वारा अस्थायी रूप से चुनी हुई फिल्मों को प्रिव्यू और अन्तिम चयन के लिए मास्को भेजा जाना है । अब तक अन्तिम चयन के लिए दस फिल्में मास्को भेजी जा चुकी है और अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है । सोवेक्सपोर्ट फिल्म, मास्को द्वारा फिलहाल डबिंग सामग्री सहित 2,00,000 रुपए प्रति फिल्म के औसत मूल्य पर लगभग दस भारतीय फिल्में प्रतिवर्ष उठाई जाती है ।

नेपाल :

इसी प्रकार का अनन्य करार जनवरी, 1977 में फिल्म बाजार में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और रायल नेपाल फिल्म निगम, नेपाल के बीच हुआ । वित्तीय और वितरण की अन्यआंतरिक

समस्याओं के कारण नेपाल फिल्म निगम ने इस करार के अन्तर्गत अब तक कोई भारतीय फिल्म नहीं खरीदी है ।

अल्जीरिया :

अल्जीरियन स्टेट एजेंसी और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के बीच फरवरी, 1977 में अल्जीरिया में एक करार हुआ जिसके अन्तर्गत वे 1977 के दौरान तीस फिल्में खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं । इस करार के अन्तर्गत उन्होंने अब तक दस फिल्मों की मांग की है और अक्तूबर 1977 में और फिल्मों के लिए आर्डर देने के लिए वायदा किया है । दस फिल्मों को भेजने से पहले इनके लिए अनुबंधों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

मोजाम्बिक :

मोजाम्बिक की स्टेट एजेंसी के प्रतिनिधि ने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का दौरा किया और आठ फिल्मों की सप्लाई के लिए अनन्य करार किया । अब तक उन्होंने पांच फिल्मों की मांग की है, जिसके लिए अनुबध हस्ताक्षर के लिए भेज दिये गये हैं । करार के अनुसार प्रति फिल्म देय औसत रायल्टी 1,000 डालर है ।

रेडियो, टेलीविजन, फिल्म तथा समाचार चित्रों के माध्यम से सुधार लाने के लिए योजना

3431. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेडियो, टेलीविजन, वृत्त चित्र और समाचार चित्रों के माध्यम से सामाजिक तथा नैतिक सुधार लाने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो आकाशावणी और दूरदर्शन केन्द्रों से फिल्मों के गीत छांटने तथा प्रसारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) सरकार का यह बराबर प्रयत्न रहता है कि रेडियो, टेलीविजन और श्रव्यदृश्य माध्यमों से सार्थक और सामाजिक रूप से सौद्देश्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके सामाजिक और नैतिक सुधार लाया जाए ।

(ख) फिल्मी गीतों का चयन करने के लिए आकाशावणी के केन्द्रों पर भाषायी आधार पर विभागीय चयन समितियाँ बनी हुई है ।

बम्बई की चयन समिति फीचर फिल्मों (टेलीकास्ट किए जाने के लिए उनके फिल्मी गीतों सहित) का चयन करती है । "चित्रहार" जैसे कार्यक्रमों के लिए फिल्मी गीतों का चयन संबंधित दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक द्वारा किया जाता है ।

ग्राम्य उद्योग आयोग

3432. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों से बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए एक ग्राम्य उद्योग आयोग स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अवैध शराब और स्वापक औषधियां की बिक्री

3434. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत वर्ष के दौरान अवैध शराब और अन्य स्वापक नशीली चीजों की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के गैर-कानुनी व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जिससे स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा और कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें उपस्थित होती हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 1976 के दौरान उत्पादन शुल्क अधिनियम तथा अफीम अधिनियम के अधीन दिल्ली में पजीकृत किए गए मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी। 1976 के दौरान दिल्ली में पकड़ी गई स्वापक औषधियों की मात्रा में भी वृद्धि हुई ।

प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तस्करों तथा अन्य अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है।

देश में औषधि व्यसन की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी नियुक्त की गई है।

तालचेर में हांडीढ़ेरा कोयला खान का प्रबन्ध

3435. **श्री समरेन्द्र कुन्डू :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला प्राधिकरण और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने उड़ीसा सरकार और एक गैर-सरकारी प्रबन्ध से तालचेर स्थित हांडीढ़ेरा कोयला खान का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार और भारतीच कोयला प्राधिकरण के बीच इस आशय का कोई समझौता हुआ था कि एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर कोयला खान का पूरा उत्पादन शुरू किया जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उत्पादन पूरी तरह आरम्भ करने और छंटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए उड़ीसा सरकार को आवेदन-पत्र भेजा है। स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। फिर भी, खान सुरक्षा महा-निदेशालय के निर्देश के अनुसार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० खान से पानी हटाने का काम कर रही है। कोलियरी में आगामी कार्य के बारे में कोई भी निर्णय खनन पट्टे की मंजूरी तथा खान का समुचित सर्वे हो जाने के बाद ही लिया जा सकेगा। छंटनी किए गए कर्मचारियों के रोजगार के बारे में स्थिति यह है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के प्रबन्ध निदेशक तथा उड़ीसा सरकार के बीच हुई चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि पहले हांडी-धुआ कोलियरी में काम करने वाले उन 95 स्थायी श्रमिकों की छानबीन की जाएगी जिनकी सेवाएं उड़ीसा सरकार द्वारा 1971 में मैं० गोएनका को दे दी गई थीं। और इस प्रकार चुने हुए लोगों को, जब कभी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के उड़ीसा क्षेत्र में संगत वर्ग में जगहें खाली होंगी तब नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। इस आधार पर 38 कामगारों को हांडी-धुआ कोलियरी में पानी निकालने के काम पर लगाया जा चुका है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जब तब खनन पट्टा मंजूर नहीं हो जाता इन कामगारों को लम्बी अवधि के आधार पर रोजगार देने की सम्भावना नहीं है।

जहाज चलाने के लिए कर्मी तालिका (मैनिंग स्केल)

3436. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान बम्बई पत्तन पर जहाज चलाने, उनका लंगर डालने और लंगर हटाने के लिए 'कर्मीदर' (अर्थात् कामगारों के कर्मी-मण्डल) में कमी कर दी गई थी ;

(ख) क्या उक्त कमी के परिणामस्वरूप क्रेन ड्राइवरों तथा अन्य कर्मियों की मृत्यु हुई और वे असमर्थ हो गए, यदि हां, तो कितने और

(ग) क्या सरकार का विचार पिछले कर्मी-दल को बहाल करने का है

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पत्तन में मैत्रीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए 21 मई, 1977 की संसदीय कार्य और श्रम मंत्री द्वारा बताए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इस पर सहमति हो गई है कि जो परिवर्तन उस समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं, वे न लिए

जाएं। परिवर्तन जो आंशिक रूप से कार्यान्वित किए गए है, आगे कार्यान्वित न किए जाएं। जहां तक पहले से किए गए परिवर्तनों का सम्बन्ध है, बम्बई पत्तन न्यास तथा संघों के बीच परस्पर संतोषजनक फैसले के प्रयास के लिए विचार-विमर्श किया जाना था। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर बम्बई पत्तन न्यास द्वारा कार्यान्वयन किया गया है?

'समाचार' के ढंग पर समाचार एजेंसियों की स्थापना

3437. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'समाचार' को स्वायत निकाय में बदलने का निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 'समाचार' के ढंग पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त और अधिक समाचार एजेंसियों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें प्रारम्भिक अवस्था में सरकार का क्या सुविधायें देने का विचार है; और

(घ) क्या ऐसी समाचार-एजेंसियों के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य भत्तों आदि के बारे में कोई निर्णय किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (घ) सरकार ने "समाचार" के कार्य की जांच करने तथा उसके भावी ढांचे के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। सरकार इन मामलों पर समिति की सिफारिशों पर उसकी रिपोर्ट मिलने पर विचार करेगी।

कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

3439. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं में सेवा-निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से कम करके 55 वर्ष करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है और उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Information Centre

3440. **Shri Surendra Bikram** : Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Information Centres are being opened in undeveloped and backward areas; and

(b) if so, when ?

The Minister of Information and Broadcasting (**Shri L. K. Advani**) (a) & (b). One of the criteria for selecting the location of Information Centres is the backwardness of a particular area. However, in view of the present financial limitations, there are no proposals for opening additional Information Centres.

बी० जी० वर्गीज के मामले में प्रेस परिषद का निर्णय

3441. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन दिया गया है कि बी० जी० वर्गीज के मामले में प्रेस परिषद् के निर्णय को सबको बताया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख) : जी, हां । इस आशय का एक पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है । तथापि, एक और अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि निर्णय को प्रकाशित करना उपयुक्त नहीं होगा । मामले की जांच की जा रही है ।

कैल्शियम कार्बाइड उद्योगों की स्थापना के लिए आशय-पत्र

3442. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के बाद, राज्यवार, कैल्शियम का बाईड उद्योगों की स्थापना के लिए कितने आशय-पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य से आशय-पत्रों के लिए कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और कब से; और क्या पुराने आवेदन-पत्रों का अतिक्रमण किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कैल्शियम कार्बाइड पर 'डाउन स्ट्रीम बेस' के रूप में स्थापित किये जाने के इच्छुक एककों को प्राथमिकता देने का है; दोनों प्रकार के उद्योगों के लिए कितनी बेकार क्षमता पड़ी हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) एक भी नहीं; सभी आवेदन पत्रों का निपटान गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है और कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता ।

(ग) यह 'डाउन स्ट्रीम वेस' के उद्योगों के गुणावगुण और उनकी अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर करती है । आम तौर पर अधिष्ठापित क्षमता के 85 प्रतिशत से अधिक का उपयोग विद्युत् प्रधान कैल्शियम कार्बाइड उद्योग के मामले में अच्छा माना जाता है । इस समय देश के मर्चेन्ट और डाउन स्ट्रीम दोनों ही प्रकार के एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता के 81 से 89 प्रतिशत तक कार्य कर रहे हैं ।

विवरण

वर्ष 1975 से 1977 (जून, 1977 तक) की अवधि में नये कैल्शियम कार्बाइड एककों के लिए मंजूर किए गए आशय-पत्रों की अलग-अलग राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण ।

राज्य	संख्या
आंध्र प्रदेश	1
बिहार	2
हरियाणा	1
कर्नाटक	1
केरल	2
मध्य प्रदेश	4
मेघालय	1
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	1
योग	16

Rates of Pension for Army Personnel

3443. Shri R. L. P. Verma : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the details of the rates of pensions of the army personnel who went on pension before 1st January, 1973 as also of those who went on pension after January, 1973 ; and

(b) whether Government propose to increase the rates of the pensions of those army personnel who went on pension before January, 1973 ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) A statement indicating the rates of pension admissible to Army officers and personnel below officer rank prior to 1-1-1973 and from 1-1-1973 is attached.

(b) No, Sir.

Statement

The rates of pension of Army personnel who retired prior to the 1st January 1973 and those who retired on 1st January, 1973 or thereafter.

(i) *Personnel below officer rank*

Rank	Rates of pension prior to 1-1-1973		Rates of pension from 1-1-1973		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.	
Sepoy	40·00	72·00	76·00	122·00	
Naik	40·00	81·00	86·00	135·00	(145·00*)
Havildar .	43·00	91·00	98·00	159·00	(177·00*)
Nb. Subedar .	60·00	122·00	127·00	223·00	(239·00*)
Subedar	80·00	178·00	162·00	308·00	
Subedar Major	106·00	218·00	197·00	366·00	

*Effective from 1-12-1976.

(ii) *Permanent Commissioned Officers*

Rank	Rates of pension prior to 1-1-1973	Rates of pension from 1-1-1973
	Rs. p.m.	Rs. p.m.
Subaltern . . .	272·00	350·00
Captain	377·00	575·00
Major .	482·00	675·00
Lt. Colonel	587·00	775·00
Colonel . . .	638·00	900·00
Brigadier	696·00	1,000·00
Major General . . .	735·00	1,050·00
Lt. General	819·00	1,1000
General . . . . . (Chief of the Army Staff)	1,008·00@	1,200·00 (effective from 1-6-75)

@Effective upto 31-5-1975.

(iii) *Special List Officers*

Rank	Rates of pension prior to 1-1-1973	Rates of pension from 1-1-1973
	Rs. p.m.	Rs. p.m.
Subaltern	247·00	350·00
Captain	352·00	575·00
Major	457·00	675·00
Lt. Col.	537·00	775·00
Colonel	588·00	900·00

(iv) *Military Nursing Service Officers*

Rank	Rates of pension prior to 1-1-1973	Rates of pension from 1-1-1973
	Rs. p.m.	Rs. p.m.
Capt.	150·00	350·00
Major	238·00	450·00
Lt. Col.	321·00	550·00
Colonel	378·00	650·00
Brig.	483·00	750·00
Major Gen. @	—	825·00

@This appointment was created only after 1-1-1973.

NOTE :—The rates of service pension of corresponding ranks in the Navy and Air Force have also been raised with effect from 1-1-1973.

भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके पुत्र की सुरक्षा पर खर्च

3444. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके पुत्र, संजय गांधी की रक्षा पर दिल्ली में तथा दौरों पर (पृथक्-पृथक्) कितना खर्च हुआ ;

(ख) क्या वर्तमान सरकार का विचार उस अनुचित संशोधन में परिवर्तन करने का है जो उन्होंने नवम्बर, 1969 में प्रधान मंत्री का दौरा और यात्रा सम्बन्धी "ब्ल्यु-बुक" में किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 692/77)

(ख) तथा (ग) : नवम्बर, 1969 में व्ल्यू-बुक में कोई अनुचित संशोधन नहीं किया गया था । नवम्बर, 1969 में किया गया एक मात्र संशोधन प्रधान मंत्री द्वारा सम्बोधित चुनाव सभाओं के प्रबन्धों पर सुरक्षा की लागत के बारे में राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित राजनैतिक दल के बीच आवंटन से सम्बन्धित है ।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में पवित्र कुरान की प्रस्तुति

3445. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों में पवित्र कुरान की प्रस्तुति की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या अन्य समुदायों के पवित्र ग्रन्थों में से भी प्रस्तुति की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : : (क) : आकाशवाणी के कार्यक्रमों में पवित्र कुरान और अन्य धर्म ग्रन्थों के पाठों को शामिल करने के लिए प्रार्थनाएं समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं ।

(ख) पवित्र कुरान सहित धार्मिक और आध्यामित्क पाठों से उद्धरण विभिन्न अवसरों पर या जब किसी विशिष्ट कार्यक्रम के संदर्भ में उचित हो, प्रसारित किये जाते हैं ।

विदेशों के सहयोग से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई परियोजनायें

3446. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विदेशों की सहायता अथवा सहयोग से कितनी परियोजनाएं शुरु की गई हैं । (परियोजनाओं तथा उन से सम्बद्ध विदेशों के नाम भी दिये जाएं) ;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आयेगी तथा मशीनों तथा अल्पावधि और दीर्घावधि सेवाओं में कितनी विदेशी सहायता अथवा सहयोग मिलेगा ;

(ग) वे कब शुरु की गई और वे किन तिथियों को पूरी होंगी ; और

(घ) क्या हमारे अपने खान इंजिनियर बिना इस प्रकार की विदेशी सहायता के इन परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम नहीं हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

झांसी में गत रेल हड़ताल के दौरान गिरफ्तार किए गए रेल कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का लापता होना

3447. **श्री बापू साहेब परूलेकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी से राम सिंह नाम के एक रेल कर्मचारी को रेल हड़ताल के सम्बन्ध में 26 मई, 1974 को गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के ठीक बाद सिप्री बाजार में रह रहे उसके परिवार के सभी सदस्यों को धकेल कर बाहर कर दिया गया तथा तभी से वे लापता हैं और मई, 1977 में राम सिंह की रिहाई के बाद उसने रिश्तेदारों, मित्रों, और पुलिस से पूछताछ की परन्तु आज तक वह अपने परिवार के सदस्यों का पता नहीं लगा सका ; और

(ख) क्या राम सिंह के बारे में आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) : आल इंडिया रेलवेमेन्स फडरेशन से इस विषय में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसके साथ श्री राम सिंह का आवेदन पत्र है । उत्तर प्रदेश सरकार से उनके परिवार का पता लगाने के लिए उनकी आवश्यक सहायता करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

Expenditure incurred on setting up of the Office of Song and Drama Division

3448. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the setting up of the office of Song and Drama Division before and after 1973 separately ;

(b) the annual expenditure incurred on T.A. and D.A. before and after 1973 ; and

(c) the number of Staff Artistes who have left their jobs or who have been dismissed from service during the period from 1973 to 1977 ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. (Placed in the Library. *See* No. L.T 693/77).

(c) (i) Number of Staff Artistes who left their jobs : 60

(ii) Number of Staff Artistes whose contracts were terminated : 42

Decentralisation of Delhi Song and Drama Division Troupes

3449. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the effect on the economy and efficiency as a result of the decentralisation of the Delhi Song and Drama Division troupes ;

(b) the present terms and conditions and security of service of the staff artistes of the Song and Drama Division ; and

(c) the number of annual programmes organised by the Song and Drama Division itself in addition to the Sound and Light Programme before and after 1973 ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) The decentralisation of the troups has resulted in economy of expenditure on TA/DA of Staff Artistes for tours to their areas of normal orperation, though there is no discernible change in the efficiency of the troupes. However, as several factors besides the decentralisation effect the efficiency and economy, it is difficult to identify the exact effect of decentralisation on the economy and efficiency.

(b) A statement giving the present terms and conditions of the staff artistes of the Song and Drama Division is enclosed (Annexure-I). (Placed in the Library. *See* No. L.T.-694/77).

(c) A statement is enclosed (Annexure-II). (Placed in the library. *See* No. L.T.-694/77).

बिजली की मोटरों के मूल्य

3450. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और बंगलौर के बिजली की मोटरें बनाने वालों ने मिलकर कुछ आकार की बिजली की मोटरों के मूल्यों में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है ;

(ख) क्या उक्त उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल के मूल्यों में कोई वृद्धि की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बढ़ाये गये मूल्यों को कम करने के लिए सरकार तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्याताओं ने श्रेणी, प्रकार तथा ब्रान्ड पर निर्भर करते हुए अपने मूल्य 4 से 18 प्रतिशत तक बढ़ा दिये हैं। फिर भी ये बड़े हुए मूल्य अगस्त, 1974 से सितम्बर, 1975 की अवधि में प्रचलित मूल्यों से कम थे व इसके बाद मूल्यों में तेजी से गिरावट आई। विभिन्न विशिष्टयों के बिजली के मोटरों के थोक बिक्री मूल्य के सूचकांक अगस्त, 1974 के 185.2 से अप्रैल, 1976 में घटकर 136.9 रह गये, दिसम्बर, 1976 में 151.2 तक बढ़े तथा मई, 1977 में 169.8 हो गये (आधार 1970–71 = 100)।

बाजार मूल्यों में ये अन्तर निवेश लागत की विभिन्नताओं के कारण न होकर अपितु विभिन्न प्रकार के मोटरों की मांग तथा सप्लाई में हुए परिवर्तनों के कारण हैं।

भिन्न-भिन्न विशिष्टियों के बिजली के मोटरों पर मूल्य नियंत्रण नहीं हैं। फिर भी सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने की आवश्यकता उद्योग को बता दी है।

तेजपुर सिलघट में ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क पूल

3451. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् के अन्तर्गत तेजपुर सिलघट स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी पर दो किलोमीटर लम्बे सड़क पुल का सर्वेक्षण तथा उसके प्रकार की योजनाएं पूरी हो गई हैं ;

(ग) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने निरन्तर अनेक वर्षों में जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इस पुल के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि देने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, और

(ग) यदि हां, तो क्या धन की व्यवस्था सहित योजना आयोग की मंजूरी शीघ्र ही दे दी जाएगी ताकि केन्द्रीय सरकार को एजेन्सी के माध्यम से चालू योजना अवधि में इस पुल का निर्माण-कार्य पूरा हो सके ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मामला परिषद् से विचाराधीन है और हाल ही में पुल के लिए अपेक्षित वित्तपूर्ति के लिए परिषद् के सचिव से सुझाव प्राप्त हुआ है ।

(ग) चूंकि प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है अतः इसके निर्माण, वित्तपोषण इत्यादि का प्रश्न राज्य के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है । इसलिए उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय को सलाह दी है कि विस्तृत जांच के पूरा हो जाने के पश्चात् मामले को धन की व्यवस्था के लिए, राज्य सरकार योजना आयोग के सामने रखे ।

कोका कोला द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के पालन के बारे में मंत्रियों की बैठक

3452. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के पालन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए मंत्रियों के एक ग्रुप की 22 जुलाई, 1976 को बैठक हुई थी ;

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इसके बाद में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी हां ।

(ख) मन्त्रिमण्डल और मन्त्रिमण्डल की किसी भी उप-समिति के विचार विमर्श गुप्त होते हैं और उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जून, 1977 की विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत आदेश जारी करके कोका कोला निर्यात निगम को अन्य बातों के साथ-साथ भारत में अपने मौजूदा निर्माण सम्बन्धी कार्यकलाप इस शर्त पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है कि कम्पनी की भारतीय शाखा को एक भारतीय कम्पनी में बदल दिया जाएगा और एक वर्ष के अन्दर अनिवासी हितों की इक्यिूटी पूंजी 40% से अधिक नहीं होगी । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत व्यापार चिन्हों की स्वीकृति के लिए दिया गया आवेदन अभी भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है ।

Badges manufactured by ordnance Clothing Factory Shahjahanpur

3453. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the different types of badges manufactured in Embroidery Department in Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur by embroiderers ; and

(b) whether badges etc. are manufactured only in Shahjahanpur in the country and whether contract for the manufacture of badges has been given to some persons in Delhi by the Ministry of Defence ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) (a) The following five types of badges and three types of titles are currently being manufactured in Embroidery Section at the Clothing Factory Shahjahanpur :

1. Badges Arm. Bugles Worsted.
2. Badges Arm Parachutist with Wing.
3. Badges Arm Crossed Sword PT.
4. Badges Breast APTC EMBD.
5. Badges Arm Bomb disposal.
6. Titles EMBD PTD OG various.
7. Titles EMBD PTD OG Rifle Green.
8. Titles NCC Various.

(b) Amongst the Ordnance Factories, badges are manufactured only in Shahjahanpur. However, an order for a small requirement for two types of badges introduced recently by the Air Force has been placed on two firms through the Tender Purchase Committee of the Air Force since the requirement was considered urgent. One of these two firms is Delhi based.

बम्बई पत्तन न्यास के मूल्यांककों से अभ्यावेदन ।

3454. श्री पी० एच० दानवे : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे मंजूरी बोर्ड द्वारा वेतनमान का संशोधन करने के बारे में बम्बई पत्तन न्यास के मूल्यांककों से मई या जून, 1977 के महीने में सरकार को कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी हां, ।

(ख) वेतनपुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सम्बन्धित परिसंघों के प्रतिनिधियों से विचारविमर्श हो रहा है ।

सिंगरेनी कोयला खानों के उत्पादन में बाधा

3455. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिंगरेनी कोयला खोनों में 16 जून, 1977 से बिलकुल ही उत्पादन नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिदिन 3 लाख रुपयों की हानि होती है ;

(ग) क्या यह सच है कि ए० आई० टी० यू० सी० की जनरल परिषद् के सदस्य श्रीद्वारिका सिंह द्वारा किए गए प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि प्रबन्धकों ने समस्या पर विचार करने से इन्कार कर दिया ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) मजदूरों की मांगों को पूरा कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सिंगरैनी कोलियरीज में 16 जून, 1977 से उत्पादन में कोई रुकावट नहीं आई । यह प्रश्न सम्भवत: सिंगरोली कोयला क्षेत्र के बारे में हैं । इस कोयला क्षेत्र की झिंगुरदा कोयला खान में 16 से 27 जून, 1977 तक एक गैर-कानूनी हड़ताल हुई थी ।

(ख) नौ प्रभावी कार्य दिवसों के दौरान प्रतिदिन लगभग 1 लाख रुपए की अनुमानित शुद्ध हानि हुई थी ।

(ग), (घ) और (ङ): प्रबंधकों तथा संयुक्त खदान मजदूर संघ (ए० आई० टी० यू० सी०) के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक समझौते के बाद 27 जून, 1977 को हड़ताल वापस ले ली गई थी । कामगारों की मांगों पर इस समझौते की शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

अमृत बाजार पत्रिका समूह द्वारा 'विक्टरी आफ इन्दिरा' का प्रकाशन

3456. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृत बाजार पत्रिका समूह ने 'क्विटरी आफ इन्दिरा' नामक एक प्रकाशन निकाला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय ने उसमें विज्ञापन दिए थे ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कीमत के विज्ञापन दिए गए थे और क्या उक्त प्रकाशन निकाला भी गया था और क्या विज्ञापन दिए गए थे और उनके लिए भुगतान कर दिया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क), (ख) और (ग) : यदि अमृत बाजार पत्रिका समूह द्वारा ऐसा कोई प्रकाशन निकाला गया था तो वह भारत सरकार की जानकारी में नहीं है। तो भी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने उसको कोई विज्ञापन नहीं दिया ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

3457. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 जून, को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मंत्री स्वतन्त्रता सेनानियों को राजनैतिक पेंशन देने की योजना के विरुद्ध हैं ; और

(ख) क्या इस सन्दर्भ में सरकार यह व्यवस्था करेगी कि इस स्थिति का उन स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन पर जो पहले ही दी जा चुकी है तथा जिन मामलों पर अभी निर्णय लिया जाना है क्या प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) : स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

'आल वाज रेडी फार जे० पी० क्रीमेशन' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

3458. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा :
श्री राघव जी :
श्री एस० कुन्डु :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 28 जून, 1977 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के पृष्ठ 16 पर "आल वाज रेडी फार जे० पी० क्रीमेशन' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) : जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि श्री जय प्रकाश नारायण का स्वास्थ्य गंभीर चिन्ता का कारण होता जा रहा था, अतः राज्य सरकार ने, उनकी मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण संभाव्यता से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए यह अनुमान लगाकर कि उनका दाह संस्कार पटना में किया जाएगा, संकट के समय के लिए एक योजना तैयार की थी । चूंकि यह प्रत्याशित था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग श्री जय प्रकाश नारायण को अपनी अंतिम श्रद्धांजली देना चाहेंगे, अतः अन्त्येष्टि में जनता के व्यवस्थित रूप से शामिल होने और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संकट के समय के लिए एक योजना तैयार की थी । राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार किया है कि श्री जय प्रकाश नारायण की गुप्त अन्त्येष्टि के लिए कोई योजना बनाई गई थी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कालामासेरी में हड़ताल

3459. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालामासेरी यूनिट में हड़ताल है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस हड़ताल के कारण प्रतिदिन अनुमानत: कितनी हानि हो रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी, हां ।

'(ख) एच०एम०टी० के कालामासेरी स्थित एकक की सभी 10 यूनियनों ने 20 मई, 1977 को एक तुरन्त मांग-पत्र प्रस्तुत किया । उनकी मुख्य मांगों में वर्ष 1975–76 के लिए वार्षिक बोनस का भुगतान, प्रोत्साहन बोनस में दी गई दरों की पुनरीक्षा, सभी कर्मचारियों को उच्चतर वेतन ग्रेड देना, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं उनकी बहाली, अवकाश सुविधाएं और अन्य सुविधाएं फिर से प्रदान करना, निर्वाह सूचकांक का पूनरीक्षण, काम करने की स्थिति में सुधार और 1–1–1977 से प्रतिमाह 100 रुपए की अन्तरिम राहत का भुगतान करना सम्मिलित था ।

उपर्युक्त मांगों के बारे में यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया गया था । उप-श्रमायुक्त के समक्ष समझौता बैठकें हुई थीं । समझौता वार्ताओं के दौरान प्रबन्धकों ने 15 दिनों का वसूलने योग्य अग्रिम वेतन जिसे विचार-विमर्श होने तक वसूल किया जायेगा/समायोजित किया जाएगा और वार्षिक बोनस के भुगतान की योजना तय करना जो उत्पादकता से जूड़ी होगी, का प्रस्ताव किया । यह प्रस्ताव यूनियनों ने अस्वीकार कर दिया था ।

श्रमिक 23 जून, 1977 से हड़ताल पर हैं । स्थिति पर कड़ी निगाह रखी जा रही है । प्रबन्धक और आगे बात करने को तैयार हैं जिससे संतोषजनक समझौता हो सके ।

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि हड़ताल समाप्त करने के लिए वह बातचीत फिर से शुरू करने में और उपयुक्त समझौता करने में सहायता प्रदान करे ।

(ग) उत्पादन में प्रतिदिन 3 लाख रुपए की हानि होने का अनुमान है ।

केन्द्रीय मंत्रियों को योजना आयोग में शामिल किया जाना

3460. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव गठित योजना आयोग में केन्द्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को आयोग के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त दोनों मंत्रियों को आयोग में किन कारणों से शामिल किया है ;

(ग) क्या प्रस्तावित नई योजना के नवीकरण और रचना में भारी औद्योगीकृत ढांचे की बजाय विस्तृत कृषि अभिमुखीकरण और ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, । इसमें वित्त मंत्री भी शामिल हैं ।

(ख) योजना आयोग में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों को शामिल करने का यह आशय है कि मंत्रिमंडल और आयोग के बीच घनिष्ठ समझ-बूझ बनी रहे ताकि योजना की नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय, निर्माण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके ।

(ग) और (घ) सरकार की नीति, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की है । छठी पंचवर्षीय योजना में इसका पूर्ण विवरण दिया जाएगा । जहां तक सम्भव होगा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए वार्षिक योजना में भी इस नीति को क्रियान्वित किया जाएगा ।

Pakistani Nationals under detention

3461. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals (Bengalis and Sindhis) who are still under detention in various jails of the country since 1971 Indo-Pak war ;

(b) the expenditure incurred by Government on them so far ; and

(c) whether Government propose to return them to Pakistan ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

योजना मंत्रालय, अन्तरिक्ष विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगें

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1977–78 के लिए योजना मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) वर्ष 1977–78 के लिए आन्तरिक्ष विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) वर्ष 1977–78 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल०टी० 673/77].

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—
अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) दूसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 815 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजप में अधिसूचना संख्या सां०सा०नि० 826 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) तीसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 1 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 431 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 674/77]

भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान पूना, फिल्म वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० अडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना के वर्ष 1976–77 के क्रियाकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 675/77]

वर्ष 1977–78 के लिए पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

निर्माण और आवास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं वर्ष 1977–78 के लिए पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए सं० एल०टी० 676/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० सं० नि० 479(ङ) जो दिनांक 6 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०सं० नि० 480(ङ) जो दिनांक 6 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए सं० एल०टी० 677/77]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

दूसरा प्रतिवेदन

श्री गोडे मुराहरि : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सिविल पुरस्कार देने की प्रथा को समाप्त करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DISCONTINUANCE OF INSTITUTION OF CIVILIAN AWARDS

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जैसे ही हम लोगों ने कार्यभार सम्भाला, हम लोगों ने इस सवाल की जांच कराई कि सिविल पुरस्कार यानी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार देने की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुरूप है या नहीं । इस संबंध में महान्यायवादी से परामर्श किया गया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से सलाह दी कि अनुच्छेद 18 के खण्ड (1) तथा उसके खंड (2) और (3) में 'टाइटल' शब्द की सुसंगत व्याख्या करने पर, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार टाइटल प्रदान करने की प्रथा निषेध की परिधि में आयेगी, और उनके विचार में यह "18 (1) अनुच्छेद के न केवल अक्षरश: प्रतिकूल होगा बल्कि इसकी भावना के भी प्रतिकूल होगा"। तदनुसार, सरकार ने यह निश्चय किया है कि ये पुरस्कार देने की प्रथा समाप्त कर दी जाये । जिन लोगों ने पहले ये पुरस्कार प्राप्त किये हैं उन्हें सूचना दी जा रही है कि वे नामपट्टों, लेखन-सामग्री अथवा किसी दूसरे तरीके से इन पुरस्कारों का टाइटल के रूप में इस्तेमाल न करें; और यदि कोई प्राप्तकर्त्ता टाइटल के रूप में ऐसे पुरस्कार का इस्तेमाल करते पाया गया तो ये वापस ले लिये जायेंगे ।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं । अभी दो मिनट तक चुप रहें ।

अध्यक्ष, श्री एन० संजीव रेड्डी द्वारा अध्यक्ष पद से मुक्त होने के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा-सम्मान की अभिव्यक्ति

TRIBUTES TO THE SPEAKER, SHRI N. SANJIVA REDDY ON HIS RELIQUISHING THE OFFICE OF THE SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : अपने पद को औपचारिक रूप में छोड़ने से पहले मैंने सदस्यों को स्वयं धन्यवाद देना उचित समझा कि उन्होंने मार्च में इस उच्च पद के लिए एक मत से मुझे चुन कर मुझ में विश्वास व्यक्त किया। इतना स्नेह और प्यार मुझे देने तथा शालीन व्यवहार और सहयोग देने केलिए मैं उन सबके प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हूं।

सदन के प्रत्येक पक्ष को सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने स्वतन्त्र रूप से अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। सदन में सामने, बीच में और पीछे बैठने वाले सभी सदस्यों को सदन की कार्यवाही में अपना बहुमूल्य योगदान देने का अवसर दिया गया है।

कार्यवाही चलाने में सभा के नेता, विपक्ष के नेता और संसदीय दलों के नेताओं ने जो सहयोग मुझे दिया है उसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। मैं उनके शालीन व्यवहार और समझ की भावना का विशेष आदर करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय को सभा की कार्यवाही चलाने में सदैव बहुमूल्य मदद देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति तालिका के अन्य सदस्यों को भी मैं सभा की कार्यवाही चलाने में हाथ बटाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

एक विकासशील देश में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य सरकार और जन-प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गई नीतियों पर खुली चर्चा और बहस करना है जिससे चर्चा के बाद जो उपाए किए जाएं वे उपेक्षित और कमजोर वर्ग की दशा सुधारने में सहायक हों।

बात सबसे ऊपर जो बात मेरे मन में रहती है वह है इस देश की, जिसे हमने लाखों लोगों का खून पसीना बहाने पर पाया है, एकता को बनाए रखना। इस एकता को बनाए रखना है और मजबूत करना है। विश्व में आजकल निकट आने और विचारों की एकता बनाने की इच्छा बलवती होती जा रही है। हम भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस बड़े भू-भाग में स्पष्ट भिन्नता होने के बावजूद हम आत्मिक एकता, बौद्धिक एकता, अनुभव जन्य एकता, उद्देश्य की एकता तथा गरीबी दूर करने और उपेक्षितों की आंखों से आंसू पोंछने को आवश्यक समझते हैं। हमें गांधी जी के स्वप्नों के भारत का निर्माण करना है, जहां कोई भूख से पीड़ित न हो तथा जहां एक प्रसिद्ध कवि के शब्दों में "मन भय से रहित और मस्तक ऊंचा हो"।

हमें सभा में बहस और चर्चा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही हमें सदैव मन में राष्ट्रीय हित को रखना चाहिए जिससे हमारे विचार, शब्द और कार्य देश की आवश्यक एकता को दर्शाएं तथा हममें महान और संयुक्त राष्ट्र की भावना का संचार हो। मैं समाचार पत्रों की प्रशंसा करता हूं, जिनके प्रतिनिधि इस सदन की चार-दीवारी में क्या होता है इसका

ज्ञान बाहर लोगों को करते हैं और उनमें राष्ट्र निर्माण और देश का शासन चलाने में भागीदार होने की भावना पैदा करते हैं। स्वतंत्रता, उद्देश्यशीलता और स्पष्टता के साथ समाचार-पत्र सभी महत्वपूर्ण विषयों में सदस्यों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं ।

लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अन्य विभागों को सभा को कार्यवाही सफलतापूर्वक चलाने में उनके योगदान की भी मैं सराहना करता हूं ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्री रेड्डी की अनुपस्थिति पूरा सदन अनुभव करेगा। उन्हें बिना किसी अपवाद के पूरे सदन का सम्मान और सहयोग मिला है जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हम श्री रेड्डी की सेवाओं से वंचित होने के कारण दुःखी हैं क्योंकि हम उनकी सेवाओं से वंचित नहीं हो रहे वरन् उनका एक बड़े काम में उपयोग होगा। इसलिए यद्यपि प्रसन्नता और दुःख का मिश्रित अनुभव हमें हो रहा है, परन्तु प्रसन्नता इस बात की कि यह राष्ट्र के बड़े हित में है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) ने प्रधान मंत्री द्वारा प्रकट किए गए विचारों से अपनी तथा अपने दल की सहमति प्रकट करते हुए कहा: यह निश्चय ही एक मिश्रित अनुभव की बात है कि हम अध्यक्ष महोदय को अपने बीच में से खो रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही हम उन्हें इसलिए खो रहे हैं क्योंकि वे देश के सर्वोच्च पद के चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अतः यद्यपि हम उन्हें संसद् के एक सदन में नहीं देखेंगे, परन्तु उस बड़े पद पर रह कर वे इस संसद का एक अंग बन जाएंगे।

जैसा कि एक अच्छे अध्यक्ष के लिए नियमों की जानकारी के साथ सदन के वातावरण को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी सामान्य बुद्धि के द्वारा उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था और यही इस पद की सफलता का राज है और आशा है उनका कार्य इस पद पर आने वाले नए व्यक्ति के लिए मार्ग-दर्शन का काम करेगा। इस पद की महान परम्परा रही है तथा श्री रेड्डी ने उस महानता और गरिमा में और वृद्धि ही की है ।

श्री ज्योतिर्मय-बसु (डायमन्ड हार्बर): श्री रेड्डी एक अनुभवी और प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हैं। वे कई विशिष्ट योग्यताओं के धनी हैं । वे 1967–68 के उथल-पुथल वाल दिनों में लोक सभा के बड़े प्रभावशाली अध्यक्ष रहे हैं ।

ये यहां पिछले तीन महीनों से हैं और इस बीच इन्होंने उन बहुत सी बुराइयों को समाप्त कर दिया है जो देश की संसद् में घर कर गई थीं। संसदीय लोक तंत्र को समाप्त करने के लिए लगे प्रतिबन्धों तथा अन्य कार्यों को समाप्त किया जा रहा है। अपने नये पद पर हम उनकी सफलता की आशा करते हैं ।

प्रो० पी० डी० मावलंकर (गांधीनगर): मैं सम्मानपूर्वक बधायी देने में ही अपने साथियों के साथ नही हूं वरन् मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा भारत के राष्ट्रपति के महान पद ग्रहण करने के अवसर पर उन्हें अपनी स्नेहपूर्ण शुभ कामनायें देता हूं । सभा की हानि राष्ट्र का लाभ है और यद्यपि हमें श्री रेड्डी का साथ नहीं मिलेगा पर वे संसद् का अंग बने रहेंगे। श्री रेड्डी की अद्वितीय सामान्य बुद्धि हास्यप्रियता और स्पष्टतव की आवश्यकता राष्ट्रपति भवन में अधिक होगी। यह बहुत ही प्रसन्नता की

बात है कि श्री रेड्डी ने राष्ट्रीय एकता पर अधिक बल दिया है और वास्तव में उनकी इस विशषेता ने ही हमें मतभेद होते हुये एक रखा है ।

श्री एम० एन० गोविन्दनायर (त्रिवेन्द्रम): मैं यहां प्रकट की गयी भावनाओं और विचारों से सहमत हूं अपने शानदार स्वतंत्रतासैनानी के जीवन के साथ-साथ श्री रेड्डी ने अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है । अध्यक्ष के रूप में श्री रेड्डी ने इस सदन की कार्यवाही बड़ी योग्यता और कुशलता से चलाई इस सम्बन्ध में दो राय नही हो सकती कि श्री रेड्डी लोक सभा के योग्यतम अध्यक्ष थे । हम श्री रेड्डी के भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि इस सदन के सदस्य ही नही वरन् समूचा देश इस बात से प्रसन्न है कि उन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना जा रहा है ।

श्री वी० अरुणाचलम(तिरुनेलवेली) : अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० की ओर से मैं आपके द्वारा अध्यक्ष पद त्याग कर देश के सर्वोच्च पद को ग्रहण करने के इस अवसर पर बधाई देते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूं ।

आप हमारे बीच से जा रहे हैं इस कमी को हम बड़े दुख के साथ स्वीकार करेंगे आपने इस पद को गौरव तथा निष्पक्षता से सुशोभित किया है ।

आपने अपनी सेवा तथा सदभाव से अध्यक्ष के पद का मान बढ़ाया है ।

दोनों बार आप ने अध्यक्ष पद पर थोड़े समय के लिए परन्तु योग्यतापूर्ण ढंग से कार्य किया है संसदीय और इतिहास को एक नया मोड़ दिया है ।

यह बड़े गर्व की बात है कि एक दक्षिण भारतीय को देश ने सर्वोच्च पद पर पीठासीन करने का निश्चय किया है ।

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें तथा आशीर्वाद आप के साथ हैं ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं सदन के प्रत्येक दल की ओर से जो शुभ कामनायें दी गई हैं अपने को उनसे सहयोजित करता हूं ।

मैं इस सदन में प्राय: आरंभ से ही रहा हूं और बिना संकोच के कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में आप का अध्यक्ष काल अत्यधिक दीप्ति मान माना जायगा ।

सरकार तथा विपक्ष दोनों ही के लिए यह बड़ा शुभ है कि आप को इस सर्वोच्च पद पर समूचे राष्ट्र की सहमति से पीठासीन किया जा रहा है यह राष्ट्रीय एकता का द्योतक है ।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नाना) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रत्येक पक्ष के प्रति आपकी जो चिन्ता रही है उस के लिए मैं अपना गहरा आभार व्यक्ति करता हूं ।

हम सभी जानते हैं कि कभी कभी अध्यक्ष के सम्मुख कठिनाइयां आती हैं परन्तु आपकी विनोद प्रियता ने कितनी ही बार स्थिति को बिगड़ने से बचाया है । आप बड़े दृढ़ परन्तु साथ-साथ बड़े चतुर रहे हैं और सदन की कार्यवाही को बड़े सम्मान वे शिष्टता के साथ संचालित करते रहे हैं ।

हम आप को हार्दिक बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि शीघ्र ही जब आप देश के सर्वोच्च पद पर पीठासीन हो जायेंगे तो जिस प्रकार आपने अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई है उसी प्रकार आप राष्ट्रपति के पद को सम्मानित करेंगे ।

मैं अपने दल मुस्लिम लीग, की ओर से आप को हार्दिक बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : इस अवसर पर मैं अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अपने को सहयोजित करता हूं ।

श्रीमन् आप ने अध्यक्ष पद पर रह कर देश के भाग्य निर्माण तथा उसी ध्येय की प्राप्ति हेतु नीतियां बनाने में बहुमूल्य योगदान किया है ।

आप ने इस पद पर रहते हुए देश की निर्णायक प्रक्रियाओं में भाग लेने हेतु हमारे प्रभासों का मार्ग दर्शन किया है अब आप भारी उत्तरदायीत्व वाले इस सर्वोच्च पद को ग्रहण करने जा रहे हैं । अब संविधान की सुरक्षा का भार आप पर है इस महान देश के जनतांत्रिक मूल्यों तथा सिद्धान्तों को बनाये रखने का भार भी आप पर है । आप के द्वारा इस पद पर पीठासीन होने पर मैं फार्वर्ड ब्लाक की ओर से आप के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं ।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित-आंगल-भारतीय): आपका जीवनी लेखक आप को बिना कठिनाई एक अद्वितीय मनोविज्ञानिक कहेगा । आप सदन का ही नहीं प्रत्येक सदस्य का मूड सदैव भांप लेते थे । आपने नियमों के पालन के सम्बन्ध में हमारे लिए खेल के 'रेफरी' अथवा 'अम्पाइर' की भांति कार्य किया है । जो भी पद आप ने ग्रहण किए हैं आपने उन की शोभा बढ़ाई है और मुझे इस में संदेह नहीं है कि जब आप देश का सर्वोच्च पद ग्रहण करेंगे तो उस भी उतना ही उज्जवल तथा दीप्तिवान बनायेंगे । ईश्वर आपको नए पद की जिम्मदारियों को निभाने की शाक्ति दें ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आप सब से विदा लेता हूं ।

अनुदानों की मांगें, 1977-78

Demands for Grants, 1977-78

गृह मंत्रालय

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): नियम 376 के उपनियम 2 के अन्तर्गत बधाई के इस कार्यक्रम के पश्चात् मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझ से इस बात पर सहमत होंगे कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों का महत्व अधिक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने आपको बताया था कि वर्तमान कार्य क्रम के अनुसार सूचना तथा मंत्रालय के लिए कुछ घंटे हमें मिलेगें ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने कल कहा था कि आप ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समय कम कर देंगे मैं आशा करता हूं कि काटा हुआ समय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को दे दिया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अधिक समय नहीं मिलेगा तो सदन की आज्ञा से समय कम कर दिया जायगा ।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं आज उत्तर दूगां या कल ?

उपाध्यक्ष महोदय : आज, आप किस समय बोलना चाहेंगे ?

श्री चरण सिंह : 4.30 सांय ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री महोदय अपना भाषण 4.30 आरंभ करेंगे । उसके बाद ऊर्जा मंत्रालय की मांगे 7 बजे सांय तक चलेंगी श्री पासवान ।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : When we were in Jail, Shri Sanjay Gandhi visited Bihar whenever he reached any state he was received by Chief Ministers. He was being accorded the status of a second Prime Minister.

It is said that we should forget all that has happened during the emergency and that Government should not take any action. The Government and the House mingt forgive all that but those who are sitting in the opposition today will remain smeared with the blood of thousands of students and youngmen killed during the emergency.

It was published in papers of the 5th July that Bihar Chief Minister Shri Karpoori Thakur had admitted that 118 Harijans were killed in the name of Naxalites during the emergency. This was the official figure but actually more than 500 persons were killed.

Some Naxalites are still behind the bars. One of them is an 18 year old girl who was going to be hanged. Government should see to it that the death sentence on her is converted into life imprisonment.

So far as the Belchi incident is concerned wherein 11 Harijans and others were burnt to death. It is wrong to say that it was a case of two groups hardened criminals clashing with each other one to long standing rivalry between them as was stated by the Home Minister in his statement before the House. We have come to know that the clash was between landless Harijans and others on account of dispute over land. We had a take with the Chief Secretary I.G.P. and the Chief Minister in this regard and they had admitted that a wrong report had been made. It is therefore necessary that the guilty officers be severely dealt with.

It is deplorable that during the thirty years following in dependence the scheduled Castes and Scheduled Tribes were meagerly represented in the All-India Services. It is time concrete steps are taken in this regard.

There is a more to club the Scheduled Caste and Scheduled Tribes with the the other members of the minority communities and put them under a Common Commissioner. If this is done, it would be prejudicial to the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Castes and Scheduled Tribes should continue to have a separate Commissioners for them alone.

The maximum age for recruitment to the government jobs is 25 years. It should be increased. When a man of 70 or 80 could become a President Prime Minister or a Ministers why the maximum age for entry to Government Service should be 25 years only.

Shri Ramji Lal Suman (Ferozabad) : At the time of framing of the Constitution, Dr. Ambedkar had provided for 18 per cent. reservation for Scheuled Castes and Scheduled Tribes in government services. But in the Railways only 6.3 percent class I posts and 8.1 per cent Class II posts could be filled up. The Congress Government was misinforming about filling up of 18 per cent posts. The Report of Commission for Scheduled Castes & Scheduled Tribes says that only 1.05 per cent posts have been filled up.

I would like to tell the House about an incident that took place during the emergency when the Congress was in power. Three Harijan students were burnt alive on 11th November, 1976 in Indragarhi village in Moosri Police Station neaer Ghaziabad. Still the Congressmen assert that no atrocities had been committed during the emergency. Is it not shedding crocodile tears ?

The Harijan question is a social and economic question and not a political one. Hence unless steps are taken first to improve their economic condition it is not possible to ameliorate their lot, be it the Janata Party or the Congress Party in power.

It is strange that while provision of financial assistance has been made for the MISA detenus, nothing has been done for those detained under D.I.R. Such persons as fought against dictatorship and were detained under DIR or MISA should be given financial assistance.

All the Naxalites should be released immediately irrespective of the methods they adopted to fight dictatorship.

The PAC Revolt that took place in U.P. was a conspiracy of Shri Chiman Bhai Patel and Pandit Kamlapati Tripathi. With all the emphasis at my command I would say that cases instituted against some employees in connection with the PAC revolt in U.P. should be withdrawn and they should be re-instated.

As to the pension for freedom fighter, I have to say that there is much irregularity in this behalf. The former Government spent less on this account but now our Government is spending more on such pensions. There are some persons who were never associated with the freedom movement but are getting pensions. Government should immediately enquire into this matter and put an end to irregularities.

The privy purses have no doubt been disposed with but Nizam household is still getting an allocation of Rs. 32,000. This is highly dangerous. This should also be put an end to.

Last year 49.63 thousands rupees were spent on Central Government employees but this year 50.03 thousand rupees are to be spent on this item. I want this amount to be increased further. Hon. Home Minister should give special attention to Hindi and action should be taken against those officers who do not want to do their work in Hindi.

The behaviour of our Police is deplorable. I admit that everybody contributed towards social and economic change after the Janata Party came into power and Government servants themselves showed their patriotism but the Police personnel are trying to defame the Janata Party. With the change in Government, the change that ought to have come in the mentality of the Police has not been witnessed. Hence the Police ought to be properly instructed so that they may start thinking that they are not masters but true servants of the people.

The expenditure or civil Defence last year was Rs. 75646 which amounts, this years has been reduced to Rs. 61739. This cut ought not to have been there. The expenditure on civil defence is essential in a free country. I would suggest that civil defence department should be made permanent and every citizen should be given training in civil defence.

A Bill on Defection should be introduced in the Lok Sabha soon. This is very necessary for social change in this country. It would not give a good immage of our party if we take in those who were helping in consolidating dictatorship and were always raising slogans in favour of Smt. Indira Gandhi and Sanjay Gandhi. Hence the law on defections should be brought into force immediately.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मार्च में लोक सभा के लिए हुए चुनावों के बाद यह कहा गया कि हमारा देश अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है । कई वायदे किए गए । नई सरकार के शासन को अभी 100 दिन हुए है और इतने समय में उन्हें क्रिया कलापों के बारे में कुछ ठीक फैसला नहीं किया जा सकता ।

अनेक आयोगों की घोषणा की गई है और गठित भी कए गए है । आयोग गठित करने और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने में कोई आपत्ति नही है । यह एक स्वागत योग्य बात है लेकिन क्या आप

इस संबंध में गम्भीर भी है इतने सारे आयोग जो बनाए गए है क्या वे वास्तव में दोषी लोगों का पता लगाने के लिए बनाए गए है या कि जनता का ध्यान वर्तमान समस्याओं से हटाने के लिए बनाए गए है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धनता बेरोजगारी मूल्य वृद्धि की अविलम्बनीय आर्थिक समस्याओं तथा श्रमिकों, कृषकों और हरिजनों पर किए जाने वाले अत्याचारों से राष्ट्र का ध्यान हटाने का प्रयास किया गया है। जनता पार्टी के प्रथम 100 दिवसों के शासन के दौरान ऐसे अनेक अत्याचर किए गए है जिन पर तुरन्त और अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है।

जांच आयोग गठित करके सरकार ने सराहनीय कार्य किया है लेकिन इन्हे अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए देश को अधिक देर तक अनिश्चितता की स्थिति में न रखा जाए। तीन महीने हो गए है क्या एक भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है अथवा कोई मामला रजिस्टर हुआ है। जिस प्रकार आयोग गठित किए जा रहे है उस से लगता है जसे जांच आयोग के नाम पर राजनीतिक सर्कस हो रही है।

शाह आयोग गठित किया गया है। सरकार ने दिल्ली को कुछ घटनाओं की जांच करने के लिए एक और आयोग नियुक्त किया है। एक महीने में दो आयोगों की नियुक्ति क्यों की गई है। कुछ अधिकारी जो स्वय ज्यातियों के मामले में शामिल थे कुछ आयोगों के सदस्य बनाए गए है। ऐसे जांच आयोग बनाने से क्या लाभ होगा। फरवरी 1976 में तमिलनाडु ने एक आयोग नियुक्त किया गया था। वह अभी तक कार्य कर रहा है। यदि सरकार इस संबंध में गंभीर है तो साक्ष्य समाप्त करने और रिकार्ड या दस्तावेजों में हेरा फेरी पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है।

हरिजनों पर किए गए अत्याचारों की जांच करने के लिए एक अन्य आयोग नियुक्त किया जाए तो यह अधिक समीचीन रहेगा। जहां तक बिहार में बेलछी में हुए अत्याचारों की दुर्घटना का संबंध है, मंत्री महोदय ने कहा है कि यह दो सशस्त्र दलों के बीच हुआ झगड़ा या मुठभेड़ थी। यह भ्रामक तथा गलत वक्तव्य है जो गृह मंत्री ने सदन में दिया। गृह मंत्री एक ईमानदार व्यक्ति है उन्हें सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्हें अधिकारियों पर अधिक निर्भर नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार अवश्य बदल गई है सरकार की नीति बदल गई है लेकिन अधिकारी वही है नौकरशाही और पुलिस वहीं है। हम यह जानना चाहते है कि गत तीन महीनों के दौरान हरिजनों पर किए गए अत्याचारों उत्पीड़ना और उन्हें सताने की इन दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक अलग जांच आयोग नियुक्त क्यों नहीं किया जाता।

नजरबन्दियों को रिहा किए जाने के मामले में नई सरकार का रवैया बहुत सराहनीय रहा है लेकिन नक्सलवादियों के मामले में भी उन्हे बहुत उदार रवैया अपनाना चाहिए था। नक्सलवादियों को सताने का काम केवल अपात स्थिति के दौरान ही शुरु नहीं हुआ उन्हे तो अपात स्थिति से पहले भी सताया जाता रहा पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नक्सलवादियों को मारने का प्रशिक्षण भी दिया गया नक्सलवादियों को मारने के लिए 105 रुपये महीने पर आदमी भी रखे गए यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा मेरे पास प्रमाण भी है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

गत तीन महीनों के दौरान कई सम्प्रदायकि दंगे हुए। सिविल अधिकार आयोग अल्पसंख्यकों को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा। सिविल अधिकार आयोग की नियुक्ति हरिजनों पर अत्याचारों को रोकने

के लिए की गई है। हरिजनों के हितों की सुरक्षा हेतु सभी स्तरों पर सरकार द्वारा गंभीर प्रयास की आवश्यकता है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस तनिक भी नहीं बदली है। उसका रवैया वही है जो अंग्रेजी शासन के दौरान था। उसके शासन के दौरान वह स्वतंत्रता आन्दोलनों का दमन करते थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त पुलिस को कर्मचारियों तथा कृषकों के संघर्ष को दमन करने का प्रशिक्षण दिया गया।

हमारी मुख्य समस्या ग्रामीण तथा कृषि सुधार की है। कारगर भूमि सुधारों के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। जब तक सामन्तवाद की जड़ें नष्ट नहीं की जाएंगी खेतीहर मजदूरों की समस्या हल नहीं होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि भूमि सुधारों के संबंध में जनता सरकार की क्या नीति है।

भूतपूर्व सरकार के शासन के दौरान काश्तकारों को संरक्षण दिया गया। बधुआ श्रमिकों को मुक्त किया गया, हरिजनों को भूमि दी गई लेकिन नई सरकार के सत्ता में आने से जमीदार लोग यह महसूस करने लगे हैं कि अब उनकी सरकार का शासन है। वह अब बदला लेना चाहते हैं।

जहां तक केन्द्र राज्य संबंधों का मामला है अब हम एक भिन्न स्थिति में पहुंच गए है। एक दलीय व्यवस्था का समय समाप्त हो गया है और हम बहुदलीय व्यवस्था के युग में पदार्पण कर गए हैं। हमें अनेकता में एकता कायम करनी है लेकिन केन्द्र और राज्यों में मतभेद का क्या कारण है।

आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि तमिलनाडु सरकार सभी रुग्ण मिलों को अपने अधिकार में लेना चाहती है। लेकिन केन्द्र की नीति रुग्ण मिलों का अपने अधिकार में लेने की नहीं है। इस प्रकार केन्द्र और राज्यों के बीच विवाद पैदा होता है।

राज्यों को अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए अधिक शक्तियों और अधिक संसाधन दिए जाने चाहिएं।

चार राज्य ऐसे हैं जहां जनता पार्टी सत्ता में नहीं है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कि कांग्रेस का शासन है। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी दल को बहुमत प्राप्त है। हर राज्य सरकार अपने ढंग से काम करती है इसलिए राज्यों के लिए संसाधन अत्यावश्यक है उन्हे ससाधनों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए किसी नई व्यवस्था का पता लगाना चाहिए राज्यों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच राजनीतिक और सरकारी स्तरों पर सलाह मंत्रणा तथा सहमति होनी अनिवार्य है।

जहां तक भाषा के मामले का संबंध है, अंग्रेजी भाषा तब तक जारी रखी जानी चाहिए जब तक कि गैर हिन्दी भाषी लोग इसे चाहते हैं। हिन्दी को किसी पर लादा नहीं जाना चाहिए। यह देश की एकता के लिए अच्छा नहीं है। पंडित नेहरू ने कहा था इस मामले पर हिन्दी भाषी लोगों का निर्णय नहीं लेना चाहिए। वास्तव में इस पर हिन्दी भाषी और गैर हिन्दी भाषी दोनों पक्षों को बैठकर राष्ट्रीय सहमति और समझौते से ही निर्णय लेना चाहिए। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त सभी राजनीतिक दलों और लोगों को सर्व सम्मत तरीका ढूंढ निकालने का प्रयत्न करना चाहिए।

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich): It is said that Hindi should not be imposed. But I want to request the non-Hindi speaking people not to press those who want to speak in Hindi, to speak in English. In the interest of the unity of the country, it is essential to have one national language as a link language. That purpose can be served only by the

language of the land, and not by any foreign language. Majority of the people in the country speak Hindi and therefore there is no question of any kind of imposition of that language. Hindi is being opposed by those who have an apprehension that if Hindi is adopted in place of English, the predominance of Hindi-speaking people in the Central Services will increase. In order to remove such fears, the Home Ministry should give an assurance that candidates appearing in Central Services Examinations could answer their replies in their mother tongue.

It is hoped that law and order situation in the country will improve very soon under the stewardship of the present Home Minister, for that purpose, a sense of service and decent behaviour with people should be created in the police personnel. Then there is also the problem of widespread corruption in the police department. A radical change is essential in the structure of police administration. Therefore, it is suggested that an All India Police Commission be appointed to suggest the radical changes in that structure.

During the last few years, in spite of increase in the strength of police, the incidence of crime has not gone down and it has rather increased. In the year 1963 the number of the crime was 6,58,830 and in 1973 it increased upto 10,77,181.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ क्षण के लिए अपना पद ग्रहण करें मुझे एक घोषणा करनी है ।

डा० एन० संजीव रेड्डी द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE. RESIGNATION OF OFFICE OF SPEAKER BY DR. N. SANJIVA REDDY

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूं कि डा० एन० संजीव रेड्डी ने आज से अर्थात् 13 जुलाई, 1977 से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है ।

अनुदानों की मांगें, 1977-78—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78—*Contd.*

गृह मंत्रालय—जारी

Shri Om Prakash Tyagi : Now I would like to quote figures of Delhi on 22nd Jan. 1976 The I.G. Police Shri Bhawani Mal told that 1755 cases were registered under the Arms Act in the year 1975. The number of such cases went upto 1879 in the year 1976. 5500 complaints were received against the police officials and 2600 people have been found guilty. Therefore, I submit that it is most essential to check this growing incidence of crimes in this country.

The existence of foreign intelligence agencies like C.I.A. and K.G.B. in our country pose a great danger to our political as well as internal structure. They are receiving crore of rupees from their own respective countries. But it is painful to note that Government has not taken any measure to curb their activities in this country.

Harijans and Muslims have all along been the reserved pockets of Congress Government but it is surprising that during the last thirty years there has been no improvement in the condition of Harijans or Muslims. There is no doubt that stringent law has been enacted to remove their social disability, but their implementation by the state Government is inadequate. Therefore more jobs in the police department should be given to Harijans. In the case of atrocities against them, the investigations must invariably be conducted by Harijan police officers. Harijans should be given jobs in the officers' ranks as well. The quota reserved for them in other Government services must be filled up In the trade zone also they have not been given any sort of facility. We have yet to see a restaurant owned by any Harijan. Among Harijans the most affected class is of sweepers. They carry night-soil on head. Government

should ban carrying night soil on head by sweepers. Unless this is done their condition cannot improve.

It is reported that a Civil Rights Commission is being set up to look after the welfare and the civil rights of minorities, backward classes and Scheduled Castes. It is a dangerous step, because if Harijans are taken out of the jurisdiction of Scheduled Castes Commissioner who will look afte their problems exclusively, they may not get full justice at the hands of the new Commission.r The problems of minorities and backward classes are different from those of Harijans.

Efforts should be made to wipe out the stigma of untouchability and to bring Harijans at par with other nationals. For this purpose, inter caste marriages should be encouraged.

श्री एम० एच० मोहसिन (धारवाड दक्षिण) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। गृह मंत्रालय का प्रतिवेदन अत्यन्त निरूत्साहजनक, निर्जीव और फीका है इसमें उपलब्धियों का विवरण नहीं दिया गया है सम्भवत: इसका आशय यह है कि पिछली सरकार को उन की उपलिब्धियों का श्रेय न मिले।

जनता पार्टी के सदस्य बार बार आपातस्थिति के दौरान किए गए उपायों के लिए भूतपुर्व सरकार की निन्दा कर रहे हैं। हालांकि हमारे दल के नेता ने यह स्वीकार कर लिया है। कि आपात काल स्थिति की घोषणा करना बड़ी गलती थी। संविधान में ही आपात स्थिति की व्यवस्था है। सम्भवत: तत्कालीन प्रधान मंत्री तथा सरकार ने उस समय यह समझा होगा कि देश में आपातस्थिति की उद्घोषणा के लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं। मनुष्य गलतियों का पुलतला है। महात्मा गांधी से भी कुछ गलतियां हुईं आपात स्थिति ने कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की और सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। हो सकता है कि उस समय कुछ लोगों ने सत्ता का दुरूपयोग किया हो। उसके लिए आयोग की स्थापना कर दी गई है। आयोग सब बातों की जांच करेगा और अपना निर्णय देगा। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और उसके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप लोग आपातस्थिति के दुरूपयोग का बार बार हवाला देकर इससे लाभ कमा रहे हैं। हम उन लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहते जिन्होंने आपातस्थिति का दुरूपयोग किया है।

आपातस्थिति से कुछ लाभ भी हुए हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुद्रा-स्फीती पर नियंत्रण पाया गया। मूल्यों में कमी हुई अब मूल्य बढ़ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अत: आपात स्थिति के कुछ लाभ भी हुए हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। सभी उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। न हड़तालें हुई न जबरी छुट्टी। विश्वविद्यालयों में अनुशासन आया और विदेशी मुद्रा कोष में 400 गुना वृद्धि हुई। इस तरह हमने देश में काफी अच्छी स्थिति पैदा कर दी थी। अब आप विदेशी मुद्रा कोष का उपयोग कर सकते हैं।

हाल के संसदीय चुनावों में दक्षिण भारत में हमारी जीत हुई है। यदि हम उत्तर भारत में हारे हैं तो इसका कारण आपात स्थिति नहीं थी बल्कि आपात स्थिति का दुरूपयोग था।

जनता पार्टी की सरकर ने राज्यों की विधान सभाओं को तत्काल भंग कर के राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उनका तर्क था कि चूंकि लोक सभा चुनावों में कांग्रेस

की पराजय हुई है, अतः उन्हें विधान सभाएं बनाए रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस कार्यवाही के पीछे कोई नैतिकता नहीं थी । और चूंकि नैतिकता नहीं थी इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया । जनता पार्टी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हामी भरती है, किन्तु उसने गैर-लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया है ।

जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ ? हमारा दल वहां बहुमत में था । इसका निर्वाचन लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक ढंग से हुआ था । केवल एक व्यक्ति के कहने पर जम्मू और कश्मीर विधान सभा को भंग कर दिया गया । आपने सोचा कि शायद वहां जनता पार्टी को बहुमत मिल जायेगा किन्तु ऐसा नहीं हुआ । शेख अब्दुला द्वारा जनमत संग्रह की आवाज उठाने के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

आपने कई जांच आयोगों का गठन किया है, किन्तु अधिकांश आयोगों के अध्यक्ष राजनीतिज्ञ हैं, उनसे निष्पक्ष निर्णय की आशा नहीं की जा सकती । श्री जयप्रकाश नारायण के उपचार के बारे में जांच करने के लिए जो आयोग बिठाया गया है, उसके चेयरमैन डा० नागप्पा अल्वा हैं । वह कर्नाटक में पुरानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे । वह डाक्टर की बजाय राजनीतिज्ञ अधिक हैं । इस तरह आयोगों के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में लोगों को इसी तरह की आशंका है । तुर्कमान गेट घटना के बारे में आपने केवल तथ्यों का पता लगाने वाली समिति की नियुक्ति की है न कि जांच आयोग की । आप उन अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं । जिन लोगों ने यह सब कुछ कराया है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए ।

मुजफ्फरनगर घटना के बारे में भी जांच आयोग नहीं बिठाया गया है । जब आप छोटे से मामले के बारे में आयोग बिठा सकते हैं तो इस इतनी बड़ी घटना की जांच के लिए आयोग क्यों नहीं बिठाया गया है । क्योंकि आपके अनुसार वहां 150 व्यक्ति मारे गए थे ।

जनता सरकार ने कहा है कि वह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बढ़ायेगी । मैं भी चाहता कि ऐसा हो । किन्तु उनकी कथनी तथा करनी में बहुत अन्तर है । बड़ौदा डाइनामाइट मामले को वापस लेना ही इस बात का द्योतक है कि उन्हें न्यायपालिका में विश्वास नहीं है । जब मामला न्यायालय के निर्णयाधीन था तथा सभी तथ्य मौजूद थे तो निर्णय की प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई । इस मामले को वापस लेने का कारण यह बताया गया कि ऐसा करना जनहित में था तथा दूसरा कारण स्थिति में परिवर्तन बताया गया है । स्वयं श्री जार्ज फरर्नानडीज ने विदेशी प्रेस पत्रकार को बताया कि उस शासन के विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन हुआ है. .(**व्यवधान**) यदि ऐसा था तो फिर यह मामला न्यायालय से वापस क्यों लिया गया और यदि यह झूठा मामला था तो फिर आपने ऐसा कहना था ।

इसी तरह बादल का मामला भी वापस लिया गया जबकि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप थे । जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वे उर्दू

को दूसरी भाषा का दर्जा देंगे । किन्तु चुनाव के बाद वे सब कुछ भूल गए । एक सदस्य विधान सभा में उर्दू में शपथ लेना चाहता था किन्तु उसे उर्दू में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी गई ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): Home Ministry occupies a pivotal place in the administrative set up of our country. Unless law and order is maintained there can be no progress and development in the country. Therefore, I hope that every effort will be made by the Janata Government to maintain law and order in the country.

The previous Government wanted to eliminate opposition. On the other hand we want to accord a higher status to the opposition party (*interruption*). We have accordingly taken certain steps in this direction in the centre. I will suggest that the State Governments should also be asked to do the same so that the democratic process is complete.

During the last Assembly elections in Kaliyan in the State of Bihar some Government officials had openly and blatantly supported the Congress candidates. Those local officials shifted the polling booths. transferred polling officers and afforded no protection to Janta Party polling agents and workers who were manhandled and assaulted by the supporters of Congress candidate. I would request the Home Minister to institute an enquiry into the incidents which took place in Kaliyan during election and see that those who misused their official powers are punished.

It is absolutely wrong to say that Hindi is being imposed on non-Hindi people. In this House also, every body is free to speak in his own language. In fact, all languages listed in the 8th schedule of the Constitution are given equal status. Hindi is a link language and this status has been accorded to it through a resolution of Parliament. There is an Act also which confers Hindi the status of official language of the union. This has also been done in order to facilitate the conduct of administration through a language which is spoken by a majority of the people in India. Therefore, there is absolutely no question of Hindi being imposed on anybody.

श्री रामजेठामलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : श्रीमान हमने कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं किन्तु मुझे लगता है कि आप हमें समय नहीं दे पायेंगे । क्या हम उन्हें वापस लेने के लिए सभा की अनुमति ले सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए । यह आप कैसे कह सकते हैं कि आपको समय नहीं दिया जायेगा ।

श्रीमती रानो एम० शैजा (नागालैंड) : हमारे पुलिस बलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा इन्हें नया रूप दिया जाना चाहिए ताकि ये वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । उदाहरण के तौर पर नागालैंड में पुलिस भलीभांति संगठित है तथा वह किसी भी प्रकार के आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित है । अतः उन्हें नया रूप देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । ऐसा प्रत्येक राज्य की आवश्यकता को देखकर किया जाना चाहिए । ताकि यह विशिष्ट राज्य की आकस्मिकता का मुकाबला कर सके ।

आपातस्थिति के दौरान राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखकर अधिकारियों का तबादला किया गया । चूंकि नागालैंड राज्य राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है, अतः उनमें परिवर्तन करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके फलस्वरूप वहां पक्षपात, भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है । हर्ष की बात है कि गृह मंत्री ने जिन राज्यों में विधान सभा भंग की है वहां जो सलाहकार भेजे हैं, उन्हें कहा गया है कि भूतपूर्व सरकार ने वहां जो अन्याय तथा ज्यादतियां की हैं, उन्हें दूर किया जाये । ऐसा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में किया जाना चाहिए ।

शायद भूतपूर्व सरकार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों तथा सुरक्षा की समस्याओं में उलझी हुई थी जिसके कारण वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के दिमाग में हुए परिवर्तन का लाभ नहीं उठा सकी । हम विभिन्न जाति वर्ग के लोग हमेशा भाषायी विषयों पर एकमत होना चाहते हैं। इस प्रकार की एकता मे हमारा राज्य राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित हो सकता है । इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

यदि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के नाजुक मामलों को हल करना चाहती है तो उसे पक्षपात से दूर रहकर सोचना और कार्य करना होगा। हमारे देश का दर्शन "अनेकता में एकता" पूरे देश एवं विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के हल की सम्भावना प्रदान करता है ।

शिलांग समझौते के प्रावधानों के अन्तर्गत आपसी समायोजक की काफी गुंजाइश है । समझौता करने वाले पक्ष शर्तों का अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हैं । एक बार तो इसे कार्यान्वित करने का कार्य भी आरम्भ हो गया था । हमें इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग मे काम करना चाहिए। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की यही चाहना है कि यहां के पुलिस बलों का पुनर्गठन किया जाये।

नागालैंड में 5 पुलिस बटैलियन हैं। चौथी बटैलियन को निर्माण परियोजना पूरी करने के लिए अधिक धन की जरूरत है । उनके लिए रहने हेतु इमारतें नहीं हैं ।

मणिपुर में पुलिस बल का पूर्णतया नैतिक पतन हो चुका है । कनिष्ठ अधिकारियों तथा कांस्टेबलों को वरिष्ठ अधिकारियों के घरों पर काम करने के लिए कहा जाता है । यदि वे उनके घरों का काम करने न करें तो उन्हें विभिन्न तरीकों मे तंग तथा परेशान किया जाता है । इसके फलस्वरूप उनका मनोबल गिर गया है । इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां तक सीमा विवादों को हल करने का सम्बन्ध है, इन विवादों को सुलझाते समय उनसे प्रभावित होने वाले लोगों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतीत में स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना सीमांकन कर दिया गया था ।

मेघालय में गोलपारा, कामरूप तथा मिकिर जिलों के बारे में आसाम से विवाद चल रहा है । इस विवाद को भी हल किया जाना चाहिए ।

श्री के० के० मूर्ति (अमालापुरम) : पुलिस कैडर में काफी वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप व्यय में भी काफी वृद्धि हुई है । वर्ष 1950–51 में गृह मंत्रालय ने पुलिस पर 0.5 करोड़ रुपए व्यय किए जबकि यह व्यय अब बढ़कर सात गुना अर्थात् 3.5 करोड़ रुपए हो गया है ।

पुलिस कर्मचारियों के जीवन स्तर में इन वर्षों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया है । अब तक 15 प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें प्राप्त हैं। शेष गन्दी बस्तियों में रहते हैं । सभी पुलिस कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार को शीघ्र उपाय करने चाहिएं ।

अन्य देशों की तुलना में पुलिस का कार्य निराशाजनक रहा है । अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस जांच के बहाने तंग करने के अमानवीय तरीके अपनाती है । अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के साथ किए जा रहे नृशंस अत्याचारों को रोकने में पुलिस असफल रही है। खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश में इन जातियों के 322 लोगों की हत्या की गई है । ये आंकड़े वर्ष 1969 तक के हैं । 27-5-77 को पटना जिले में बेलची की घटना अभी ताजा है जिसमें एक हरिजन को गोली से उड़ा दिया गया और 13 व्यक्तियों के हाथ-पांव बांध कर जलती आग में झोंक दिया गया । परन्तु अपराधियों को पुलिस की मिलीभगत से अभी तक पकड़ा नहीं गया है । उनकी शिकायतें भी आधे मन से रजिस्टर की जाती हैं और जांच भी ठीक प्रकार से नहीं की जाती । सरकार को उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जो इन हरिजनों को बचाने में असफल रहे हैं । मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पुलिस के सभी काडरों की सेवाओं में हरिजनों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

भर्ती के मामले में कालेकर आयोग की सिफारिशों को अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए 33% पदों को आरक्षित करना और अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% पदों को आरक्षित करना, तुरन्त लागू किया जाना चाहिए । जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस सिफारिश को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से वायदा किया था ।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 जिसका संशोधन 1963 में किया गया था, में चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं का व्यवस्था है । लेकिन कुछ राज्य ऐसी सेवायें बनाने के पक्ष में नहीं हैं । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि ये सेवायें अविलम्ब बनाई जायें ।

उच्च नागरिक सेवाओं में क्षेत्रीय असन्तुलन है । उच्च पदों पर दक्षिण के लोगों को चुनने को सुनिश्चित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस संघ को पूरे दक्षिण के लिए बंगलौर, हैदराबाद और मद्रास में साक्षात्कार की व्यवस्था करनी चाहिए तथा उत्तर के लिए बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में साक्षात्कार की व्यवस्था करनी चाहिए ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उचित आरक्षण नहीं है। 1 जनवरी, 1976 को अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की कुल संख्या 3235 थी जिसमें से केवल 277 अनुसूचित जाति के थे जबकि आरक्षण के अनुसार यह संख्या 450 होनी चाहिए थी । इसी वर्ष में भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की संख्या 250 के स्थान पर 147 तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या 104 के स्थान पर केवल 54 थीं ।

जहां तक पदोन्नतियों की सम्बन्ध है, गोपनीय रिपोर्टों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पायेगी जब तक देश में जाति तथा प्रथा विद्यमान है। यह प्रथा अच्छी नहीं है । ऐसा कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति नहीं है जिसका तिरस्कार न किया जाता हो, उसे तंग न किया जाता हो, उसके साथ बुरा व्यवहार न किया जाता हो । लेकिन जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें की गईं उनमें से किसी को भी दण्ड नहीं दिया गया । नौकरशाही ने गत 30 वर्षों में कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की

उपेक्षा की है । न्यायपालिका से आशा की जाती है कि वह कमजोर वर्गों को दिए गए संरक्षण के सम्बन्ध में संविधान की व्यवस्था को समझे । लेकिन न्यायपालिका इसमें असमर्थ रही है । परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों के ऐसे कई निर्णय सामने आये हैं जो इन जातियों को दिए गए संरक्षण के विपरीत जाते हैं । अतः मेरा सुझाव है कि न्यायपालिका में भी इन जातियों को सही प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी आयुक्त के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि सेवाओं में इन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वर्तमान दर पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में 200 वर्ष लगेंगे। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उपायुक्त के सब-जोनल कार्यालयों को प्रभावी बनाया जाये । सदन में प्रतिवर्ष आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जानी चाहिए ।

इस देश में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। संविधान में दिए गए संरक्षणों को बार-बार उल्लंघन किया गया है । इसी कारण ये जातियां ऊपर नहीं उठ सकीं । अनुसूचित जातियों/जनजातियों को उनका सही तथा गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए ।

श्री वी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : कांग्रेस सरकार ने आपातस्थिति की घोषणा करके राष्ट्र को पूर्णतया पंगु बना दिया था । आपातस्थिति के बारे में कुछ गलत-फहमी है । हमारे संविधान में संविधान को समाप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है । संविधान के निर्माताओं ने यह सोचा था कि देश में हमेशा शान्तिपूर्ण संविधानात्मक सरकार होनी चाहिए लेकिन कांग्रेस सरकार ने संविधान को समाप्त कर आपातस्थिति का प्रयोग किया ।

जनता पार्टी को आपात स्थिति के बारे में कुछ गलत फहमी है । इनका कहना है कि आपातस्थिति के दौरान बहुत ज्यादतियां की गई जबकि आपातस्थिति स्वयं एक ज्यादती थी। कांग्रेस दल ने स्वीकार किया है कि आपातस्थिति की घोषणा एक महान भूल थी । जब वे यह स्वीकार करते हैं तो उन्हें संविधान के 42वें (संशोधन) अधिनियम के निरसन किए जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपातस्थिति में जो व्यवस्था थी वह संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम में नहीं थी । अतः उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान 42वां संशोधन अधिनियम रद्द किया जाये ।

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का सम्बन्ध है, इन जातियों के सम्बन्ध में जो भी संगठन थे उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है । इन जातियों के सदस्यों को हतोत्साहित किया गया तथा इनका कोई भी उल्लेखनीय संगठन नहीं था । इन जातियों के लिए आरक्षित अधिकांश स्थान कांग्रेस दल ने हथिया लिए थे। अब जनता पार्टी ने ऐसे कुछ स्थान हथिया लिए हैं। अतः जनता पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि इन जातियों के कल्याण पर उचित ध्यान दिया जाये ।

बेलछी में अनुसूचित जातियों के 9 व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया गया । कोई झगड़ा नहीं हुआ था । इन लोगों को रस्सी से बांध दिया गया और दिन दहाड़े गोली से उड़ा कर आग में झोंक दिया । यह घटना प्राचीन काल की निर्मम घटनाओं की याद दिलाती है । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण पर होने वाले व्यय में भी कमी हुई है । वर्तमान आंवटन 18 करोड़ रुपए अर्थात-2 रुपए प्रति व्यक्ति है । इतनी कम राशि लोगों की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा कर सकती है। यही नहीं, यह राशि स्वच्छिक एजेन्सियों के माध्य से दी जाती है। मेरा सुझाव है कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाये जो इस बात का पता लगाये कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आंवटित राशि का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है ।

संघ शासित प्रदेशों को या तो राज्यों का दर्जा दिया जाये या उन्हें संघशासित प्रदेश समझा जाये । इस समय ये न तो संघशासित प्रदेश ही है और न ही राज्य।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जो गलतियां की है, जनता सरकार उन्हें दूर करे। इन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दे और इनके कल्याण के लिए जो राशि आंवटित की जाये उसका उचित उपयोग किया जाये ।

श्रीमती रेणुका देवी बढ़कटकी (गोहाटी) : आपात-स्थिति के 19 महीने प्रजातंत्र के महत्व को घटाने के लिए एकजुट प्रयासों की पराकाष्ठा के प्रतीक थे । जो लोग लोकतंत्र को नष्ट करके देश में निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहते थे उन्होंने गृह मंत्रालय को अपनी इच्छाओं के क्रियान्वयन का मुख्य उपकरण बनाया । उनका शासन एक दलीय शासन था और एक दलीय शासन में हमेशा पुलिस का राज्य होता है । इसलिए पूरे पुलिस विभाग को बदलने की आवश्यकता है ।

आपातस्थिति के दौरान अनुसंधान विश्लेषण संकध तथा अन्य अभिकरणों को बड़ी राशि दी गई । कुछ विशेष व्यक्तियो को भी धन दिया गया जिसे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और संसद की नजर से बचा कर रखा गया । गृह मंत्री को इन बातों की जांच करनी चाहिए ताकि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो ।

गृह मंत्री ने जो शानदार शुरुआत की है तथा जिस रफ्तार से उन्होंने नागरिकों के मूल अधिकारों को वापस दिलाया है उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । संविधान के अप्रिय 42वें संशोधन को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। मूल अधिकारों को पुन: प्रतिष्ठित करना होगा । न्यायपालिका की शक्तियों को भी शीघ्र ही वापस लौटाया जाना चाहिए ।

हमारे सरकारी कार्यालयों ने कुशलता के कारण अधिक ख्याति अर्जित नहीं की है । जनता की याचिकाओं तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा कौंसलरों, विधायकों, संसद सदस्यों यहां तक कि मंत्रियो को भी लिखे गए पत्रों का कभी उत्तर नहीं दिया जाता और वे वर्षों तक विचाराधीन रहते है । जनता को इसके कारण कष्ट सहना पड़ता है । हम आशा करते हैं कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्यालय कुशलता से काम करे। इन कार्यालयों को इस ढंग से काम करना चाहिए कि लोगों की इनमें आस्था बनी रहे ।

आसाम राज्य विधान सभा ने राज्य मंत्रिमडल के विरुद्ध सत्ता के दुरुपयोग और सरकारी राशि के दुरुपयोग के लिए 70 आरोप लगायें है । राज्य सरकार दस्तावेजों और अन्य प्रमाणों को आग लगा कर नष्ट कर देने की कोशिश कर रही है । अत: मंत्री महोदय की यह जिम्मेदारी है कि यह प्रमाण नष्ट न होने पायें ।

जिस उद्देश्य के लिए पूर्वोत्तर परिषद बनाई गई उसे पूरा नहीं किया गया है । इसे अपनी योजनाओं जैसे कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुलि बनाना, एक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण तथा सबनसीरी, पगलदिया नदियों पर मुख्य पन-बिजली परियोजनायें बनाना इत्यादि के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समुचित प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं है । आशा की जाती है कि मंत्री महोदय पूर्वोत्तर परिषद के लोगों को अधिक शक्तियां और अधिक धन देंगे ताकि वे लोगों की आकाक्षांओं को पूरा कर सकें ।

नागालैंड में शिलांग समझौते के बाद भी शान्ति नहीं हुई है । मिजोरम में एजवल में आई० जी० पी०, एस० पी० और एस० डी० पी० की निर्मम हत्या के बाद कुछ देर तक हंगामा रहा और सुरक्षा के नाम पर सैंकड़ों भोले-भाले लोग गिरफ्तार किए गए । तब से स्थिति बदतर हो गई है । सभी भोले-भाले लोग जो आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए थे उन्हें रिहा कर देना चाहिए ताकि मिजो पहाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके ।

इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में लोग खुश नहीं हैं । वर्तमान प्रशासन के प्रति कड़ा रोष है । आशा की जाती है कि गृह मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा ।

हमने देखा है कि जनता पार्टी के नेताओं ने आपातस्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रति नरम रवैया अपनाया है । डा० कर्ण सिंह तथा उनके दल के अन्य नेता गांधी जी के सिद्धांतों को भूल चुके हैं जबकि हमारे नेता तथा हमारा दल उन सिद्धांतों को अभी भी बनाये हुए है ।

Shri Ram Murti (Bareilly) : I rise to support the demands of Home Ministry. India got its independence 30 years ago but during the last 2.1/2 years the Congress Party has ruined that country. It is really painful because the names of eminent personalities like Mahatma Gandhi, and Lokmanya Tilak are associated with Congress Party. These leaders and many other great-men built the Congress Party which stood for certain values. But all these values and principles were lost sight of during last two years. It is simply for this reason that on 1st May, 1977 I left the Congress Party.

The emergency was clamped on the country by Smt. Indira Gandhi through Congress Party. As a matter of fact there were absolutely no reasons for imposing the same. There was neither any threat of external aggression nor any internal disturbance in the country. The emergency was simply imposed to overcome the threat of peaceful agitation declared by J.P. and Acharya Kriplani.

In 1971 elections, Smt. Indira Gandhi promised to remove poverty and unemployment from the country. But on the contrary poverty and unemployment increased during the last five years. When people wanted to agitate to draw the attention of the Government towards their difficulties, they were suppressed. Emergency was imposed to crush the movement spear headed by Shri Jayaprakash Narayan to highlight the problems faced by the people.

During emergency, lakhs of people were put behind bars simply for this reason that they raised their voice in favour of democratic values. Atrocities were committed throughout the country. But it is a matter of pity that there was not even single protest by Congressmen or Congress organisation against autocratic rule in the country. At that time Congressmen behaved as if they were personal slaves of the Prime Minister. The whole organisation was dominated by one person. It is a matter of all the more pity that even now no sign of repentence has been shown by Congressmen for their past sins. Smt. Indira Gandhi imposed emergency for her personal gains and emergence of Mr. Sanjay Gandhi on national scene was the most wonderful gain of emergency. In the name of emergency, all the democratic institutions were destroyed. All sorts of sins were committed in the name of emergency. So, review of all the sinful deeds associated with recent internal emergency, I want to impress upon this House to make such provisions in the Constitution so that in future Constitution is not exploited by anybody.

The other thing which I feel the most, is that the police administration in the country should be toned up. Yesterday, it was rightly stated by an hon. Member from Bihar that today police has to work under a lot of strain Police administration should be made free from political influence so that public security should be ensured. The difficulties of the police personnel should be looked into and they should be asked to work for safeguarding the interests of the commonman. It is a matter of concern that the conditions in jails in our country are not good. This fact can be testified by several of my friends who had been to jails recently. So, my submission to the hon. Home Minister is that steps should be taken for improving the conditions in jails. It will be good if a political class is created in jails for political prisoners.

My other submission is that when I was in jail, I saw that a good number of people who were Pakistani nationals were also put in jails. They were put in jails for overstaying in this country. Even if these people remain in jails, the Government has to spend on them. So they should not be kept in jails for indefinite period. The Government should take some decision for sending them back to their country.

Lastly, I want to say a few words about language problem in the country. I am of the opinion that three-language formula should be enforced throughout the country. In Hindi-speaking areas, people should learn a languge of the people of non-Hindi speaking areas. The people of Non-Hindi speaking areas should learn Hindi at least upto 5th class so that Communication between people of different areas may become easy. There should be no question of imposing Hindi on anybody. But, it is only through a common popular language that the whole country can be brought together. With these words, I support the demands of the Home Ministry.

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम) : श्रीमानजी, हमारे देश में सन्त महात्मा सदा ही विश्व एकता के लिए प्रयत्न करते रहे है । राजनीतिक स्तर पर हमारे राजा, महाराजा, राजनीतिज्ञ भी उपमहाद्वीप में एकता के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं । हमारे देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि केवल अशोक तथा अकबर के काल को छोड़कर भारतीय जनता ने यह आदर्श भुला रखा था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल ने देश में यही एकता स्थापित करके ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की उन आशाओं पर पानी फेर दिया जो यह समझ रहे थे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्षों बाद देश छिन भिन्न हो जायेगा । वर्तमान भारत के निर्माण में तथा उसे राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भुमिका अदा की है । वस्तुस्थिति यह है कि कांग्रेस संगठन के अभाव में देश में इस प्रकार की एकता ला पाना सम्भव ही नहीं था । अतः हमें इस तथ्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ।

हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने उन सभी आदर्शों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जिन्हें हमारे नेताओं ने वर्षों से अपने मन में सजों रखा था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने अनेक ऐसी नीतियां बनाई जिनसे सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सकता था । इस दिशा में हम काफी हद तक सफल भी हुए परन्तु अपनी कुछ गत वर्षों के अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इनकी सही क्रियान्वित के लिए नौकरशाही ने उतना सक्रिय सहयोग नहीं दिया जितना कि उसे देना चाहिए था । यह स्थिति बहु चर्चित आपातस्थिति की भी है । कुछ समयोपरान्त जब इतिहासकार तथा विद्वान लोग आपातस्थिति का मूल्यांकन करेंगे तो सम्भवतः वह भी यही निर्णय देंगे कि दोष क्रियान्वयन स्तर पर था, नीति निर्माण के स्तर पर नहीं । वास्तव में आपात स्थिति की ज्यादतियों के लिए नौकरशाही काफी हद तक जिम्मेदार है ।

हमारे वर्तमान गृहमंत्री को प्रशासकीय कार्यों का अच्छा खासा अनुभव है । अब यह देश की कानून व्यवस्था के प्रभारी हैं । हमें उनसे आशायें हैं परन्तु यह बड़ी ही विचित्र विडम्बना है कि उनके

शासनकाल में आदिवासियों के गांवों को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासी लोगों में अब यह धारणा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है कि उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपेक्षित पुलिस सहायता तथा सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस ओर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। गृहमंत्री महोदय को मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि उन्हें पुलिस विभाग में लगभग 40 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के लोग रखने चाहियें। हरिजनों को भी उपयुक्त प्रशिक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ मेरा एक अन्य सुझाव यह भी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती के नियमों में उपयुक्त परिवर्तन करके उनमें हरिजनों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए।

यह हर्ष की बात है कि वर्तमान सरकार ने पुलिस आयोग की नियुक्ति करने की बात कही है। यह एक सराहनीय बात है। कुछ माननीय सदस्यों ने जेलों की स्थिति का उल्लेख भी किया है, जेलों की स्थिति निश्चय ही शोचनीय है तथा मेरी भी यही मान्यता है कि जेल सुधार हेतु एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

गत 30 वर्षों में हमारे देश में अनेक सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हरिजनों तथा दलित वर्ग के लोगों को पहली बार स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी विचाराभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछड़ी जातियों के जिन लोगों का गत अनेक वर्षों से दमन किया जाता रहा, कांग्रेस संगठन ने उनमें जागरूकता के प्राण फूक दिये हैं। गृहमंत्री से मेरा यह निवेदन है कि जागरूकता को प्रोत्साहन देने तथा दलित लोगों को प्रगति का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के कार्य को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमने समाजवाद की ओर जो कदम बढ़ाया है, उसे बनाये रखा जाना चाहिए। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय के कार्यकरण में उपयुक्त सुधार किये जाने चाहियें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मुरुमगांव) : श्रीमान् जी, सौभाग्यवश आज मैं ही एक ऐसा प्रतिनिधि सदन में हूं जो कि संघशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं। श्रीमान् यह खेद की बात है कि संघ-शासित प्रदेशों द्वारा अधिक स्वायतता तथा स्वायज्ञशाली सरकार की मांग के प्रति भारत सरकार तथा विशेष कर गृह मंत्रालय का रवैया सन्तोषजनक नहीं रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश में अंडमान, निकोबार, विशेषकर ल यद्वीप जैसे कई संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कि पंचायतें तक नहीं हैं। उन राज्यों का सम्पूर्ण शासन दिल्ली से चलाया जाता है। यह भला उपनिवेषवाद नहीं तो और क्या है ? पांडिचेरी तथा गोआ में भी स्थिति लगभग उपनिवेषवाद की ही है। यह ठीक है कि वहां विधान सभायें हैं परन्तु उनकी स्थिति स्वतन्त्रा राज्यों की सी नहीं है। यह कितनी विचित्र बात है कि राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त है परन्तु पांडिचेरी तथा गोआ विधान सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह भला दूसरी श्रेणी की नागरिकता नहीं है तो क्या है ?

मैं सदन के समक्ष विनम्रता से यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार गोआ और पांडिचेरी में विधान सभायें हैं, उसी प्रकार लक्ष्यद्वीप तथा अमीनदिवी द्वीपसमूह तथा अंडमान, निकोबार द्वीप समूह में भी विधान सभायें होनी चाहियें। गोआ तथा पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये। यह और भी अच्छा हो यदि दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जनता पार्टी के संरक्षक, श्री जयप्रकाश नारायण छोटे राज्यों के समर्थक हैं। जनता पार्टी के आचार्य कृपलानी भी छोटे राज्यों को तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में हैं। मैं समझता हूं

कि एक बार हमारे वर्तमान गृहमंत्री ने भी यही विचार व्यक्त किया था कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए उसका अधिक बड़ा आकार ही जिम्मेदार है । इतना ही नहीं अभी हाल ही के चुनावों के दौरान हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री मधु दण्डवते ने भी गोआ के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि उनके राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा ।

उपरोक्त वायदों की तरह ही जनता पार्टी के श्री राज नारायण तथा श्री रामकृष्ण हेगड़े ने भी कुछ इसी प्रकार के वायदे किये थे, हम आशा करते हैं कि उन वायदों तथा आश्वासनों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाएगा ।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : My submission is that during the last six years this House has not got the opportunity to discuss the report of Scheduled Castes Commissioner. So if the time of this discussion is increased more Members will get an opportunity to participate in the same.

सभापति महोदय : इस पर विचार किया जाएगा ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : अभी हाल ही में हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है । देश की जनता ने लोकतन्त्र में अपनी गहन आस्था व्यक्त की है । यह सम्पूर्ण परिवर्तन गृह मंत्रालय के माध्यम से ही आया है तथा इसके लिए मैं गृह मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं । विधान सभाओं के भंग किये जाने के बारे में गृह मंत्रालय की कुछ आलोचना की गई थी । परन्तु उसका उत्तर तो जनता ने दे ही दिया है ।

लोगों ने यह दिखा दिया है कि गृह मंत्रालय का निर्णय ठीक था और इन विधान सभाओं का एक भी दिन बने रहने का कोई औचित्य नहीं था । कल डा० कर्णसिंह ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस ने देश को एकता प्रदान की । क्या उनका अभिप्राय यह था कि जनता पार्टी उस एकता को समाप्त कर रही है ? मेरे विचार में उनका दावा झूठा और आरोप निराधार है । डा० कर्ण सिंह ने कहा है कि आयोगों को अपना काम शीघ्र करना चाहिए । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं परन्तु साथ ही मेरी एक शर्त है और वह यह कि कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्त्ता होने के नाते, अपराधों में सहयोग देने के नाते, उन्हें आयोगों के समक्ष गवाही देने से हिचकना नहीं चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : माननीय सदस्य को सभा की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए ।

सभापति महोदय : कृपया शांति रखें ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : क्या माननीय सदस्य को पक्का विश्वास है कि उनके दल में ऐसे सहयोगी नहीं हैं ?

सभापति महोदय : श्री जेठमलानी, आप उकसाने वाली भाषा का प्रयोग न करें ।

श्री० के० लकप्पा : हमारी मांग है कि माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें ।

सभापति महोदय : आप बैठ जायें । मैंने माननीय सदस्य को समझा दिया है कि वह उक साने वाली भाषा का प्रयोग न करें । यदि प्रतिपक्षी समझते हैं कि वे प्रजातांत्रिक भावनाओं का आदर कर ते हैं

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

तो उन्हें मिलकर उन संवैधानिक संशोधनों का विरोध करना चाहिए जो आपात स्थिति के दौरान पास किए गए थे। (**व्यवधान**)। सभा की बैठक के पहले ही दिन प्रतिपक्षीदल के नेता ने कहा था कि वह प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करेंगे। लेकिन अभी तक प्रतिपक्षी दल की ओर से किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे संवैधानिक संशोधन को समाप्त करने के लिए तैयार है। (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे (अकोला) : पहले माननीय सदस्य यह कहें कि वह हाजीमस्तान जैसे तस्करों का साथ नहीं देंगे और अमरीका से मेल-जोल नहीं रखेंगे। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर बैठें।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : सभापति महोदय ने पहले ही यह निर्णय दे दिया है कि माननीय सदस्य उकसाने वाली बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद माननीय सदस्य उसी लहजे में बोल रहे हैं। हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचार जनता सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। उनके शासन के 100 दिनों में कई हरिजनों को सताया गया एवं मारा गया।

श्री वसन्त साठे : : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप सीट पर नहीं बैठेंगे तो मुझे अन्य कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री राम जेठमलानी : डा० कर्ण सिंह ने आरोप लगाया है कि हम दल बदल की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि कुछ कांग्रेस के सदस्य हमें आकर यह कहते हैं कि पहले हम पाप करते रहे हैं और अब हम इन पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या हम उन्हें यह कहें कि वे अपनी पाप प्रक्रिया जारी रखें। जनता पार्टी किसी भी अन्य दल के सदस्य को तब तक अपने दल का सदस्य नहीं बनाएगी जब तक कि वह उसके पुराने रिकार्ड की जांच करके उससे संतुष्ट नहीं होती और उसे यह विश्वास नहीं होता कि वास्तव में उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन हुआ है। उसी दशा में पहले उसे परिवीक्षा पर दल में रखा जाएगा। हमारी पार्टी में हर किसी व्यक्ति को सदस्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

डा० कर्ण सिंह ने कहा है कि देश में पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दस वर्षों में पुलिस सत्ताधारी दल के भ्रष्टाचारी गैर-कानूनी कार्यों में साथ देती रही है।

कुछ दिन पूर्व जब मैंने कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अथवा उनके पुत्र की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सरकार को बहुत सावधानी बरतनी होगी। हम यह चाहते हैं कि सरकार को एक गरीब आदमी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अमीरों की मदद तो हर कोई करता है तो लेकिन गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं है। आशा है कि गृह मंत्रालय गरीब आदमी की गिरफ्तारी के समय अधिक सावधानी बरतेगी।

बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री संजय गांधी खुले आम प्रमाणों को नष्ट करने में लगे हुए हैं जबकि उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं ।

श्री वसन्त साठे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । निर्णयाधीन मामले पर मत व्यक्त करके माननीय सदस्य निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं ।

श्री राम जेठमलानी : मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं । हो सकता है कि श्री संजय गांधी के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे हों । वह निरपराध हो सकते हैं और हम आशा करते हैं कि वह अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे । लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए क्योंकि जनता सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है ।

यदि सत्य छुपाया जाता है और जांच गलत ढंग से की जाती है तो यह न्याय के प्रति बहुत बड़ा अविश्वास होगा । यदि देश में कानून का शासन स्थापित करना है तो हमें कानून के सामने गरीब-अमीर सबको एक समान समझना होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : बड़े दुःख की बात है कि प्रजातंत्र पर व्यापक आक्रमण और संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी प्रावधान नहीं है । सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिससे संविधान का उल्लंघन करने तथा प्रजातंत्र को उखाड़ने वाले दोषी को सजा दी जा सके । यह कानून 24-6-1977 से लागू किया जाना चाहिए ।

जहां तक बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, हुसंख्यक समुदाय के लोगों का यह कर्तव्य है कि वह देश की जनसंख्या के 20 प्रतिशत भाग, जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है के हितों की रक्षा करें । हमें उन्हें शिक्षा संस्थानों में नौकरियों तथा व्यापार के मामले में उचित अवसर देना चाहिए । अरबी, फारसी, और उर्दू भाषा पढ़ाने की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने जून, 1976 में राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कुछ विशेष समस्याओं पर विचार करने हेतु गृह मंत्री की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी । कार्यकारी दल ने साम्प्रदायिक सामजंस्य के संवर्धन हेतु एक सात सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव दिया था, दल ने उग्रवादियों, हिंसा, विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक घटनाओं और श्रमिक समस्याओं से निपटने के सम्बन्ध में भी कुछ सिफारिशें की थी । यह इस मामले के महत्व को कम करने तथा टालने का अच्छा तरीका है ।

1971-76 के दौरान देश में 1256 दंगे हुए जिनमें से सम्भल, मुरादाबाद का दंगा बहुत गंभीर था । कांग्रेसियों को यह पता होना चाहिए कि मुस्लिम उनके राज्य में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते थे हिन्दु राज्य की स्थापना नहीं करनी है । यदि ऐसा हुआ तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की दशा बड़ी शोचनीय है । वर्ष 1971 की जनगणना से पता चलता है कि हमारी कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत भाग इन्हीं जातियों का हैं । वर्ष 1976 में अकेले बिहार में सितम्बर तक अत्याचार के 1133 मामले हुए । इसी अवधि के दौरान 57 हरिजनों और आदिवासियों की हत्या की गई । ये लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जब तक भूमि सुधार नहीं किया जाता, तब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक नाजुक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग सीधे-साधे और स्वाभिमानी हैं। राष्ट्रीय मुख्यधारा के नाम पर उन्हें डाराया जा रहा है। उन्हें अपनी सभी अच्छी बातों को बनाए रखने का अवसर देना चाहिए। यही 'विविधता में एकता होगी।

नागालैंड के राज्यपाल को दी गई विशेष सत्ता असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। उसे एक विशिष्ट राज्य का राज्यपाल न कहकर पूर्वोत्तर क्षेत्र का राज्यपाल कहा जाता है। हमें इस नाजुक क्षेत्र के लिए राजनीतिक हल ढूंढ़ना होगा।

पूर्वोत्तर परिषद् अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध की उपशाखा है। विकास की आड़ में इसने विकास के स्थान पर पुलिस का कार्य अधिक किया। विकास के स्थान पर पुलिस तथा सुरक्षा दलों पर अधिक धनराशि व्यय की गई है।

विभाजन से समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है। सरकार को परिवहन राज सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करने चाहिएं उन्हें आन्तरिक पर्यटन-विशेषकर मणिपुर में पर्यटन को प्रोत्साहन देना चाहिए।

योजना आयोग के निदेशक सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत जेल में बंद हैं। गृह मंत्री इस बात पर ध्यान दें कि उनके साथ अन्याय न किया जाए।

English translation of the Speech of the Minister of Home Affairs delivered in Lok Sabha on 13-7-77

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : I am grateful to the Hon. Members on both sides because, except for the tempers running high for a short time, there has been a very good debate and, together with criticism, constructive suggestions have also been given. So many points have been made that if I were to reply to all of them, I would require at least three hours. But I do not think that all of them need a reply. I will be able to reply to some of them which I consider important. After that, if any hon. Member might like to know the Government's view point on any specific issue, I would try to clarify.

Mr. Deputy Speaker, Sir, Dr. Karan Singh initiated the debate yesterday on behalf of the opposition ; I thank him for the cool and composed manner in which he put forth his points. He admitted, although not full-throatedly, that the Congress had committed mistakes. He talked of ends and means and said that the ends were all right, but there was a mistake in the means that were adopted which should have been ethical. But I do say that the end was also wrong. How can the object of setting up an autocratic state be right ? The means were the erosion of the rule of law, the end was dictatorship. Therefore, his assertion that there was mistake only in one regard is not correct. And it was not merely a mistake, it was a crime— a crime against an humanity, against this country and its future, against democracy.

If something is said whole-heartedly it has its impact. But if it is conditional or qualified, it cannot have the desired effect on the country ; it can hardly have an effect on us because we know many things. Therefore, if he wants some impact to be made on the country, it is better that no ifs and buts are added.

Another hon. Member blamed the bureaucracy for all that had happened. According to him, the measures adopted, the laws enacted, the ordinances issued were all correct, but the bureaucracy did not implement them properly. But the fact remains that it was not the bureaucracy but those who issued the orders who were reponsible. How far is it right to seek scapegoats to hide one's own wrongs and sins ?

Dr. Karan Singh and some other friends confessed that mistakes were committed, but what effect is it going to have on those who were responsible for all this ? How do Shrimati Indira Gandhi and her son view it

Shrimati Indira Gandhi has not uttered a single word of regret so far. What has she made of this country ? Men, women and children, the innocent and the poor, and those whose record of service is much higher than hers, had to undergo untold sufferings. And yet there has been no word of repentence or regret from her.

Shri Sanjay Gandhi has said that he is not guilty. He has the right to say so. May be he is proved innocent. But he has also said that his mother is the most popular leader in India today. Only three months back, she was defeated in spite of all the resources at her disposal against a person whose only resources were a record of service and character. And now within these three months, she has become the country's most popular leader. If she wants to have a test of her popularity, we are ready. If she wants to have it every three months, we are ready for that also.

But I am only talking of the attitude. It was a great mistake, the kind of which has not been committed in the history of any democratic country, except what had been done by Hitler and others. But even Hitler had this quality that he loved his country, he wanted to make his country great, he dreamt of the greatness of his country. But here while she wanted to establish dictatorship in the country, she did not dream of making the country great, her dreams were cherished for herself and her family only. That is why I say that history has no parallel to this. But in spite of that, there is no repentence, no realisation of the wrong done. She could have said even in a subdued tone that she had now realised that she had committed a mistake. But nothing of this kind happened. Perhaps Dr. Karan Singh and some other friends have gradually realised that a mistake has been committed.

An hon. Member asked us to look at the achievements. What were the achievements of Mrs. Gandhi's regime ? Has poverty been abolished ? According to the U.N. statistics of 1954-55, our country rated 54th or 52nd among the 80 poor countries—51 countries were richer and 25 poorer than us. Look at the present figures. Out of 146 countries, figures relating to 20 are not available. Our rating is 105th or 106th among 125 countries. The countries that were supposed to be backward and uncivilised, even those countries of Africa that attained freedom 2 or 4 years after we did, that had no roads, electricity, medical colleges and no resources for development, have gone ahead of us.

Poverty means paucity of money and money does not mean currency but something that fulfils the needs of man, and the greatest need of man is food. Today, at least 40 per cent and according to some economists 60 per cent people do not get even bare food. And they say that poverty has been removed.

So far as unemployment is concerned, if I remember aright, the Planning Commission has accepted that at the time of the first plan, there were about 5 million unemployed while today the number of the unemployed registered in the employment exchanges is 11 million. Besides, there are educated people who do not see any usefulness in getting their names registered. In villages, the number of such people is several times more.

The gap between the rich and the poor cannot be eliminated completely. It is a sheer dream that the income of all should be equal. It is an ideal, and of course we should keep the ideal before us. But it is not possible to eliminate the difference completely. But what would such a Government be called which has widened the gap instead of narrowing it ? When the British left this country, the wealth of the richest was Rs. 30 crores taking Rs. 100 as the wealth of a poor man. Today, while the wealth of a man is Rs. 100, that of the richest has gone upto Rs. 1200 crores. All the time they were claiming to be socialistic. Today 95 industrial magnates possess property to the tune of Rs. 20 crores to Rs. 50 crores. Yet, claims were made by the Congress that the gap between the rich and the poor was being narrowed and concentration of economic power was being removed.

Then, there is the question of corruption. Let all of us search our hearts in this regard. When I was in jail, I read in the newspapers that Shri Sathe had prepared a paper in which he had proved that only 2 per cent people in India possessed purchasing power. But the picture of Shri Sathe that was imprinted on my mind in the jail is different from what I have seen here. I cannot understand how a person who knew poverty so well is sitting on that side.

There has been a galloping increase in corruption. Corruption is prevailing from the top to bottom. Political leaders are also not free from it. It starts from the top and filters down below. Who is responsible for this corruption that is prevailing in the society today ? Let Dr. Karan Singh and others think over it. The people in India may tolerate poverty, but not corruption. It is the biggest sin our leaders have committed. Even our great leader, Pandit

Jawaharlal Nehru, did not have anger against corruption even though he himself was incorruptible. He felt great difficulty in punishing the corrupt. Corruption has been continuously increasing since then. The moral fibre in the country has completely collapsed.

Yet another contribution of the Congress is erosion of democracy. As many as 72,000 people were imprisoned under D.I.R. and 35,000 under MISA. During the British rule, according to the then Home Secretary—it was perhaps Mr. Craig—only 60,000 were sent to jails. Their number now is 1 lakh 7 thousand. What was their fault ? May be I had done some wrong. But what had Jayaprakashji done? What was the fault of the 7 year old girl a reference to whom was made Dr. Subramanyam Swamy ? None of them had the moral courage to say that it was wrong.

The country had been reduced to slavery. The difference between a free citizen and a slave is that the former has certain rights which are enforced through the Government. But the Congress Government had suspended—let alone the fundamental rights—even the right to live. This is what their Attorney General had said. You can find it in the newspapers of November, 1975 when we gave an application of *habeas corpus* and leading lawyers appeared in the court on our behalf, this is what Shri Niren De said :

"To-day, under the law as it stands, nobody in this country has even the right to live."

Even then they say that there was democracy at that time and, what is worse, educated people, good people, Members of Parliament, responsible people say so. They say that a small mistake was made. There was slavery in Rome. There was slavery in USA until 1886. They were treated as chattel, property of the employees. They had no rights. They were treated as property. They could not go to the courts if they were beaten up. The same thing prevailed here. We also could not go to the courts. If people here were alive, it was not as matter of right but it was because of the mercy of Shrimatiji. They were preparing for the day when certain people might be shot down as was done in the Dacca Jail. The thinking (vichar) was to shoot certain persons right from Jayaprakashji, if necessary, I ask Dr. Karan Singh and other friends whether it is not something over which one may get furious. It is not an ordinary mistake. It is very great mistake. It is a sin which must be accepted full-throatedly.

Sir, it has been said that crimes are on the increase. I do admit this, but no one person can check it single handedly.....

Dr. Karan Singh : Just now you have made a very serious allegation that there was a proposal to shoot all leaders including Jayaprakashji. I am stunned to hear that. We have not heard this kind of thing before. We shall be greatful if you elaborate on this point to let us know if it was so.

Shri Charan Singh : I have not said that there was a proposal. I said there was thinking (vichar). But even if there was any proposal, it would not have come to your notice and I am sure you all would have approved of it after it had been implemented, as was done in the case of the proclamation of emergency. The right to live had been suspended and the police was committing crimes. Your Attorney General himself admitted that the right to live had been suspended and yet nobody from among you dared to speak for its restoration. I feel this was their thinking. I did not say that there was a proposal.

Shri Kanwar Lal Gupta : They were preparing for the *janaza* of Jayaprakashji.

Shri Charan Singh : It is possible.

Sir, I was trying to find out the piece of paper which contained crime statistics of big countries of the world. Those statistics establish that the crime in civilised, educated and prosperous countries, such as USA, France and Germany is increasing at a much higher rate as compared to India. I am talking of facts, whatever the conclusions you may draw. I am saying this because some of our hon. Members expressed the view that crime rate can be brought down if the police were equipped with scientific equipments. I do need your cooperation for doing something in this regard. But I may submit that all possible facilities related with latest scientific equipment and technology are available in western countries and still the crime rate is going up in those countries by five to six times as compared to the rate of population growth. Except Japan, crime rate is increasing everywhere.

Shri Jyotirmoy Bosu : There are economic reasons.

Shri Charan Singh : Not economic reasons. As I have submitted, except Japan, crimes are increasing in all industrialised and rich countries. Japan is the only country where crime rate is not on the increase. It would not be correct to say that poverty leads to crimes and that when there is prosperity there are no crimes. I have already cited the examples of other countries. Now I would like to cite an example of U.P. Eastern U.P. is poorer as compared to Western U.P., but the crime rate in Western U.P. is higher as compared to Eastern U.P. So the argument of linking crime with poverty does not hold good. Although I can not say with full authority, but I think that the increase or decrease of crime in a society largely depends upon the tradition, culture, history, education and the way children are brought up in the society. My reply to anybody who says that the crime rate is increasing is that the increase in crime rate in India is much lower as compared to the world crime rate. But I am not satisfied with it. It needs proper thinking. We are going to appoint a Police Commission. It will also look into this aspect.

Shri D.N. Tiwary is not present in the House at the moment. He raised the issue of Bihar and pointed out how the bureaucrats had done some wrong things in a constituency. What he wanted to say perhaps was that more crimes were committed during the elections this time. He came to me. I explained to him the position but now, through you, I want to tell the House that except the States of Orissa and Punjab, crimes during the recent elections were less in number in comparison with the crimes committed in elections of 1971, 1972 and March, 1977.

Shri Mohd. Shafi Qureshi (Anantnag) : What happened in Jammu and Kashmir ? People were not allowed to cast their votes. Many people were killed there, you were also present there..... *(Interruptions)*

Shri Charan Singh : But it was not I who killed the people. I do confess that crimes took place in Kashmir, and efforts were made to prevent them, but I do not agree that only one section can be held responsible for it. I accept my responsibility for it. But it will be wrong to draw conclusions about the whole country on the basis of Kashmir or on the basis of an incident cited by Shri Tiwary. If a crime takes place somewhere and on the basis of that it is said that it is happening everywhere, that theory cannot be accepted.

Yesterday, Doctor Sahib said that murders are taking place in Delhi everyday. Had it been so, there would have been 110 murders from 26th March to date. I will tell you the exact figures. In the first three months of the year 1977, that is, from 1st April to 30th June, there were 51 murders whereas during the same period of 1975, when there was the Congress rule, there were 63 serious murders. Previously, there used to be one murder in one and a half days whereas there is one murder in three days at present. Previously, there were 59 attempts to murder as against 58 now. Similarly, there were 56 riots earlier as compared to only 32 now. Previously, there were six decoities as against four now. There were 97 robberies whereas their number is only 81 now. However, even these crimes are a matter of concern to me and I am pained by their occurance. But my friends on the other side do not have the right to say that. My friends on this side can raise their voice.

Sir, serious crimes cannot be hidden. But there are ordinary crimes which can be concealed by the S.H.O. and the number of such crimes has shown an increase. The reason is that I called the I.G. and directed him to register all cases. I asked him not to conceal even a single case, though such cases are concealed in other parts of the world. This is one reason. The second reason is that when MISA was lifted, five hundred people who were habitual offenders, suddenly came out. It was bound to have its effect on crime rate. There was a Goonda Act in U.P. as well as in Rajasthan. But the Bombay Police Act which is ineffective was applied to Delhi. A meeting of the officers was called. In that meeting, they highlighted the lacunae of that Act by citing so many instances. Our Lt. Governor sent out a Magistrate and a senior police officer to study why the incidence of crime in Bombay under the Police Act was less as compared to Delhi. How is it that the same Act is applicable here, but we are not able to control the crime ? They have come back after their study. Some mistakes were being made in the implementation of the Act here towards which no attention was paid. It was not known as to how much power Delhi had under the Bombay Act. We are taking action and the situation will improve very soon.

In our country there are eight metropolitan cities and each of them has more than a million population. Except Kanpur and Delhi, the other six cities, namely, Bombay, Calcutta, Bangalore, Hyderabad, Madras and Ahmedabad have Police Commissioners. I hope that after the appointment of Police Commissioners in these cities, we will be able to check the crimes effectively. I feel there should be a Police Commissioner here, but I shall consult my more experienced colleagues and officers on this issue. But I assure you that the matter is under active consideration.

Shri Kanwar Lal Gupta has pleaded for the withdrawal of communal cases, as both Hindus and Muslims—the two parties in those cases—are fed up with them. This argument was given earlier also. It has been said since 1947 that both Hindus and Muslims are fed up with the continuance of those cases and they wanted them to be withdrawn. But its result is not good. The National Integration Council had recommended that they should never be withdrawn. So, we do not intend to withdraw them immediately. However, we are examining the possibility of withdrawing certain cases if they are weak and witnesses are not available.

The hon. Member also wanted the set up of Delhi to be revised. This was justified to a great extent. I agree with it. We are thinking of a via media between the set up of a State Government and the present set up, which may satisfy the Member. We want to reduce multiplicity of authority. We think it would be better if more powers are vested with the Metropolitan Council.

It has been said that crimes against the weaker sections are on the increase. There is a general increase in crimes of all types and those concerning the weaker sections may also be on the increase. Belchi's example has been cited. It has been said that caste Hindus committed atrocities on Harijans. There is no doubt that the crime had been committed although there may be two opinions regarding the motivation of the crime. According to the record that the Government has, there was a long-standing rivalry between these two groups and many cases were pending against both of them. With the background of this rivalry, there can be any other motivation. Out of the 11 persons killed, 3 were non-Harijans and 8 Harijans. Among the killers, 7 belonged to one community, 1 to another community and two to a third community, that is, they blonged to three communities. The report we received from there was that it was not a question of caste Hindu versus Harijans because along with Harijans, 3 caste Hindus were also killed. But even if we grant that it were the caste Hindus who killed Harijans for some reasons, the question is that with the power that we weild through the Governor, we could not have done more.

Shri Ram Vilas Paswan : The report sent by the State Government that it was due to rivalry between two communities was wrong. Another report given was that there was exchange of fire, which is not a fact. They were forced out of their houses and burnt.....

(Interruptions)

Shri Charan Singh : You might have seen that report, I have not. In the statement I made before the House and in the report that was before me, there was no mention of exchange of fire. If any such report came, it is either imaginary or I have not seen it. Moreover, the question is that even if it is granted that it was an atrocity committed on Harijans, the question is whether the Government could have done anything more ? Or, if the clash was with Caste Hindus, should the Government have shown any laxity ? Or, because it happened with the Harijans, can a new law be framed, or anything more than this could have been done ? I would like to submit to the Hon. Members that daily there are cases of Caste Hindus committing atrocities on Caste Hindus, people of one community fighting the people of the same community, Caste Hindus fighting other communities, Harijans fighting Harijans.....

Shri Chand Ram : We are sorry for one thing. The State was under President's rule. Did the Governor visit the place of incident ?

Shri Charan Singh : What difference does it make ? Why should the Governor go ? How can he go ? The report came through the officers.

So I was saying that Harijans quarrel with Harijans, Caste Hindus with Caste Hindus, Caste Hindus with Harijans. However, Caste Hindus being stronger, perhaps they do it more than the poor. The law is the same for all. If, as my friend said, it happened because they were Harijans, I would like to know what more could have been done ?

Shri Amrit Nahata : This is not fair. This is injustice.....*(Interruptions)*.

Shri Charan Singh Interruption is not way.....

Shri Yamuna Prasad Shastri : We must go deeper into it. Can any body burn a poor man in his manner ? Extra-ordinary measures will have to be taken to stop such kind of incidents.

An Hon. Member : Like Belchi, can he give any other example of quarrel between Harijans ?

Shri Charan Singh : When did I say that there were other incidents like Belchi ?

Shri T. Balakrishniah (**Tirupathi**) : Sir, I have got a submission to make (*Interruptions*). Why don't you give me a chance ?

Shri Charan Singh : I am not yielding.

Mr. Deputy-Speaker : He is not yielding. Please take your seat.

Shri T. Balakrishnaiah I have got a submission to make.....

Mr. Deputy-Speaker : You don't interrupt like this. If you do, what you say will go off the record.

Shri Charan Singh : If anybody commits a crime against some body, it is the duty of the police to take suitable action in accordance with the law and get the guilty punished. What has been done so far.....(*Interruption*).

Shri Vasant Sathe : : Let Parliament institute an inquiry....(*Interruptions*).

Shri Charan Singh : Reports were registered against 29 persons; 23 persons..... (*Interruptions*).

Shri M. Kalyansundaram : May I say one thing.*

Shri Charan Singh : I am not prepared to yield.

Mr. Deputy Speaker : He is not yielding, what is the use. It will be off the record.

Shri Charan Singh : I was submitting tha! 29 persons were challanned out of whom 23 have been arrested. A reward of Rs. 2500 has been announced for the arrest of each of the remaining 6 people who are absconding—(*Interruptions*) I do not want to be interrupted.

Mr. Deputy Speaker : Just ignore that.

Shri Charan Singh : The families of those who have been murdered have no doubt suffered irreparable loss. However, whatever financial assistance Government could render, the Bihar Government have done. Some of our friends from Bihar Assembly have visited. the place of incident. I have not yet received their report. The State Government also propose to appoint a committee of Legislators. What I was driving at is that everything possible is being done.....(*Interruptions*).

Shri Ram Dhan : If the Hon. Home Minister permits me, I would like to submit that I had myself gone there toge!her with some other Members of Parliament. I want to ask.....

Shri Charan Singh : I am not yielding. You have many opportunities to say..... (*Interruptions*).

Mr. Deputy Speaker : When a Minister is replying or when a Member is speaking, unless he yields you cannot interrupt. (*Interruptions*). Do not get excited now. There is no use getting excited like this. If the Minister wants to yield, he can and he may yield. If you go on interrupting, he will not yield. Le! him complete his speech. There is not much time left.

Shri Unnikrishnan : Please listen to Mr. Ram Dhan at least. (*Interruptions*).

Shri Charan Singh : I did not yield to my friends on the opposite side. I would not also yield to my party secretary.

It is not necessary that what I say should be acceptable to all my friends. And if somebody does not accept that, has he got the right to interrupt immediately and make a speach ? The business of the House cannot go on in this fashion. Or, let a rule be framed that if anybody does not like something, he would have the right of immediate interruption. But the House could not function with such a rule. Why should then there be so much interruption.... (*Interruptions*).

Shri Surath Bahadur Shah : Are they trying to teach us Parliamentary etiquette ?

*सभा की कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded.

Shri Charan Singh : Yesterday, Shri Bhanu Kumar Shastri, an hon'ble Member from Rajasthan said—and he was right—that we had expected that the situation would change and the law and order situation in the country would at once improve, but nothing of this sort happend. I agree that it did not happen, nor was it possible. After all, the authority of the Home Minister of India is limited. Law and order is a State subject. Of course, the administration of Delhi police is in the hands of the Home Minister for certain reasons. The problem of law and order for the entire country is the headache of the State Governments. It is a fact that my powers are limited. I cannot order the transfer of a Sub-Inspector of Ghaziabad or Agra, nor can I ask for his explanation. If some one complains to me against some big functionaries, I can only write to the State Government.

Our Federal Constitution vests full powers in this respect in the State Governments. If I tell them anything that amounts to the erosion of their powers. If some one expects some sudden change in the country by changing the Home Minister of Government of India, that is not possible. Whether I am in this office or some one else is there in my place, the law and order situation of the entire country cannot be governed or improved from Delhi ? Therefore, we should not expect that some sudden revolutionary change would come about. Of course, the trends that are established from here, the commissions etc. that are appointed, the talks that we have amongst ourselves or the talks between the Home Secretary and the Chief Secretaries may have some effect slowly and steadily within one or two years. But it is only one factor that can contribute to improving the law and order situation of the country. It is not that any particular individual can bring about any radical change in the situation. I concede my inability in the matter. People have very high hopes from me. I receive complaints from M.Ps' and others against some Sub-Inspectors. I cannot do anything except writing to Chandigarh, or Lucknow or Patna about them. M.P. here feel that the Home Minister is here and, therefore, why should they go to Purnea, Meerut or Chandigarh ? They feel that they can function right from here and the Home Minister would write to the right quarters about the complaints that they address to him. No, this is expecting too much. It is not possible.

Hon'ble Dr. Karan Singh had raised a question and it was a very good question. I don't have much to say about it. He had a complaint against the attitude of the police, taking recourse to the use of force over trifle matters. According to him, the police is always on the look out for an excuse for using force and it uses more force than necessary. He has addressed this question to me but the answer to it is not easy. There are many historical causes behind it. A friend from the other side said that the police force till now was instrument of colonial power. It is a fact. It has its traditions. But, how far will it be justified to condemn the entire police force ? In the police force also, we have people like us. They are also made of the same stuff of which High Court Judges are made. I know certain police officers who have the same sense of honesty which is expected of a judge of a High Court. If a person has become a Munsif, he is taken to be a good man but if his brother, who has been brought up in the same circumstances and environment, becomes a D.S.P. and if he wields his powers in a manner that may invite complaints from the public, then he must be having his own reasons for doing so It will not be proper to condemn the entire police force. Once a Judge of the Lucknow bench of the Allahabad High Court observed that the police is the biggest criminal gang in India. However, we went in appeal against this in the Supreme Court. It is really very unfair. We do have some of the best persons in the police force. But if we receive complaints against the police force as such, we should try to find out as to why it is so.

Jethamalaniji has very significantly remarked that the political matters exercise much influence on them, as indeed they do on everything. They influence the police and the I.A.S. On the basis of my past experience in U.P., I can say that Police Superintendents as a class were perhaps more scrupulous than District Magistrates as a class. There were more scrupulous people in the police. When the entire administration goes away, it has to be seen whether we are responsible for this or not. I may tell my friends on this side—I don't have the courage to say anything to my friends on the other side-that if we do not apply the yardsticks of the Congress people and give them up for good, we will soon feel the difference in the police force in Delhi, in Rajasthan, in Madhya Pradesh, in Bihar and in the entire administration. We may form a Committee and consider the matter. Everybody should do some sort of self-inatrospection. We should not think that since we have become M.Ps and Ministers, our relations have got a right to get anything done from a Sub-Inspector. If we started thinking in these terms, than there would not be any difference between us and other common people, and we would not be able to run the administration. Did the British ever think in those terms ? Churchill's a daughter was challaned thrice by an ordinary constable as she was driving while drunk. Churchill's daughter was fined by an ordinary constable and the constable did not care that she was the daughter of Churchill. Churchill too did not care that his daughter had been challaned. Can

a Sub-Inspector here have the guts to challan my daughter ? If my son steals the car of someone, can the Sub-Inspector dare challan my son ? What I want to emphasise is that the mistakes committed by the people from the other side should not be repeated by us. I want our police force to have the courage even to challan a Minister's son. Seeing the car of a Minister, the petty official at the railway crossing should not be unnerved into opening the gate two minutes earlier. All should be treated alike. I do not blame the police officials for this state of affairs. We all are to blame for this. Before holding police responsible for all this, we should search our hearts first.

We propose to set up a Police Commission, but we have one difficulty in our way. At present, law and order is the responsiblity of the State Governments. If we appoint a Commission here, the Chief Ministers of the States would call it an encroachment on our part in their jurisdiction. I have thought of an idea and I hope hon. members will agree to it. We propose to write a letter to Chief Ministers that we want to appoint a Commission to suggest remedies for the common problems of the police all over the country and if they agree, we would set up such a Commission. If you have some other suggestion to make, you may tell me. If any state Government raises any constitutional objection in this connection, it will be within its rights to do so. That is why I have conceived this idea. Nobody has any vested interest in it. Everybody wants our police force to improve. Therefore, I hope everybody would agree to it. Then we will set up such a Commission. I shall gratefully welcome as many suggestions from Hon'ble Chavan Saheb, Dr. Karan Singh, Sathe Saheb and Hon'ble Lakappa Saheb. It is not a question of a party. It is a question of the entire country. It is a question of the quality of an improving institution. Our Hon'ble Tiwari Ji was also saying that without improving the administration of the police, we cannot achieve economic progress or any other progress. He is right and we shall certainly move in this direction.

Our Basu Saheb suggested that we should spend more money on development than on our police force. But we are not spending money on our police force. If we really want to improve our police force, we would have to spend four times the money that we are spending on it now. I had been to the Chandni Chowk Police Station a few days back. Police officers told me that I should see three things to know whether the work is being done along smooth lines. They are having two registers there. First, it should be seen whether the arrival and departure timings of a police office has been noted therein or not. Similarly, we should see whether the first information reports have been fully entered or not. Thirdly, the condition of the lock-up should be checked up. I saw all these three things and I am gratified to say that I found no mistakes in them. But the Chandni Chowk Police Station is very cramped and the space there is so small that none of us can live there. There I found 60 constables in a single barrack. The toilets were also in the same bad shape. The blankets or chaddars provided in the lock-up were also not in good condition. I again come to the same point. Their housing conditions need improvement but will you provide funds therefor ?

Shri Jyotirmoy Bosu : Choudhary Saheb, a Commission has submitted a report about Delhi Police but the same has not been implemented.

Shri Charan Singh : I know. It has been implemented in part. There may be various reasons for non-implementation of the report of the Commission but the major one is lack of financial resources with the State Governments. 90 per cent of the policemen of Delhi Police do not have quarters or perhaps 80 percent of them cannot live with their families. This will surely affect their mentality and their capacity to work. You can well imagine this. You complain against the police. You may do that. Where they are at fault, they should be punished also. But regarding provision of barest facilities, this is not a question of convenience, if we do not provide them the necessities even, we have no right to complain against them.

Shri Samar Guha : How will you prevent MLAs and MPs and Political people influencing them ? They are also the corrupt people.

Shri Charan Singh : You are right. They have many problems. They are not even allowed offs and the Police Act of 1861 is also there. An Act was passed in 1902 for solving their problems. I do not know what provisions were made therein. It has been said that the Police Act should be amended. It is easy to do so but I want to tell this august House that if we want to amend the Act, we will have to do a lot of thinking before doing so. We will have to admit that legislations enacted by the British were quite sound and they have certain provisions which cannot be altered. The Indian Penal Code enacted during the time of Macaulay was a very good piece of legislation as a whole barring a few sections and the same is still in force in our country. There is no such legislation in other countries. Similarly, there is the Evidence Act of 1872. It could be called a law of the colonial period, but till today nobody

has ever felt the need to amend or alter it. Therefore, I say that we have to consider any amendment of the Police Act very carefully.

I may point out that in other countries, confessions made before the police are admissible in evidence. But according to our law, even a confession made before an S.P. and an I.G. is not be admissible evidence since the British had framed the law with the assumption that every policeman was dishonest. Thus he falls in his own eyes. When he is deemed dishonest in the eyes of law, he loses self confidence and feels small. I would, therefore, suggest that atleast the confession made before a gazetted officer may be made admissible in evidence.

Shri Jyotirmoy Bosu : That will be misused.

Shri Charan Singh : If the entire police force is dishonest, why should you have any police at all? Please think before you speak (interruptions). I was submitting that we would have to consider it. If all the policemen are dishonest—magistrates are also not very special persons— the entire staff of all the police stations should be dismissed. A constable in Japan and U. K. is empowered to impose fines for small offences. But here even minor cases have to be filed in courts and they drag on for six months and for one year. Policemen have to visit the courts 25 times and the poor a thousand times. There police has the power to impose fine for minor offences. If you want to improve the image of the police, you will have to think on these lines.

Shri Jyotirmoy Bosu : Sir, we do not agree with the Home Minister here, it is dangerous.

Shri Charan Singh : Then please do not quote the example of Scotland Yard and Federal Bureau of Investigation of America. You have to treat every person to be as honest as you think yourself or a magistrate to be. I feel that our experience may be bad, the experiences during the British rule were bad. Man changes and the circumstances also change. You condemn everybody, they already feel that they are not trusted. We will know that nobody comes forward to tender evidence for the police, so they produce false witnesses. When I told them not to adduce false evidence, they said that there would be spurt in crimes. I said let it be so, we would ask the M. Ps and M. L. As. what to do. You do not believe the I.G., the Superintendent of Police whereas you believe a criminal who says that he did not make that statement before them.

Mr. Speaker, Sir, these are the reports of various commissions. The Intelligence Bureau is responsible for internal intelligence and the RAW for external intelligence. I have come to know that there is another intelligence agency in the army.

Dr. Karan Singh : In States also.

Shri Charan Singh : States have separate agencies. Perhaps it has coordination with them. Dr. Karan Singh has made a suggestion regarding this coordination. There is already a file on the subject and it is under consideration.

Mr. Speaker, one gentleman spoke about Hindi-imposition of Hindi. Mr. Om Prakash Tyagi rightly said that nobody wanted to impose it. The hon. Prime Minister has made two or three statements on this issue. I have also stated once or twice that the government of the Janata Party would continue to pursue the same policy on this issue which was followed by the government hitherto. There can be no two opinions in this matter.

Now I come to the issue raised yesterday regarding inclusion of Manipuri and Gorkhali in the Eighth Schedule. In this connection I may point out that it is provided in Article 344 or some other Article that Hindi shall be the national language. Since the Constitution is not before me, I cannot quote the exact words. But only fourteen languages have been included in the Eighth Schedule. I would appeal that the vocabulary of these languages may be enriched with the help of languages enumerated there. A commission on Hindi was appointed in 1954. After that the Eighth Schedule has lost its significance. Whether it be Manipuri or Gorkhali and whether they are included in the Eighth Schedule or not, it is the policy of the Government of India that all the languages of the country are to be promoted, developed and protected. So it will not make any difference whether they are included in the Eighth Schedule or not. This is the legal position. We had received a letter from the hon. Speaker of Manipur, which we have replied.

My hon. friend Shri Mohsin said about Urdu that they were not allowed to take oath in Urdu. The official language Act there provides that Hindi shall be the official language of the State. Hindi does not mean Sanskritised Hindi. At one point it was also considered that for taking oath the word 'Ishwar' might be substituted by 'Khuda' if it could satisfy them.

Had he said like that it could have been understood. But Mr. Mohsin is not entitled to complain. I have with me here a copy of a statement made by him, when he was Deputy Home Minister, wherein he had said that Urdu could not be declared the second official language in U.P. Now the same gentleman is complaining today. He had made a categorical statement on the floor of this House. So he has no right to complain.

Hon. Shri Jagannath Rao may kindly excuse me. Perhaps he hails from Orissa. He had referred to the powers regarding State Government under Article 356. If the President thinks that a state Government is not functioning properly the words 'constitutional breakdown' are not used but some other words are there, perhaps the words are 'Constitutional failure' he may take over the administration of that State. What more words would you like to add? Here I will submit that no amount of amendments in the constitution is going to help unless man mends himself. While replying to the point raised in the Constitutent Assembly that this article might be misused, Dr. Ambedkar had stated that he did not think it would be misused and if this article was to be enforced, it would be with a view to holding elections—elections would be held immediately giving an opportunity to form another Governments as we have done. It was conveyed to the President in writting—it is a must—but intention was to hold elections early as possible. Perhaps he lost sight of Article 352. It must go. No government should have powers to declare emergency, not even this Government. As far as my knowledge goes and as informed by constitutional experts, I can say that in no democracy in the world expcept in Britain—that too during the war —emergency can be declared. That too not automatically, it may be declared if considered necessary and it would be deemed to have been withdrawn automatically on or three months after the war is over. There were no powers to declare emergency even in the Government of India Act, 1935 of the British period. An amendment to Article 352 is going to be moved and if hon. Shri Chavan, Dr. Karan Singh and Shri Lakkappa agree, there will be no difficulty in passing it and I hear that it will not be blocked. All persons who have faith in democracy and my hon. friends on the other side, whose faith had diminished due to some influence, have now regained it after the disapperance of that influence and I understand that my hon. friends were willing to hlep it in this respect. We are thinking of bringing a proposal for deletion of article 352.

Dr. Karan Singh has said that the commissions which have been appointed should submit their reports at an early date. I agree with him. I also want this. But what are the difficulties in the way ? We have been told that terms of reference of the commission should be announced along with the name of the judge who would be the head or the Chairman of the Commission. We have also been told that terms of reference should be such for which we think we have evidence, because if the terms of reference are wide and evidence is not available in support, it will not be good for the country and for anybody. So it is necessary that there should be evidence for terms of reference. But we cannot invite complaints from the people directly. That can be done by the judge only, as has been done by hon'ble Shri Shah who has appealed to the people on 18th June, 1977 to send complaints within one month. So, on the one hand, we did not consider it proper to invite complaints from the people on behalf of the Government and on the other hand, it was necessary that terms of reference should be such for which evidence was available. Because of this, there has been some delay in this regard. We had already some material with us and when it was mentioned on the 7th April that we wanted to appoint an enquiry commission, the people themselves started sending complaints. After that, the question of the consent of the judges arose. In one case, as many as 7 judges refused to head the commission and it was the 8th judge who agreed to head it. We wanted that a retired judge or a retired Chief Justice either of the Supreme Court or of High Court should head the Commission. We could not take a serving judge because that would have stopped the work of the Supreme Court as the number of Supreme Court judges was limited. We also did not want any retired judge of the High Court. It was because of these difficulties that such a long time was taken.

These three Commissions have been appointed. The Commission under the Chairmanship of Dr. Jagan Mohan Reddy would look into the Nagarwala affairs and also the Bansi Lal affair. But the Haryana Government have appointed two retired Judges of the Punjab-Haryana High Court to enquire into two acts of Bansi Lal. One important case of Haryana is the Rewasa incident as a result of which Shrimati Chandrawati had to leave the ministry. Mr. Deputy Speaker, Sir, such horrifying cases as that of Rewasa are rare in the world-where a brother

and sister were put in the police lock-up and ordered to undress themselves. Shrimati Chandrawati was a State Minister in the Government headed by Bansi Lal. She came and apprised the Prime Minister of the details of the case. Instead of conducting any enquiry by the Central Government or obtaining the explanation of the Chief Minister, she was divested of her ministerial portfolio. This was the sort of Government of which you were the members, you were the diamonds and jewels. So, the two Commissions have been appointed there.

One gentlemen was asking why an enquiry had not been conducted into the death of 150 persons whose list used to be referred to in the election meetings. I never used to tell the details. In Muzaffarnagar, 48 persons—43 persons on 18th October, 1976 and 5 persons on 19th October, 1976—were shot down when they protested against forced sterilisation. And all the Congress M.L.As of the place including two Congress and one Communist Members of Parliament gave a vivid description of what the D. M. and the S. P. of that place were doing. They wrote about it repeatedly. They gave names and facts ; it was not that they made vague allegations. They gave names of all the 48 persons and also indicated the names of those persons who were forcibly sterilised.

Shri Mohanmmed Shafi Qureshi : It appeared in the German newspapers that when corpses were being loaded in trucks, they were bleeding and the dogs were licking them.

Shri Charan Singh: I do not know wheather Qureshi Saheb was a member of the Congress Party or not at that time. I think he was perhaps not a member of the Congress at that time.

Shri Prasnnbhai Metha : We were on that side then and we are not allowed to go to that city.

Shri Charan Singh: M. Ps from here went there to see but they wete not allowed. They had to come back.

Mr. Deputy Speaker, Sir, a written memorandum signed by all the Congress Legislators. M. L. As. MPs was submitted to the late Shri Fakhruddin Ali Ahmed, the Prime Minister, to all the Mininsters and to the Chief Minister of Uttar Pradesh. I also got a cyclostyled copy of the same. I spoke on it for one and three quarters of an hour and raised all the points of the memorandum on the 10th November. So all this happended. A retired judge of the Allahabad High Court was appointed to enquire into the incident when the State was under the President's rule. When Shri Mohsin meets me, I would ask him about those 150 persons.

The most distressing thing in this regard is that even after receiving the, Memorandum, our hon. sister Shrimati Indira Gandhi, had been saying that the family planning programmes were being undertaken on a voluntary basis and these allegations were the product of the mind of the opposition partics.

I want to say that besides all the sins committed during emergency, she made wrong statements every day deliberately. There can be no sin greater than this.

An hon. member talked about regeneration of moral values. If this hon. member and the Prime Minis!ter give wrong statements deliberately, tell lies. I do not want to use the world lies how would moral regeneration come about? No Prime Miniter in the world tells a lie and our sister never told the truth.

So two Commissions have been appointed in U.P.

We have appointed a fact finding Commission about Turkman Gate and its report will be sent to the Shah Commission. We have talked to Shri Shah about this. Just imagine, he has received 9000 complaints. I think there might be many other complaints also which people have not submitted. Many of these complaints may be minor ones. However, two and a half thousand complaints could be serious ones. How much time is needed to go through them ? I fully sympathise with Justice Shah that he has taken upon himself such a great responsibility. He is an honourable person. He will discharge his responsibilities and he has felt his duty towards the country. It is a small matter but he has stated that he will not draw any remuneration and allowances. It may take time. He will be provided all the facilities of officers etc. as asked for by him and a team of able officers has been attached to him. But this much is clear that he cannot submit his report in 6 months.

Moreover, it is not an ordinary Commission. Never before in the history of the world, such a Commission has been appointed. The Nuremburg trial had a limited scope, but this Commission has a wide ranging scope that no Commission has ever had in history. But a sin

of such great enormity has also not been committed in history. So, whether it may take a year or one and a half years, we will pursue it and will request Shri Shah to take the trouble and complete it. He will also be remembered in history; no doubt you too will be remembered but it will take time.

An honourable Member said that a Commission had been appointed against their Chief Ministers. I say, let them appoint a Commission against ours and we will certainly help them. They may come forward. I think there is no necessity. Now Lokpal Bill is coming. Compared to the Lokpal Bill prepared earlier, the Lokpal Bill prepared now has 4 to 5 special features. We have not included officers in it, only Ministers are there . There is no necessity to include officers, because then it will take a long time. There are so many vigilance commission which can concern themselves with the officers. So that will reduce their work.

Secondly, we have included the Prime Minister also in it because other Ministers cannot be honest unless the Prime Minister is honest.

We have included M.Ps also therein because if twenty-five dishonest M.Ps form a group, then Government cannot function at all. In the earlier Bill, there was no provision for an investigating agency. Investigating agency should be outside the discipline and control of Government because when there is an inquiry against the Minister himself, then it will not be proper if we provide for investigation through I.B. or C. B. I. or ordinary civil police. Tomorrow they can be transferred to some other place from here.

We have, therefore, empowered the Lokpal to appoint an independent investigating agency which will be answerable only to the Lok Pal and nobody else so that investigations may take place with honesty.

I think this Lokpal Bill will very soon become an Act and if hon. Shri Chavan helps us in Rajya Sabha, it may become an Act even by 5th August.

Shri Kanwar Lal Gupta : What is your reaction ?

Shri Yashwantrao Chavan : We have already accepted it in principle. Please bring the Bill.

Shri Charan Singh : This is very good. I am going to bring it very soon in the Cabinet.

From that side a suggestion was made, perhaps it was from hon. Dr. Karan Singh, that there should be an assurance for protection to the witnesses produced before the Commission. It is correct, but there is already protection provided in the Commission of Inquiries Act that whatever evidence was there, no civil or criminal case would be filed against the witnesses on that basis. They have already been given full protection.

I do not know as to how Dr. Subramaniam Swamy has stated that 'we can forgive but we cannot forget?' Sometime people state some thing with good intention and Dr. Swamy , who is a man of firm views, just stated it. Dr. Subramaniam Swamy may forgive or forget and Charan Singh as Charan Singh can also forgive but in the capacity of a responsible Minister in this Government, I cannot forget those who have committed sins. There is no question of that. This is not a personal matter, either mine, yours or of any one else's. As a Government we are responsible to the people. This Ministry is not a body of 'Sadhus', it is a body of administrators. Therefore, there is no question of forgiving whether she may be . . . . (Interruptions) Not because we should not have soft feelings towards a lady but because her doings had brought harm to lakhs of women. Hence, there is no question of that.

Many other points were raised and I wanted to reply to them. May be that I might have made some mistakes in my speech. There is no need for me to ask my friends on this side to excuse me but I request my friends sitting on that side to excuse me for any word which they found to be bitter.

With these words I request the House to give its approval to the Demands.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : कानून और व्यवस्था निसंदेह राज्यों का विषय पर दोनों पक्षों के सदस्यों ने गम्भीर शिकायतें की हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या आप राज्यों के मुख्य मंत्रियों को हमारी भावनाओं से अवगत करायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 41 को छोड़कर शेष सभी को एक साथ सभा में एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 41 को छोड़कर सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions except 41 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 41 मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 40 विपक्ष में 153

Ayes Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गृह मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Home Affairs were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
	गृह मंत्रालय		
51.	गृह मंत्रालय	1,75,24,000	
52.	मंत्रिमंडल	1,24,45,000	
53.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	3,83,84,000	.
54.	पुलिस	139,03,11,000	4,33,33,000
55.	जनगणना	2,53,59,000	. .
56.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	104,18,32,000	36,79,17,000
57.	दिल्ली	88,21,86,000	52,93,99,000
58.	चंडीगढ़	13,03,17,000	6,27,53,000
59.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	15,42,47,000	7,41,75,000
60.	दादरा और नागर हवेली	1,57,92,000	1,40,09,000
61.	लक्षद्वीप	3,04,69,000	1,04,25,000

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी

Dr. Laxmi Narayan Pandeya (**Mandsaur**) : Sir, the people have given us convincing majority so it becomes our duty to fulfil the aspirations of the people.It has been said that during the last few days there has been a sharp rise in the prices of certain commodities . But it one booked at the past history, one will find that even during emergency, the prices had gone up by 12½ per cent upto February 1977 in one single year of 1976-77. Since then the prices had risen only 3 to 4 per cent. However measures has to be taken to arrest this rise in prices.

It is mainly due to certain actions of the previous Government, such as import of foodgrains, increase in the money supply, agreement for import of edible oils, misuse of licences and so on, that the prices have continued to rise in the last few years. In spite of emergency the prices of coal and Cement had shot up very high. Then even the essential commodities were not easily available in the market. It should now be the price concern of the present Government to ensure that all the essential commodities and consumer goods used by a Common man, are available in the market at fair price.

One of the main causes of price rise is deficit financing. During the last one year there was deficit financing to the time of Rs. 700 crores. Even this year we have resorted to deficit financing to the time of Rs. 632 crores. It will certainly affect the trend of prices in the coming months. The Minister should take steps to mitigate the impact of deficit financing upon our economy.

Price rise is a vicious circle. With each price rise there is a fresh demand from increase in the wages of salaried class of workers and with each rise in wages, there is a Consequent spurt in prices. We must take steps to check this tendency.

Some traders have tried to create artificial scarcity. We should take steps to check it. The price-index has gone upto 185. Steps should be taken to bring it down.

Dr. Sushila Nayar (**Jhansi**) : Sir, every body is feeling the pinch of excessive price-rise and the steps being taken to check them have not produced the desired results.

The business community is taking undue advantage. They are creating artificial shortage in the market. Pulses are being kept in cold storages. The extra sugar released by the Government to reduce the price is not being lifted by the traders. They are deliberately pushing up the prices.

Rape seed oil is not easily available in the market. It has completely disappeared from the open market although the shopkeepers are getting it abundance.

We must take stock of the situation. The distribution system will have to be improved so that pulses , sugar, oil etc. may be easily available to the consumer at fair prices.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : माननीय मंत्री जी ने सभा में कई बार कहा है कि वह ऐसे उपाय शीघ्र ही करेंगे जिससे कीमतों में वृद्धि रुक जायेगी लेकिन जब तक वितरण प्रणाली में सुधार नहीं होता तब तक इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा भी समाचार है कि जनता पार्टी को सभा में आने के बाद में मूल्य सूचकांक को अच्छी तरह तैयार ही नहीं किया गया है। आंकड़े तोड़ मरोड़ कर दिये जा रहे हैं।

लगता है पिछली सरकार की जो आर्थिक उपलब्धियां थीं वे खो दी गई हैं । आशा है कि जनता सरकार टकराव की नीति छोड़ कर समझौता वार्ता को अपनायेगी ताकि कीमतों में वृद्धि को रोका जा सके।

आप हर बार अपनी गलतियों का दोष पिछली सरकार पर नहीं मढ़ सकते। आपको तस्करों और काला बाजार करने वालों के विरूद्ध कड़े उपाय करने चाहिए।

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा समर्थन करता हूं। कीमतें रोकने के लिए यही सबसे अच्छा उपाय है। बड़े निर्माता और किसान जान बूझ कर कमी पैदा कर रहे हैं। आशा है आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगठित करेंगे।

मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार निर्बाधव्यापार की नीति अपनायेगी या अपनी समाजवादी नीति तैयार करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : महोदय अप्रैल 1976 से मार्च, 1977 के बीच थोक मूल्य सूचकांक में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कीमतों में वृद्धि तो श्रीमती गांधी के शासन काल से ही शुरु हो चुकी थी। खाद्य पदार्थों में पर्याप्त वृद्धि हुई। लेकिन यह वृद्धिजारी क्यों है ?

पिछले 30 वर्षों से अनुत्पादक गैर योजना व्यय में भारी वृद्धि हुई है। व्यापरियों को ऋण देने की नीति में सुधार की जरूरत है। जमाखोर दालें जमा करते हैं और घोषित करते हैं कि खली रखी है ताकि उन्हें बैंकों से ऋण मिल सके। जमा माल को निकालने के लिए लोगों का सहयोग जरुरी हैं। व्यापरियों ने खाद्य पदार्थों सहित बहुत माल जमा कर रखा है। गैर समाज विरोधी तत्व बहुत सक्रिय हो गये हैं।

मेरा अनुरोध है कि उनसे कोई नर्मी न बरती जाये और उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाये जायें। सार्वजनिक वितरण प्रणांली को सुदृढ़ करना बहुत जरुरी है। पश्चिम बंगाल और नागालैंड, असम, त्रिपुरा मणिपुर आदि पूर्वोत्त क्षेत्रों में तो अनाज मिलना ही एक समस्या हो गया है।

पिछली सरकार के एक समाजवादी मंत्री श्री के० रघुनाथ रेड्डी ने शिमला के लेबर ब्यूरों को गुप्त परिपत्र भेज कर मूल्य सूचकांक तैयार करने का कहा था। इसमें कहा गया कि कुछ खाद्य पदार्थों को छोड़ दिया जाये ताकि मूल्य सूचकांक को नीचे रखा जा सके :

इससे श्रमिकों को उनका हक नहीं मिला। सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

Shri Mani Ram Bagri (**Mathura**) : Sir, the prices of all goods were pushed up when the prices of oil in Assam got a spurt. Not only the private sector but the public sector also is fleecing money from the common man. We should take steps to reduce the prices.

वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : देश के लिए यह चिन्ता का विषय है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है और इसलिए मैं इस विषय पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार कर रहा हूं।

यह सच है कि मई, 1977 के बाद भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1976 में मार्च—जून के दौरान मूल्यों में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1977 में इन्ही महीनों में यह वृद्धि 2.7 प्रतिशत हूई है। फिर भी हम मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये हर सम्भव उपाय कर रहे हैं।

मूल्य वृद्धि के कई कारण हैं। यह सच है कि गत वर्ष 670 करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था की गई और बिल मंत्री ने यह कोशिश की कि 1977-78 के लिए केवल 70 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया जाये। मूल्य वृद्धि का एक कारण यह भी था कि मुद्रा सप्लाई में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय आय में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई तिलहनों एवं मूगफली का भी उत्पादन कम

हुआ। दालों का उत्पादन उतना ही हुआ जितना 10 वर्ष पूर्व था जबकि जन संख्या और मांग में भारी वृद्धि हुई है। किसी भी जिम्मेदार सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह आम आदमी को जरूरत की चीजें उचित दरों पर उपलब्ध कराये। हम अपने वचन पर दृढ़ हैं और इस दिशा में हमने कई उपाय भी किये हैं।

जहां तक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, केवल वितरण प्रणाली ही पर्याप्त नहीं है। हमें आवश्यक वस्तुओं की मांग, उत्पादन विकास की सम्भाव्यता, उत्पादन में प्राथमिकता, भंडारण तथा परिवहन सुविधाओं आदि को सुनिश्चित करना होगा। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार अपने वचन पर अडिग है।

यह सच है कि बिजली की कमी के कारण सीमेंट के उत्पादन में कमी हुई है। अब यह निर्णय किया गया है कि सीमेंट सप्लाई में 18 प्रतिशत की कटौती के बजाय 15 प्रतिशत कटौती की जाँयेगी और आने वाले दिनों में इस कटौती में और भी कमी की जायेगी। यह सच है कि सीमेंट की कमी का लाभ उठाकर कुछ व्यापिरयों ने उचित दाम पर सीमेन्ट नहीं बेचा। कुछ कारखानों के विरुद्ध शिकायतें भी मिली हैं। हो सकता है कि हम सीमेंट उत्पादन में वृद्धि न कर सकें फिर भी यदि कोई सीमेंट कारखाना ठीक प्रकार से काम नहीं करता और व्यपारियों के साथ किये गये करार के मुताबिक आवंटन नहीं करता तो हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उस कारखाने द्वारा उत्पादित सीमेंट लोगों में वितरण करने के लिए अपने हाथों में ले लेंगे हम इस से घबरायेंगे नहीं।

सभापति महोदय : श्री कछवाय के इस प्रश्न का क्या हुआ कि कुछ व्यापारी सीमेंट के बोरे बेचने से इन्कार करते हैं।

श्री मोहन धारिया : सुशीला जी ने भी यह प्रश्न उठाया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत हमने क्या कार्यवाही की है। मैंने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये अपील की है। सुशीला जी ने सदन के ध्यान में लाया है कि $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के दालें कोल्ड स्टोरेज आदि में जमा की गई हैं। जैसे ही मुझे यह समाचार मिला मैंने महाराष्ट्र सरकार के नागरिक आपूर्ति मंत्री को तुरन्त कार्यवाही करने के लिये सन्देश भेजा। मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी सम्पर्क स्थापित किया है और उनसे पूछा है कि यह ऋण उन्हें कैसे दिया गया इसका उत्तर वह कल तक देंगे।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : What action Government propose to take about the sugar which is not lifted ?

श्री मोहन धारिया : आवंटन करने के बाद यदि हमें पता चलता है कि चीनी नहीं उठाई गई है और इसका अभाव पैदा किया गया है। इसकी हम जांच करेंगे और यदि चीनी नहीं उठाई गई हो तो मैं कुछ कार्यवाही अवश्य करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : In cities sugar is supplied 1 kg. per head per month while in village it is only 200 gms. will distribution system be improved ?

श्री मोहन धारिया : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में राशन कार्डों पर मिलने वाली चीनी की मात्रा अधिक होने का सम्बन्ध है, हमने पता लगाया है कि प्रत्येक राज्य के लिये लेवी

चीनी में से कुछ कोटा निर्धारित किया जाता है और यह निर्णय करना राज्य सरकार का काम है कि इसे किस प्रकार वितरित करना है। चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने से अगले वर्ष चीनी की कमी महसूस नहीं होगी ऐसी मुझे आशा है।

यह सच है कि तस्करी की कुछ घटनायें हो रही हैं परन्तु हमने अपनी सभी एजेन्सियों को सचेत कर दिया हैं और वह उचित समय पर उचित कार्यवाही करेंगी। दालों के मूल्यों में तस्करी के कारण वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इसका कारण कृत्रिम अभाव तथा कमी पैदा करना है। फिर भी सरकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सभी सम्भव उपाय कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के संगठन देश के समाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिये हैं। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र देश को लूटने का प्रयास करता है तो सरकारी क्षेत्र ऐसा नहीं होने देगा। सरकारी क्षेत्र लोगों के कल्याण के लिये है।

निर्यात के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है।

Shri Mani Ram Bagri : Are you in a position to give an assurance to the House that you will not allow price rise further ?

श्री मोहन धारिया : हम मूल्यों को रोकना चाहते हैं। परन्तु वर्तमान स्तर पर मूल्यों को रोकना लोगों की आपदाओं को भी वर्तमान स्तर पर रोकना होगा। हम कीमतों को कम करना चाहते हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी जिससे मूल्य कम हो सकें।

हम देश में आतंक का वह वातावरण पैदा करना नहीं चाहते जो आपात स्थिति के दौरान था। हम पारस्परिक विश्वास का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। हमने व्यापारियों से मूल्य कम करने की अपील करके कोई गलती नहीं की हैं। यह देश के हित में है। यदि व्यापारी लोग ठीक व्यवहार नहीं करते तो उनके विरुद्ध निश्चय ही कार्यवाही की जायेगी।

निर्यात के बारे सरकार की नीति स्पष्ट है जो वस्तु स्वदेशी खपत के लिये आम आदमी को चाहिए उसका निर्यात नहीं किया जायेगा। निर्यात की अनुमति देश की जरूरत को ध्यान में रखकर ही दी जायेगी।

सरकार इस सम्बन्ध में बहुत चिन्तित है। हम सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। मुझे विश्वास हैं कि सभी के सहयोग से सरकार के लिये न केवल मूल्यों को ही रोकना सम्भव होगा, अपितु यह सुनिश्चित भी किया जा सकेगा कि आवश्यक वस्तुएं लोगों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 14 जुलाई, 1977/23 आषाढ़ 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 14th July, 1977/Asadha 23, 1899 (Saka).

म०प्र०भा०स०म्०मि०रो०न०दि०—आर०एस०II—2020 एस०एस०—31-10-77—200